खण्ड-321, अंक-4
बुधवार, 8 वैशाख, शक संवत् 1898
(28 अप्रैल, 1976 ई0)

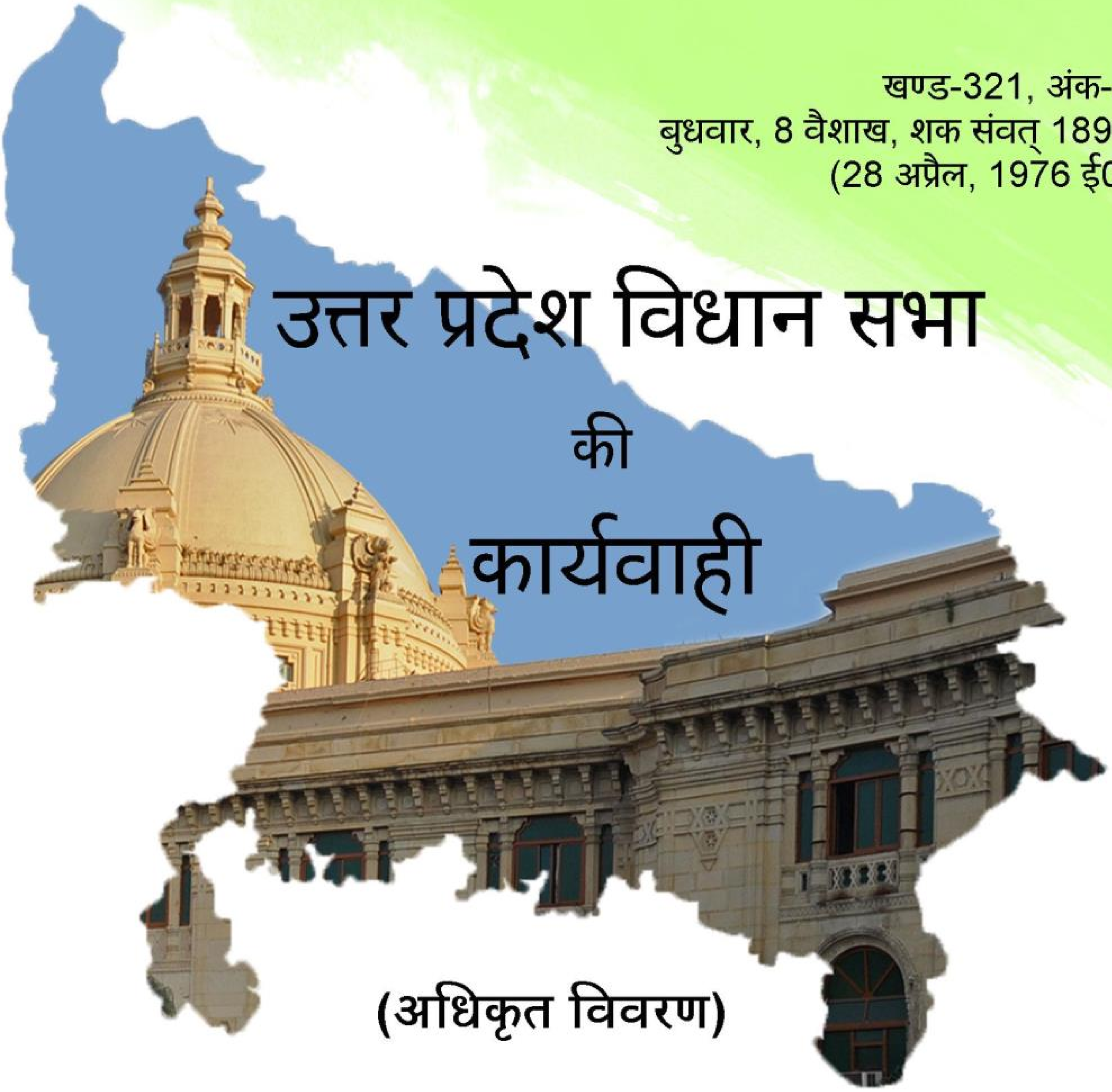

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 321 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 28 अप्रैल, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासु देव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य 225

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनवार मोहम्मद, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाशपति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धमपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री
नाथूराम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह, श्री एडवोकेट
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
राम चन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री

रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पूजन पटेल, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडे, श्री
लक्ष्मी प्रसाद बर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सलाहुउद्दीन उस्मानी, श्री उर्फ नब्बन
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि राम, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री

नोट—विद्युत् राज्य मन्त्री, श्री रमेन्द्र वर्मा, ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री, श्री हबीबुर्रहमान नोमानी तथा परिवहन मन्त्री श्री शिव प्रसाद सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 28 अप्रैल 1976

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

रतनसेन महाविद्यालय, बस्ती के बी०एड० के छात्रों का परीक्षाफल

**1—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रतनसेन महाविद्यालय बांसी, जिला बस्ती के बी0 एड0 के छात्रों का सन् 1974-75 का परीक्षाफल गोरखपुर विश्वविद्यालय ने रोक रखा है? यदि हां, तो क्यों? परीक्षाफल अब कब तक घोषित होगा?

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जी हां। विश्वविद्यालय के निर्देश के विरुद्ध महाविद्यालय ने 176 छात्रों के स्थान पर 600 छात्रों को प्रवेश दिया। विश्वविद्यालय ने इस कारण बी0 एड0 के छात्रों की परीक्षा स्थगित कर दी थी। इस पर छात्रों ने मुन्सिफी न्यायालय बांसी (बस्ती) से स्थगन आदेश प्राप्त किया। तदोपरान्त विश्वविद्यालय ने परीक्षा सम्पन्न कराई तथा उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की और माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश रद्द कर दिए। अब विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि जब छात्र मुकदमा वापस ले लें तथा इस मुकदमें में विश्वविद्यालय द्वारा व्यय की गयी धनराशि महाविद्यालय वापिस करे तब परीक्षाफल घोषित करने पर विचार किया जा सकता है।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरी दिलचस्पी है।

श्री अध्यक्ष—

बाद में ले लेंगे।

हिन्दी साहित्यकार श्री जी० पी० श्रीवास्तव को दी जाने वाली सहायता

**2—श्री त्रिवेणी सहाय (जिल गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी साहित्य के हास्य सम्राट श्री जी0 पी0 श्रीवास्तव को राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली 100 रुपए की मासिक सहायता बन्द कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या राज्य सरकार को यह पता है कि वे इस समय अत्यन्त रुग्ण अवस्था मे पड़े हैं। आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे अपनी परिचर्या भी नहीं करवा पा रहे हैं? यदि हां, तो उनकी परिचर्या के लिए सरकार क्या सरकारी सहायता प्रदान करेगी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। श्री जी0 पी0 श्रीवास्तव की निजी आय तथा भारत सरकार की योजनान्तर्गत स्वीकृत 100 रुपए मासिक सहायता को मिलाकर उनकी कुल मासिक आय 150 रुपए से अधिक होने के कारण नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार की निजी योजना से उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सहायता बन्द करनी पड़ी। अब भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत मिल रही 100 रुपए मासिक सहायता को बढ़ाकर 150 रुपए मासिक किया जा रहा है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर में आर० एम० पी० योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों को क्षति

1—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर की कौन-कौन आर0 एम0 पी0 स्कीम द्वार निर्मित सड़कें इस वर्ष की भयंकर बाढ़ एवं बरसात में क्षत विक्षत होकर आवागमन योग्य नहीं रह गयी हैं? क्या इसमें कुसुम्ही मोतीराम अड्डा होते झंगहा व राजधानी मटियारा तथा डुमरी खास से फुलवरिया होते मुन्डेरा बाजार (चौरी-चौरा) सड़क भी है? यदि हां, तो इसको उपयोगी स्तर पुन: देने हेतु कब से एवं क्या प्रयास होने जा रहा है?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

गोरखपुर, जनपद में आर० एम० पी० स्कीम द्वारा निर्मित निम्नलिखित सड़कें गतवर्ष की भयंकर बाढ़ एवं बरसात में क्षतिग्रस्त हो गई थीं और आवागमन योग्य नहीं रह गई थी :—

(1) कुसुम्ही मोतीराम अड्डा झंगहा
(2) राजधानी मटीयरा
(3) सेवई महुआ डाबर
(4) बोक्टा जैदपुर
(5) पैसिया ललाइन लक्ष्मीपुर
(6) पैसिया बांध अड्डा
(7) नवसागर लेहड़ा।

उपरोक्त सड़कों में से केवल कुसुम्ही–मोतीराम अड्डा होते हुए झंगहा मार्ग को उपयोगी स्तर प्रदान करने का कार्य जिला परिषद् द्वारा किया जा रहा है शेष सड़कों को उपयोगी स्तर प्रदान करने के लिए जिला परिषद् की कोई योजना धनाभाव के कारण नहीं है। डुमरीखास से फुलवरिया होते हुए मुन्डेरा बाजार (चौरी-चौरा) सड़क जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास है, भी गत वर्ष वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गयी थी। अक्तूबर, 1975 में इसकी मरम्मत करके यातायात के लिए उपयोगी बना दिया गया।

आजमगढ़ में शारदा सहायक नहरों की गूलों व साइफनों के निर्माण की मांग

*2—श्री दया राम मास्कर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सरायमीर क्षेत्र में शारदा सहायक नहरों से गूलें निकलवाने में साइफन बनवाने के सम्बन्ध में अगस्त 1974 से दिसम्बर, 1974 तक कितने प्रार्थना-पत्र मिले तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मन्त्री (श्री लोकपति)—

इस अवधि में आजमगढ़ जनपद के सरायमीर क्षेत्र में शारदा सहायक प्रायोजना से सम्बन्धित कार्यों के लिए माननीय सदस्य से दो पत्र प्राप्त हुए। पहले पत्र में ग्राम लारपुर साहिब अली के निकट शारदा नहर प्रणाली के ठिकमा रजबहे के तथा ग्राम जगदीशपुर के निकट आजमगढ़ रजबहे के नीचे साइफनों का उल्लेख था। दूसरे पत्र में सरायमीर क्षेत्र में गूलों के निर्माण का उल्लेख था।

दोनों साइफनों पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है। सरायमीर क्षेत्र में 10.2 किलो मीटर गूलों का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा किया जा चुका है।

कृषि अभियन्त्रण विभाग के अभियन्ता संवर्ग के अधिशासी अभियन्ताओं की प्रोन्नति

*3—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कृषि अभियन्त्रण संवर्ग के अधिशासी अभियन्ताओं की उत्तर प्रदेश शासन कृषि (अभियन्त्रण) विभाग के आदेश संख्या 5526/12 दिनांक 14 अगस्त, 1968 के अनुसार लोक सेवा आयोग में दिनांक 20 अगस्त, 1968 को हुए साक्षात्कार द्वारा स्थायीकरण हेतु जो सूची बनायी गयी है उसमें कितने लोगों के नाम हैं ? क्या उनकी एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखेगी ? क्या उसी के अनुसार शासन की विज्ञप्ति संख्या 1252 (2)–(1)/तेईस/सी–1 (260)–73, दिनांक 11 सितम्बर, 1973 के द्वारा स्थायीकरण भी किया गया था ? यदि हां, तो क्या अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उसी के क्रम में किया गया ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ चौधरी)—

कृषि अभियन्ता संवर्ग के अधिशासी अभियन्ताओं की कृषि (अभियन्त्रण) विभाग के आदेश संख्या 5526/12-ए, दिनांक 14 अगस्त, 1968 के अनुसार लोक सेवा आयोग में दिनांक 20 अगस्त, 1968 को हुए साक्षात्कार द्वारा स्थायीकरण हेतु बनायी गयी सूची उपलब्ध नहीं है।

अधिशासी अभियन्ता (यान्त्रिक) के स्थायीकरण हेतु वर्ष 1973 में गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुतियों के अनुसार स्थायीकरण किया गया है।

अधीक्षण अभियन्ता के पद पर चयन श्रेष्ठता के आधार पर किया जाता है। अतः अधिशासी अभियन्ता (यान्त्रिक) के पद पर स्थायीकरण के क्रम में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ये साक्षात्कार लोक सेवा आयोग द्वारा हुआ कि नहीं और उसकी सूची विभाग को भेजी गई या नहीं? अगर भेजी गई तो वह उपलब्ध नहीं है या गायब हो गई है? क्या वह इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मान्यवर, यह सही नहीं है। लेकिन जिस नम्बर को आपने लिखा है, उस नम्बर के आधार पर कोई सूची उपलब्ध नहीं है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

मान्यवर, लिखने में गलती हो गई हो। लेकिन जैसा मालूम होता है कि सूची उपलब्ध है। क्या मन्त्री जी ने उसे देखा है?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जो आपने नम्बर दिया है, उस आधार पर सूची उपलब्ध नहीं है। दूसरी सूची अगर होगी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन से उनको कोई सूची प्राप्त हुई है या नहीं? यदि हुई है तो वह कौन सी सूची है?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जिस नम्बर की आपने लिखी है, उसी आधार पर मुझे सूचना आई है? ऐसे नम्बर की सूची नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

कोई और सूची दूसरे नम्बर की उपलब्ध है?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

इसके लिए जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी।

श्री ऊदल—

मन्त्री जी प्रश्न में देखें, उसमें एक जगह लिखा है कि लोक सेवा आयोग में दिनांक 20 अगस्त, 1968 को हुए साक्षात्कार द्वारा स्थायीकरण हेतु जो सूची बनाई गई है, उसमें कितने लोगों के नाम हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसी के अनुसार अधीक्षण अभियन्ताओं की प्रोन्नति की गई? क्या उनके यहां कोई चयन समिति है? यदि है तो वह कौन सी है?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

इसके लिये समिति है, विभागीय चयन समिति है जिसमें कई सज्जन हैं—सचिव, सिंचाई हैं, मुख्य सचिव के मनोनीत सदस्य हैं, मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग हैं, मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग हैं।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि एक व्यक्ति जिनका नाम श्री एस0 के0 शर्मा है, यह चुर्क सीमेन्ट फक्टरी के अधीक्षण अभियन्ता के बाद में मुख्य अभियन्ता हो गये हैं और वहां से अक्टूबर, 75 में रिटायर भी हो गय हैं उनका नाम इस चयन समिति ने दो बार चुना, एक बार 73 में और दुबारा मुख्य अभियन्ता होने के बाद सन् 74 में। उसके सबूत में, मैं आपकी आज्ञा से श्री जगत नारायण प्रधान, संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग का पत्र संख्या 5523–1–23–सि0–1–543/73, दिनांक लखनऊ सितम्बर 11, 1973, पढ़ देना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने लिखा ह श्री एस0 के0 शर्मा, मुख्य अभियन्ता, डाला सीमेंट फक्टरी को कि कृपया अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर चयन के संबंध में अपने अर्धशासकीय पत्रांक सख्या पी–447/ई–949। दिनांक 16 अगस्त, 1973 का अवलोकन करें।

"इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह सूचित करना है कि सिंचाई विभाग में अधीक्षण अभियता (यांत्रिक) के पद पर स्थानापन्न रूप से प्रोन्नति के लिये आपका चयन पहले ही हो चुका है तथा आपको सिंचाई विभाग में इस पद का स्थानापन्न रूप से 10 मार्च, 1973 अपरान्ह से नियुक्त माना जावेगा।" इसकी प्रतिलिपि श्री सूर्य प्रकाश भागव, प्रमुख अभियन्ता के वैयक्तिक सहायक, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ को भी सूचनार्थ भेजी गई है, तो क्या आप इसकी जांच करावेंगे कि एक ही व्यक्ति जो मुख्य अभियन्ता हो गये थे, स्थानापन्न हो गये थे, उनका रिटायरमेंट होने के बाद भी इस चयन समिति ने क्यों चुनाव किया, जिसकी वजह से कई लोगों का हक मारा गया ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

आपने लम्बा बयान दिया, इसलिये इसका उत्तर देना तो सम्भव नहीं है, लेकिन जैसी आपने लम्बी तकरीर दी है, उसके मुताबित लिखकर दे दें तो मैं इसकी अवश्य जांच कराऊंगा।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

मंत्री जी ने कहा कि लोक सेवा आयोग की सूची उपलब्ध नहीं है, किन्तु मैं रेफरेंस देकर बता रहा हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने अपने पत्र संख्या जी0–1210/101/पी–68–69, दिनांक सितम्बर 7, 1968 तथा पत्र संख्या जी–2375/10/पी–68–69, दिनांक दिसम्बर 19, 1968 इन दो पत्रों के आधार पर सूची बनाकर शासन को भेजी, और उसी के आधार पर शासन ने यह स्थायीकरण भी किया। पहले 4 का स्थायीकरण किया है, 8 लोगों की सूची बाकायदा बनाने के लिये भेजी गई। इनके नाम हैं सर्वश्री हर्षवर्धन भार्गव, दीनानाथ भार्गव, श्रीकान्त शर्मा, रमेशचन्द्र निगम, रूपकिशोर अग्रबाल, शचीन्द्र लाल मजूमदार, विशम्भर नाथ शर्मा, धनश्याम सिंह चौहान (विभागीय) शासन की विज्ञप्ति संख्या 1252/2-1-23 सि0–1–267–73, दिनांक 11–9–73 के द्वारा 4 लोगों का इनमें से स्थायीकरण भी कर दिया गया है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब दुबारा चयन समिति बनाकर स्थायीकरण का मामला कहां उठता है ? ऐसा क्यों किया गया, क्या आप इसकी पुनः जांच करावेंगे ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

आप विस्तार पूर्वक मुझे लिख कर दे दें, मैं अवश्य जांच कराऊंगा।

सर्वोदय हाई स्कूल जालौन में, अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*4—श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन) तथा डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जिला जालौन के सर्वोदय हाई स्कूल शहीद नगर में गम्भीर घोटाले और अनेक अनियमितताओं के सम्बन्ध में शासन को माह नवम्बर, दिसम्बर, 75 में कोई शिकायत मिली है ? यदि हां तो मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं और शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

शिकायतीपत्र में मुख्य आरोप निम्न थे :—

(1) प्रबन्ध समिति का अनियमित गठन,

(2) सरकारी अनुदान एवं खुद की आय का अपार साधन होने के बावजूद विद्यालय भवन न बन पाना,

(3) फर्नीचर का अभाव,

(4) फर्जी नियुक्ति,

(5) विद्यालय की भूमि पर प्रबन्धक की काश्तकारी,

(6) आय-व्यय का कोई लेखा न होना ।

विद्यालय के विरुद्ध इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

श्री वीर सिंह सेंगर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक जो कार्यवाही की गयी है, वह क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, 16 डी0 में जो कार्यवाही है, वह स्वयं ही यही कार्यवाही है कि उस संस्था को नोटिस दे दी गयी है ।

श्री वीर सिंह सेंगर—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चहता हूं कि क्या नोटिस दी जा चुकी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह नोटिस दी जा चुकी है ।

डाक्टर मलखान सिंह—

मान्यवर, जब विद्यालय प्रबन्ध समिति के विरुद्ध इतने आरोप हैं और शिकायत हुए 4–5 महीनें हो चुके हैं, मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है, जो 16 डी0 की नोटिस का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है, उसकी अभी तक कोई नोटिस नहीं दी गई है। माननीय मंत्री जी को जो सूचना दी जा रही है, मैं समझता हूं वह सही नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी 16 डी0 की कार्यवाही अविलम्ब कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह जो इरीगुलरिटीज पाई जा रही हैं, उसकी जांच हुई है, उसके बाद जब यह सिद्ध हो जायगी, तो उसके बाद कड़ी से कड़ी कार्यवाही, जो होगी की जायगी।

श्री वीर सिंह सेंगर—

मान्यवर, इस मामले में जांच अधिकारी कौन थे, जो जांच आपके पास आई। प्रत्येक आरोपों में कितने आरोप सिद्ध हो पाये और कितने नहीं सिद्ध हो पाये ? मान्यवर, वह जांच आरोप पढ़ दें ?

श्री अम्मार रिजवी—

जिला विद्यालय निरीक्षक और उपशिक्षा निदेशक ने जांच की ।

श्री वीर सिंह सेंगर—

मान्यवर, क्या ये अधिकारी ने मौके पर जाकर जांच की ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, किस अधिकारी ने जाकर जांच की,यह नहीं मालूम, परन्तु वहां पर जाकर ही जांच की गयी ।

श्री वीर सिंह सेंगर—

मान्यवर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि वहां पर कोई जांच करने नहीं गया, डी0 आई0 ओ0 एस0 ने रिपोर्ट मंगा ली। वह उनकी रिपोर्ट क्या है, कृपया पढ़ दें ?

श्री अध्यक्ष—

रिपोर्ट में क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

इसके पहले प्रश्न के उत्तर में जो चीजें कही गई हैं, मुख्य-मुख्य वही हैं। डी0 आई0 ओ0 एस0 की रिपोर्ट जो है, उसको कहिए तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

उसको वह देख लें।

गोंडा जिले की रामापुर घाट-दुबहा बाजार व कर्नैलगंज हजूरपुर तथा कर्नैलगंज कुकर-भुकवा सड़कों के निर्माण की मांग

*5—श्री दीप नारायण पाण्डेय (जिला गोंडा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1–2–75 के जिला सार्वजनिक निर्माण विभाग परामर्श दात्री समिति को गोंडा ने गोंडा जिले में प्रथम वरीयता पर रामापुर घाट से दुबहा बाजार तक तथा द्वितीय वरीयता पर कर्नैलगंज से हजूरपुर तक सड़क निर्माण करने के लिये अपनी संस्तुति की है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। धन की कमी के कारण इन मार्गों का निर्माण स्वीकृत करना सम्भव नहीं हो सका है।

गोन्डा जिले की कर्नैलगंज-कुकुर-भुकवा सड़क का निर्माण

*6—श्री दीप नारायण पाण्डेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में कर्नैलगंज से कुकुर भुकवा तक पक्की सड़क का कार्य कब से प्रारम्भ किया गया है तथा इस सड़क पर कितना निर्माण कार्य बाकी है और कब तक यह सड़क पूरी बन जायेगी तथा रामापुर घाट पर टेढ़ी नदी पर पक्का पुल का निर्माण कब से आरम्भ होगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस मार्ग का निर्माण वर्ष 71–72 में आरम्भ हुआ था। अभी 3 कि0 मी0 में सोलिंग व मध्य सतह का कार्य, 10.8 कि0 मी0 में ऊपरी सतह का कार्य 13.8 कि0 मी0 में प्रथम लेपन तथा 18.4 कि0 मी0 में द्वितीय लेपन का कार्य शेष है। यदि वांछित धन उपलब्ध हो जाता है तो मार्ग के 1977–78 वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है।

धनाभाव के कारण रामापुर घाट पर टेढ़ी नदी पर पक्के पुल का निर्माण स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है। अतः पुल के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दीप नारायण पाण्डेय—

सार्वजनिक निर्माण विभाग परामर्शदात्री समिति गोंडा ने प्रथम वरीयता रामापुर घाट से दुबहा बाजार तक की सड़क को दिया था और शायद उसकी नाप जोख भी हो गयी है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस सड़क के लिये आश्वासन देंगे कि उसका कार्य पूरा हो जाये ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह धन की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है ।

श्री दीप नारायण पाण्डेय—

यह जो सड़क बन रही है, अगर इस पर रामापुर घाट पर पुल नहीं बनेगा तो उस सड़क का प्रयोग नहीं हो सकेगा । अगर पुल नहीं बनता है, तो लाखों रुपया सरकार का बेकार हो जायेगा । इसलिये पुल बनाना बहुत जरूरी है । गोंडा में इसी तरह की और सड़क थी, जिस पर पुल नहीं था, वहां पर एक घटना घटी जिसके कारण 50–60 लोग भर गये । यहां पर भी बिना पुल के ऐसी ही घटना घट सकती है; तो वहां यह पुल बनाना बहुत जरूरी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री दीप नारायण पाण्डेय—

मैं यही आश्वासन चाहता हूं कि सड़क पूरी हो जाने पर यहां पर पुल बन जाये ।

काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर, वाराणसी के बी० ए० के छात्रों की पूरक परीक्षा

*7—श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की शाखा ज्ञानपुर काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर के बी0 ए0 प्रथम वर्ष का परीक्षा फल 20 जनवरी, 76 को घोषित हुआ तथा पूरक परीक्षा देने हेतु छात्रों को 22 जनवरी, 76 को उदय प्रताप महाविद्यालय, वाराणसी में बुलाया गया ? यदि हां तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

विश्वविद्यालय की सूचना के अनुसार काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर के बी0 ए0 प्रथम वर्ष का परीक्षाफल 17–1–76 को घोषित किया गया । पूरक परीक्षा जनवरी 22, 23 तथा 24, 1976 को लेने की घोषणा विश्वविद्यालय द्वारा 2 जनवरी, 1976 को ही प्रसारित कर दी गयी थी उसी के अनुसार पूरक परीक्षायें हुईं ।

विकास खन्ड, जसपुर, बांदा के अन्तर्गत सिंचाई के साधनों की मांग

*8—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा, तहसील बांदा के विकास खंड जसपुर में जो सिंचाई के मामले में अभी तक अछूता है, नलकूप लगाये जाने या नहर निकाले जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

प्रश्नगत् क्षेत्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पम्प नहर का निर्माण विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भूगर्भ जल संगठन को अन्वेषणात्मक बोरिंग के लिये भी लिखा गया है ।

[28 अप्रैल, 1976 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर उत्तरित ।]

शाहजहांपुर के अधिशासी अभियन्ता (1 भवन निर्माण मन्डल) के विरुद्ध आरोपों की जांच

*2—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 में उन्हें श्री जय प्रकाश, अधिशासी अभियन्ता भवन निर्माण मंडल, शाहजहांपुर के विरुद्ध वित्तीय

अनियमितताओं के गंभीर आरोप प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो इन गम्भीर आरोपों में क्या जांच की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां । मामले में सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री जय प्रकाश, अधिशासी अभियन्ता शाहजहांपुर ने कितने लाख रुपये की खरीद अवैध फर्मों से की है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मेरे पास जो सूचना है, उसके आधार पर इतना ही कहना चाहता हूं कि इन अभियन्ता महोदय ने बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अग्रिम भुगतान कर दिया । यह 18 लाख 47 हजार का था ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह 18 लाख रुपये का मामला है, लेकिन इस अधिकारी को निलम्बित क्यों नहीं किया गया है ? इसका कारण माननीय मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सतर्कता विभाग से जांच पड़ताल चल रही है ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो 74 में आपको शिकायत प्राप्त हुई और 76 में यह कह रहे हैं कि जांच चल रही है । क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, और दूसरे यह कि जब 17-18 लाख रुपये का मामला है, तो उस अधिकारी को निलम्बित क्यों नहीं किया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विभागीय कार्यवाही चल रही थी और इसी बीच में यह मामला सतर्कता विभाग में चला गया और विभागीय कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया । इसलिए उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

18 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान बिना ए0 जी0 की फार्मल एप्रूवल के नहीं हो सकता है । यह स्पष्ट रूप से फाइनेन्शियल रूल्स का उल्लंघन है, कि इतनी बड़ी धनराशि का अग्रिम पेमेंट कर दिया गया । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चा ता हूं कि इस धन के दुरुपयोग के लिये अभी तक शासन द्वारा इस भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जैसा मैंने निवेदन किया, विभाग इस अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने ही वाला था कि सतर्कता विभाग ने उस कार्यवाही को रुकवा दिया और जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तो हमारे लिए कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

जहां तक मैं सतर्कता विभाग की वर्किंग और कायदे कानून को जानता हूं अगर कोई विभाग अपने भ्रष्ट कर्मचारी के विरुद्ध कोई डिपार्टमेंटल एक्शन लेता है, तो उसे वह नहीं रोकता बल्कि शासन द्वारा जो रेफेरेन्स होता है, उसी के अनुसार वह काम करता है । इससे साफ स्पष्ट है कि उस इन्जीनियर की इस सचिवालय के किसी अधिकारी से सांठ-गांठ है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस अधिकारी को निलंबित करने में सरकार को कौन सी कठिनाई हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैं इसको देखूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

यदि 18 लाख का भुगतान बिना ए0 जी0 की पर्मीशन के किया गया है, तो यह मामला साफ एम्बेजलमेंट का है और इसमें हथकड़ी तक लग सकती है । सरकार को यह मामला पुलिस को देना चाहिये था अगर 18 लाख रुपया बिना किसी कानून के सरकारी खजाने से निकलता है। जब टेम्पोरेरी एम्बजलमेंट तक में, यह हो सकता है तो मेरी राय में आप अपने लीगल रिमेम्बरेन्सर से राय लेकर इन पर एम्बेजलमेंट करने का मुकदमा क्यों नहीं चलाते हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय सदस्य को हथकड़ी की बहुत याद आती है । मैंने अभी कहा था कि मैं इसको देखूंगा और जो उचित कार्यवाही होगी, अवश्य करूंगा । यदि सस्पेन्ड करने की आवश्यकता समझी गई तो, सस्पेन्ड भी किया जायगा ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

इसमें 18 लाख का अग्रिम भुगतान तो किया गया, साथ ही साथ जो खरीद की गई वह भी एप्रूव्ड फर्म से नहीं की गई तो प्राइमा फेसी सारा मामला एस्टैब्लिश है । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह सब अनियमित बात हुई तो उसको सस्पेन्ड न करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई और वह अधिकारी अभी भी वहीं पर मौजूद है, इससे बढ़ कर और क्या विभाग में अनियमितता हो सकती है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, 9–9–74 का जब पत्र आया तो उसके बाद यह बात नोटिस में आई और तब छानबीन की गई ।

आजमगढ़ में विद्यालय एवं महाविद्यालय स्थापित करने की मांग

*3—श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी, जूनियर उच्चतर माध्यमिक तथा महाविद्यालयों को खोलने के लिये कुछ वर्ष पहले सरकार द्वारा सर्वेक्षण कराया गया था ? यदि हां तो आजमगढ़ जिले में कहां-कहां, किन किन स्तरों के स्कूल खोलने की उक्त सर्वेक्षण में सिफारिशें की गई ? क्या यह सही है कि उसका पालन आजमगढ़ तथा और जिलों में नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

अखिल भारतीय तृतीय शैक्षिक सर्वेक्षण भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आदेशानुसार वर्ष 1973–74 में प्रारम्भ किया गया था । उसके संबंध में कुछ अनन्तिम आंकड़े प्राप्त हुये हैं परन्तु उसमें किसी भी स्तर के स्कूल/महाविद्यालय खोलने की सिफारिश नहीं की गई है । इस प्रकार की नई संस्थाओं को खोलना समय-समय पर नीति, आवश्यकताओं और आर्थोपाय स्थिति पर निर्भर करता है ।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सर्वेक्षण करने का अभिप्राय क्या था ?

श्री अम्मार रिजवी—

सर्वेक्षण जो हुआ, वह कई संस्थाओं द्वारा किया गया—1—नैशनल कौंसिल आफ एजूकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, 2—इंस्टीट्यूट आफ अप्लाइड मैनपावर रिसर्च, 3—यूनीवर्सिटी

ग्रांट्स कमीशन, 4—नेशनल स्टाफ कालिज फार एजूकेशनल प्लानर्स एण्ड ऐडमिनिस्ट्रेटर्स; 5—डिपार्टमेंट आफ कल्चर, मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन, गवर्नमेंट आफ इंडिया। तो यह बात स्पष्ट नहीं है कि किस सर्वेक्षण के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

अब तक जो विद्यालय और महाविद्यालय खोले गये हैं क्या उनके खोलने में इसका प्राविधान रखा गया है कि पिछड़े क्षेत्र और अविकसित क्षेत्र और जो गरीब-क्षेत्र हैं, अगर विद्यालय नहीं खुले हैं, तो वहां भी खोलने की नीति निर्धारण की जाय ?

श्री अम्मार रिजवी—

जो सर्वेक्षण हुआ, उसमें य0पी0 में जितने विद्यालयों की स्थिति है और वे किस प्रकार चल रहे हैं उसको देखते हुए जब विद्यालय खोलते हैं, तो यह अवश्य देखते हैं कि कहां पर बकवर्ड एरिया है, वहां पर जरूरत है या नहीं और विद्यालय खोलना उपयुक्त होगा या नहीं। यह नीति का प्रश्न है, शासन का।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि लगभग 2–3 वर्षों से जूनियर, प्रायमरी और इन्टरमीडिएट कालेज, डिग्री कालेज आदि खोलने में रुकावट पैदा कर दी गयी है और इनको मान्यता नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो पिछड़े हुए क्षेत्र में जहां शिक्षा का अभाव है, उनके खोलने के लिये उदारता बरती जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

शिक्षा के जहां तक महत्व का सवाल है और दूसरी जगह विद्यालय खोलने का प्रश्न है, सरकार इसके महत्व के पूर्णरूप से सहमत है, लेकिन ये सब चीजें हमारी वित्तीय पोजीशन और कठिनाइयों से संबंधित हैं। जब इस तरह की नीति बनाते हैं तो वित्तीय कठिनाइयां जरूर सामने आती हैं, ये उस प्रश्न से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से बैकवर्ड एरिया का सवाल आता है तो प्रयास करते हैं कि इन जगहों पर शिक्षा की सहूलियत जरूर दे दें।

*4–5—श्री अंठई राम—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

बसनी-बरही-नेवादा मार्ग, वाराणसी के निर्माण की मांग

*6—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खंड सा0 नि0 विभाग वाराणसी के अधिशासी अभियंता न मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को एक पत्र, पत्र संख्या 100ए/ 9-3-75, दिनांक 8–5–75 के संदर्भ में लिखा है कि बसनी, बरही नेवादा मार्ग, वाराणसी जनपद की प्रस्तावित पंचम पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित परिव्यय में नव निर्माण के प्रस्ताव में क्रम संख्या 2 पर सम्मिलित कर लिया गया है ? और उसकी सूचना अधीक्षण अभियंता, 20 वां वृत सा0 नि0 विभाग, वाराणसी तथा प्रश्नकर्ता को भी पत्रांक 2023-36 सी, दिनांक 7–6–75 द्वारा दिया है ? यदि हां, तो इस सड़क पर कबसे कार्य शुरू किया जायेगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। लेकिन प्रश्नगत मार्ग का केवल बसनी–क्वार भाग ही प्रस्तावित मार्गों की सूची में क्रम सं0 –2 पर सम्मिलित है।

धन की कमी के कारण इस मार्ग का निर्माण स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री ऊदल—

यह सड़क इतनी महत्वपूर्ण है कि लोग 15 मील जौनपुर जाते हैं, तब 30 मील बनारस जाते हैं, बीच में कोई सड़क नहीं है। भारत सरकार ने भी स्वीकृति दे दी है, शायद मंत्री

जी को जानकारी नहीं होगी, तो इसकी अहमियत को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी कुछ न कुछ कार्य इस पर कराने की कृपा करेंगे और उसके बाद जिस तरह से धन उपलब्ध होता जायगा, उस तरह से पक्का करायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, बसनी से क्वार तक तो पंचवर्षीय योजना में यह शामिल है, लेकिन जितना माननीय सदस्य चाहते हैं, वह सब नहीं है। वह कुछ जिला परिषद् की कच्ची सड़क है। धन उपलब्ध होने पर ही विचार किया जा सकता है।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, जिला परिषद् ने भी ट्रांसफर कर दिया है और वहां के चेयरमैन ने 1–2 साल पहले लिख दिया है, जिलाधीश ने भी लिख दिया है, वह परेशानी दूर हो गयी है। भारत सरकार ने भी मंजूरी दे दी है, वह भी रुपया देगी। 33 लाख का एस्टीमेट है, यह सब बन गया है। तो क्या अब इस पर कुछ काम शुरू करा देंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, यह सड़क 14 किलोमीटर है और आगणन 12 लाख 4 हजार रुपया है। यह जिला परिषद् की है। माननीय सदस्य कहते हैं कि वह सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दी गयी है, तो अभी उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

अभी अखबारों म हम लोगों ने यह समाचार पढ़ा कि हर एम0 पी0 के निर्वाचन क्षेत्र में 18 किलोमीटर सड़क बनने वाली है। इस सड़क के महत्व को देखते हुए क्या इस योजना में, इसको सम्मिलित कर लेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जब ऐसा प्रश्न सामने आयेगा, तो उस समय विचार कर लिया जायेगा।

*7–8—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

[10वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8–9 पर स्थानान्तरित।]

फर्रुखाबाद की रजीपुर-छिबरामऊ सड़क के निर्माण की मांग

*9—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद के रजीपुर से छिबरामऊ सड़क की सर्वे हेतु कोई प्रार्थना पत्र अप्रैल, 75 में सार्वजनिक निर्माण मंत्री को मिला है ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ऐसा कोई प्रार्थना पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अनवार जमील—

मेरे पास उसकी प्रतिलिपि भी है और जो पत्र-व्यवहार हुआ है, वह भी है। अगर इन दोनों चीजों को मैं माननीय मंत्री जी को दे दूं तो क्या वह इस सड़क का सर्वे करायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय सदस्य ने जो भी लिखा है, वह दूसरी सड़क के सम्बन्ध में लिखा है और प्रश्न किसी दूसरी सड़क के सम्बन्ध में है।

श्री अनवार जमील—

उसमें रजीपुर से उधमपुर है। उससे आगे छिबरामऊ पड़ता है। तो उसमें कोई फर्क नहीं है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह तो रजीपुर से छिबरामऊ है।

फतेहपुर जिलान्तर्गत निर्मित राजकीय नलकूप

*10—श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जून, 1974 से 15 अक्तूबर, 1975 तक प्रत्येक विकास खंड जिला फतेहपुर में कितने-कितने की बोरिंग (खुदाई) की गयी और किन कारणों से खजुहा एवं अमौली विकास खंड जिला फतेहतुर में उपरोक्त तिथि से एक भी राजकीय नलकूप नहीं बनाया गया है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष—

यह अगले दिन आयेगा ।

श्री प्रेमदत्त—

मान्यवर, 6 महीने तो हो गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

एक मौका और दे रहा हूं ।

फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्र के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना की मांग

*11—श्री प्रेमदत्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम होलो सराय, विकास खंड देवमई, जिला फतेहपुर में रिन्द नदी से पम्पिग सेट द्वारा या लिफ्ट योजना के अन्तर्गत पानी लेकर जहानाबाद रजबहा को पानी देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जी नहीं ।

जहांनाबाद क्षेत्र में पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध कराने के लिये घाटमपुर रजबहे का पुनरोद्धार किया जा रहा है ।

श्री प्रेमदत्त—

होलो सराय ग्राम से रजबहा केवल एक किलोमीटर की दूरी पर है । तो क्या इसका सर्वे करा कर कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

आप लिख कर दे देंगे तो सर्वे करा लेंगे, देख लेंगे ।

श्री प्रेम दत्त—

अब तक कितना पानी दिया जा रहा है इस रजबहे को, और कितना पानी बढ़ाया जा रहा है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

घाटमपुर रजबहा से इस समय 447 क्यूसेक्स पानी चल रहा है । उसको बढ़ा कर 571 क्यूसेक्स किया जाने वाला है । इस प्रकार 136 क्यूसेक्स पानी इसका बढ़ जायेगा ।

शारदा सहायक कालोनी, बिसवां, सीतापुर के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*12—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शारदा सहायक कालोनी बिसवां (सीतापुर) के कर्मचारी वर्ग अपनी मांगों के सम्बन्ध में 20 मई, 75 से आन्दोलन कर रहे हैं तथा उनका कोई प्रतिनिधि मण्डल अधिशासी अभियन्ता (श्री गोविल) से मिला था तथा अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं और उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

प्रश्न में कथित कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ग ने 20-5-75 से नहीं बल्कि 14-5-75 से आन्दोलन किया था। किन्तु उनका कोई भी प्रतिनिधि मंडल अधिशासी अभियन्ता (श्री गोविल) से नहीं मिला और न ही उन्हें कोई मांग-पत्र प्रस्तुत किया। अतः इस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

शारदा सहायक परियोजना, लखीमपुर-खीरी के मजदूरों द्वारा मुख्य मन्त्री का घेराव

*13—श्री बाबू लाल वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 20 मई, 73 से 31 मई, 75 के बीच मुख्य मंत्री बहराइच, लखीमपुर खीरी पर शारदा सहायक परियोजना के कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने गये तो छटनी के विरोध और स्थायीकरण की मांगों के सम्बन्ध में 38 मजदूर गिरफ्तार किये गये क्योंकि वर्कचार्ज स्टाफ के सैकड़ों मजदूरों ने उन्हें घेर लिया था? यदि हां, तो उनका क्या अपराध था और उन्हें स्थायी न करने के क्या कारण हैं?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

वाराणसी के बेसिक अध्यापकों के वेतन जा भुगतान न होना

*14—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमारी सुषमा मांगलिग, उप सचिव शिक्षा ने अपने पत्र संख्या 1296/(1)/15(5)-400(71)/73, दिनांक 15 मार्च, 1974 द्वारा शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को निर्देश भेजा है कि वाराणसी के पांच अध्यापकों के वेतन तथा महंगाई के बारे में आख्या एवं संस्तुति शासन को तुरन्त भेजें, क्योंकि मामले में अत्यधिक विलम्ब हो गया है? यदि हां, तो क्या शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने अपनी सूचना एवं संस्तुति भेज दी है? क्या उसके पहले भी पत्र संख्या 6698(1)/15-5-400(71)/73, दिनांक 8-1-74 द्वारा भी शिक्षा निदेशक को इस संबंध में निदेश भेजा गया है? यदि हां, तो इन सरकारी निदेशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

जी हां।

जी हां।

शिक्षा निदेशक की आख्या प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप शासन के निदेशों के पालन न होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल—

मान्यवर, 1974 का यह मामला है। तो शिक्षा निदेशक की आख्या अब तक प्राप्त हुई या नहीं? अगर नहीं प्राप्त हो रही है, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही होगी?

श्री अम्मार रिजवी—

शिक्षा निदेशक की आख्या प्राप्त हो गयी है और उसमें जो तथ्य हैं, वे शासन के विचाराधीन हैं।

श्री ऊदल—

मान्यवर, यह 5 अध्यापकों का मामला है। ये प्राइमरी के अध्यापक हैं। वेतन तथा महंगाई के बारे में मामला 5-6 साल से लटका हुआ है। तो यह कब तक शासन के विचाराधीन रहेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इन पांचों अध्यापकों की नियुक्तियां नगरपालिका ने की थीं। 1950 से इनको सी0 टी0 ग्रेड दिया जाता रहा। यह ग्रेड इनको नहीं मिलना चाहिये था, क्योंकि यह जूनियर स्कूल में पढ़ाते थे। जब उनके वेतन क्रम का रिवीजन हुआ तब भी यह टीचर्स यही ग्रेड पाते रहे और रिवाइज्ड डी0 ए0 भी यह लेते रहे। इनमें से जब एक अध्यापक रिटायर हुआ, उस समय आडिट ने एतराज किया कि यह ग्रेड इन टीचर्स को नहीं मिलना चाहिये था। उन्होंने उनकी पेन्शन पर आपत्ति की। जब यह मामला शासन के पास आया तो शासन ने नगरपालिका वालों से पूछतांछ की। शासन के पास यह अब आ गया है और इसमें शीघ्र निर्णय लिया जायगा।

कानपुर जिले के डेरापुर कन्या जूनियर हाई स्कूल की छात्राओं एवं अध्यापकों की संख्या तथा उन पर व्यय की जाने वाली धनराशि

*15—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के विकास खंड डेरापुर के ग्राम डेरापुर के कन्या जूनियर हाई स्कूल में इस समय छात्राओं की अलग-अलग कक्षावार क्या संख्या है और यहां पर कितनी कौन-कौन अध्यापिकायें तथा कर्मचारी हैं और उन्हें कुल मिला कर प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 346 पर।)

*16—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या यह सही है कि इस स्कूल में प्रति माह प्रति छात्र पर 100 रुपये अध्यापिकाओं और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रति छात्रा पर रु0 76 प्रतिमास व्यय हो रहा है और इसका मुख्य कारण छात्राओं की कमी है।

गोरखपुर में गन्डक नहर के कतिपय राजबहों के टूटने सम्बन्धी शिकायतें

*17—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (अनुपस्थित)—

प्रथम सत्र 1975 के नवें बुधवार के लिये स्वीकृत तारांकित प्रश्न संख्या 40 जिसमें गण्डक नहर की राजवही सरैया, सोन बरसा एवं बसन्तपुर गोरखपुर से संबंधित कितन गांवों की फसलें अधिक पानी आने, अधूरी होने व टूटे-मेड़े स्थानों पर टूटने के कारण मार्च, 74 से सितम्बर, 75 तक क्षति आदि के विषय में कितनी शिकायत प्रश्नकर्ता ने शासन को प्रस्तुत किया है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति—

माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 2 जुलाई, 1974, 21 जनवरी, 1975, 13 मार्च, 1975 और 25 मार्च, 1975, सरैया सोनबरसा एवं बसन्तपुर राजबहों के अधूरे होन व टूटे-मेड़े स्थानों पर टूटने से पानी से खती की क्षति के सम्बन्ध में प्राप्त हुये थ। इस विषय में जांच कराई गई। राजबहों का निर्माण सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत समरेखन एवं लम्बछिन्नक के अनुसार हुआ है और यह अधूरे अथवा टूटे-मेड़े नहीं है। इन नहरों से मार्च, 1974 से सितम्बर, 1975 की अवधि में कोई क्षति नहीं हुई है।

देवरिया की नगरपालिका गौरा बरहज में फर्जी राशन कार्डों की जांच

*18—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि देवरिया जनपद की नगरपालिका गौरा बरहज में वर्ष 1975 में नागरिकों द्वारा गठित राशन कार्ड जांच समिति की मांग पर फर्जी राशन कार्डों की जांच पूर्ति कार्यालय के अधिकारियों द्वारा की गई है जिसमें लगभग 9,000 से अधिक कार्ड फर्जी पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, किन्तु जांच में 9,000 से अधिक फर्जी राशन कार्ड्स नहीं, अपितु यूनिट्स पाई गई ।

जिलाधिकारी, देवरिया ने राजस्व स्टाफ के एक नायब तहसीलदार और पांच लेखपाल तथा दो अमीनों की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करने व अन्य तीन अमीनों को, उनके द्वारा क्षमा याचना पर, भविष्य में सतर्कतापूर्वक कार्य करने के लिये चेतावनी दी ।

अन्य सम्बन्धित राज कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

*19—श्री श्रीनारायण—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

गोरखपुर विश्वविद्यालय का परीक्षा फल

*20—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का इस वर्ष का परीक्षा फल अब तक नहीं निकला ? यदि हां, तो इस विलम्ब का क्या कारण है और जिन छात्रों का परीक्षाफल अभी तक नहीं निकला है उनको हानि से बचाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

विश्वविद्यालय की सूचना के अनुसार संलग्न सूची में दिये गये मामलों को छोड़-कर गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं के परीक्षाफल घोषित हो चुके हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 347 पर ।)

बेसिक स्तर की शिक्षा को जिला परिषद् के अधीन किए जाने की मांग

*21—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की सम्पूर्ण बेसिक शिक्षा को जिला परिषदों के अधीन करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों? यदि हां, तो कब तक बेसिक शिक्षा को जिला परिषद् के अधीन करने का आदेश कर दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं । उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अनुसार बेसिक स्तर की शिक्षा का उत्तरदायित्व बेसिक शिक्षा परिषद् को सौंपा गया । उस अधिनियम में कोई परिवर्तन वांछनीय नहीं है ।

मुरादाबाद, अमरोहा नगर पालिका व ब्लाक द्वितीय के प्राथमिक अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं के अवशेष वेतन का भुगतान

*22—हाजी मोहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में अमरोहा नगर पालिका क्षेत्र तथा अमरोहा ब्लाक द्वितीय में स्थित प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं

को अगस्त, 1972 से अप्रैल 75 तक के वेतन का अवशेष धन अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद मुरादाबाद में अमरोहा नगरपालिका क्षेत्र तथा अमरोहा ब्लाक द्वितीय के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक/अध्यापिकाओं का प्रश्नगत अवधि के अवशेष वेतन का भुगतान उनको हो गया है।

हाजी मोहम्मद हयात--

मेरी जानकारी यह है कि अवशेष वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, एक "चेक का नं0 है 1781/12 दिनांक 24-1-1976। दूसरे चेक का नम्बर हैजिसके द्वारा भुगतान हुआ है.. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

आप सन्तुष्ट हैं कि भुगतान हो गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। मेरे पास तो चेक के नम्बर तक हैं।

हाजी मोहम्मद हयात--

कागजों पर ही आपके हैं, मगर टीचर्स को अभी भुगतान नहीं हुआ है। मेरी सूचना पर क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मैं इसकी जांच करवा लूंगा; मगर यह बात समझ में आती नहीं है कि भुगतान न हुआ हो।

जालौन के श्री सिद्धेश्वर, हरिजन नरसरी बेसिक स्कूल की मान्यता की समाप्ति

*23--श्री वीर सिंह सेंगर तथा डाक्टर मलखान सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि जिला जालौन के श्री सिद्धेश्वर हरिजन नरसरी बेसिक स्कूल को अप्रैल, 75 में मान्यता दी गयी थी और दिसम्बर, 75 में रद्द कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

विद्यालय को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कुछ प्रतिबन्धों के साथ मान्यता दी गई थी। इसके उपरान्त कुछ शिकायतें विद्यालय के सम्बन्ध में प्राप्त हुई जिनकी मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक ने जांच की। मान्यता की किसी भी शर्त पूरी न होने के कारण इस विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी गई।

डाक्टर मलखान सिंह--

मान्यवर, मेरे पास शिक्षा अधिकारी का पत्र मौजूद है, जिसमें यह लिखा है कि ". . . . . सभी पक्षों को देखकर इस स्कूल को स्थायी मान्यता निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ दी जाती है. . . . . ."। इसमें जो प्रतिबन्ध नीचे लिखे हैं, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है, जिससे किसी शर्त की पूर्ति न होती हो। सभी शर्तें पूरी होती हैं, मगर फिर भी एक बार मान्यता देकर, फिर उसकी मान्यता समाप्त कर देना 8 माह बाद यह गलत है। क्या सरकार ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी जिसने स्वयं पहले मान्यता प्रदान की और फिर अपने आप ही उसकी मान्यता को समाप्त कर दिया।

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, जिस समय वह मान्यता दी गयी थी, उस समय कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये थे और उन प्रतिबन्धों की सूची मेरे पास है, अगर आप आज्ञा देंगे तो उसे मैं पढ़ दूंगा। उसके

बाद जो प्रतिबन्ध लगाये गये थे, उनके पूरा न होने पर मान्यता वापस ले ली गयी। लेकिन जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनको मान्यता वापस लेने का कोई अधिकार नहीं था। इस सिलसिले में, शासन ने उनसे जवाबतलवी भी की है और जो भी उचित कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

डाक्टर मलखान सिंह—

जहां तक मेरी जानकारी है, उप शिक्षा निदेशक ने विद्यालय में जाकर कोई जांच नहीं की। यदि उन्होंने जांच की तो प्रबन्ध समिति को उसकी नोटिस देना चाहिये था। इस तरह की कोई नोटिस उन्होंने नहीं दी और हरिजन बेसिक नर्सरी स्कूल की मान्यता वापस ल ली गयी जिसकी वजह से सैकड़ों बच्चे जो उस विद्यालय में पढ़ते थे और तमाम अध्यापक जो उस स्कूल में लगे हुए थे, उनका जीवन और भविष्य खराब हो रहा है। तो सरकार उन बच्चों की पढ़ाई तथा अध्यापकों के जीवन निर्वाह के लिये क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, मान्यता जिस तरह से दी गयी, उसकी तो एक लम्बी कहानी है लेकिन जो बात माननीय सदस्य ने कही—उन तमाम बातों की पूरी छानबीन करने के बाद ही कोई बात कही जा सकती है, उसके पहले नहीं।

जालौन के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत कथित अध्यापक

*24—श्री बीर सिंह सेंगर तथा डाक्टर मलखान सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में कितने ऐसे बेसिक अध्यापक 1 फरवरी, 76 को हैं जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सेवारत हैं और अपने अपने स्कूल में पढ़ाने नहीं जाते? क्या इस व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जिला जालौन में प्रश्नगत तिथि को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कोई ऐसा अध्यापक कार्यरत नहीं था।

डाक्टर मलखान सिंह—

मेरा प्रश्न यह है कि कितने ऐसे बेसिक अध्यापक 1 फरवरी, 1976 को है जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय म सेवारत हैं और अपने अपने स्कूल में पढ़ाने नहीं जाते? मेरा मलतब है कि वे बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में तैनात हैं तथा वहीं ड्यूटी करते हैं और अपनी हाजिरी भरते हैं। उन अध्यापकों के स्कूल से वापस लेने की वजह से छात्रों की पढ़ाई की कोई सही व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कितने ऐसे अध्यापक हैं, जो 1 फरवरी, 76 से बराबर बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सेवारत हैं और अपने-अपने विद्यालय में नहीं जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

इससे यह प्रश्न नहीं निकलता।

डाक्टर मलखान सिंह—

मेरा मतलब है कि वे बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सेवारत हैं यानी कंटिन्यू कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

सेवारत हैं और कार्यालय में काम कर रहे हैं, इन दोनों में फर्क है।

डाक्टर मलखान सिंह—

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन अध्यापकों को उनके विद्यालयों से वापस लेकर उनको अपने आफिस में अटैच कर लिया है, वर्षों से वे वहां अटैच हैं और अपने विद्यालयों

में नहीं जाते हैं। मैं शब्दों के भाव में नहीं जाना चाहता हूं। दो तीन वर्ष पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन अध्यापकों को अपने आफिस में अटैच कर लिया था, तो मैं जानना चाहता हूं कि 1 फरवरी, 76 को कितने ऐसे अध्यापक थे, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सेवारत थे ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस तरह से पहले यह प्रश्न नहीं पूछा गया था। सम्मानित सदस्य ने पूछा था कि उस कार्यालय में कौन-कौन अध्यापक थे। अगर यह प्रश्न इस तरह से पूछा गया होता कि जालौन में कितने ऐसे अध्यापक थे, जो 1 फरवरी, 76 को सेवारत थे, तो इस तरह की चीज न पैदा होती।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न आपका लचर है।

लखनऊ एवं मेरठ डिवीजन के खाद्य तथा रसद विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों का आडिट

*25—श्री हुबराज (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ एवं मेरठ डिवीजन में खाद्य तथा रसद विभाग के आडिट सेल ने अधीनस्थ कार्यालयों का किस अवधि तक का आडिट किया ? क्या शासन द्वारा बनाये गये नियम के अन्तर्गत निश्चित अवधि में निरीक्षण कार्य कर लिया गया ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बहराइच के कतिपय विकास खन्डों के चीनी के कोटेदार

*26—श्री कमला प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिहरपुर रानी, सिरसिया, गिलौला, एवं इकौना विकास खंड, जनपद बहराइच की कितनी न्याय पंचायतें हैं जहां पर दिसम्बर, 1975 और जनवरी 76 में शकर कोटेदारों की व्यवस्था नहीं की गई ? और कब तक कोटेदार नियुक्त कर दिये जायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला बहराइच के हरिहरपुर रानी, सिरसिया, गिलौला, तथा इकौना विकास खंडों की 10 न्याय पंचायतों में दिसम्बर, 1975 तथा जनवरी, 1976 में चीनी के कोटेदारों की व्यवस्था नहीं की जा सकी। विकास क्षेत्र गिलौला की न्याय पंचायत रामगढ़ी, विकास क्षेत्र सिरसिया की न्याय पंचायत लालपुर, अयोध्या तथा विकास क्षेत्र इकौना की न्याय पंचायत खर्चबीरान में कोटेदारों की नियुक्ति फरवरी, 1976 से प्रभावी हो चुकी है। जिलाधिकारी को आदेश दे दिये गये हैं कि वे शेष 7 न्याय पंचायतों में शक्कर कोटेदारों की नियुक्ति अविलम्ब करने की व्यवस्था करें।

*27—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री मधुकर दिघे तथा श्री शारदा प्रसाद रावत—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

राष्ट्रीय इन्टर कालेज, जब्दा, जिला मुरादाबाद के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*28—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय इन्टर कालेज जब्दा, तहसील अमरोहा, जनपद मुरादाबाद के प्रधानाचार्य के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार से सम्बन्धित एक आरोप पत्र कालेज के प्रबन्धक महोदय की ओर से दिनांक 6 जनवरी, 76 को शिक्षा निदेशक,

लखनऊ को दिया गया था ? यदि हां तो मुख्य शिकायतें क्या थीं उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। मुख्य शिकायतों की सूची संलग्न है। संस्था के अभिलेख सील करा दिये गये तथा वेतन वितरण खाते का एकाकी संचालन किया जा रहा है। किन्तु विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा सील कराये गए अभिलेखों का बंडल विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध न कराने के कारण अभी तक लेखों के आडिट की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 348 पर।)

हाजी मोहम्मद हयात—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि रिकार्ड कब सील हुआ उसकी तिथि बता दें ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य हयात साहब ने एक कम्पलेन्ट दी थी जो 6 जनवरी, 76 को दी थीं। 20-1-76 को उसे डिप्टी डाइरेक्टर को भेजा गया और उसके बाद रिकार्ड वगैरह, कम्पलेन्ट के ऊपर सील किये गये थे।

हाजी मोहम्मद हयात—

मान्यवर, 6 जनवरी को एक शिकायती-पत्र दिया गया था और मान्यवर, जांच हुयी नहीं रिकार्ड सील कर दिया गया। आज तक जांच नहीं हो पायी है, तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वह जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा उस रिकार्ड की जांच करायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, जैसे ही पत्र मिला, उसके बाद उप-शिक्षा निदेशक को भेज दिया गया। इसके बाद रिकार्ड सील किया गया। प्रिंसिपल के यहां से रिकार्ड सील किया गया और प्रबंधक के यहां का रिकार्ड सील किया गया। आडिट पार्टी ने कहा कि इसको मुख्य मंत्री या शिक्षा मंत्री के सामने खुलवायेंगे। फिर सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा कि अपनी निगरानी में खुलवाकर इनको आडिट पार्टी के सामने रखें जिससे जो तथ्य हों वह सामने आ सकें।

हाजी मोहम्मद हयात—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जहां तक रिकार्ड के आडिट का सवाल है, वह तो स्पेशल आडिट पार्टी करती है जिलाधिकारी तो कर नहीं सकता। उनके सुपरविजन में जांच करायी जा रही है। इसके आदेश जारी किये जा चुके हैं।

बलिया जिले की बांसडीह दहताल, सिकन्दरपुर सड़क के निर्माण में बरती गयी अनियमितता

*29—श्री निर्भय नारायन सिंह (जिला बलिया)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के बांसडीह दहताल-सिकन्दरपुर सड़क निर्माण में किये गये भ्रष्टाचार की शिकायत दिनांक 27-10 75 पर टेक्निकल जांच के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो जांच कब प्रारम्भ हुई तथा जांच के परिणाम क्या हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। प्रश्नगत जांच प्राविधिक परीक्षक द्वारा दिनांक 5-1-76 को आरम्भ की गयी। जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।

बलिया जिले की निर्माणाधीन खेजुरी-मनियर मार्ग

*30—श्री निर्भय नारायन सिंह—

क्या यह भी सही है कि बलिया जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन खेजुरी मनियर मार्ग पर छोटी गिट्टी आवश्यक रूप से समय से दो साल पूर्व बिना जरूरत ही खरीदी जा चुकी है जो कि काफी मात्रा में मौके पर कम पाई गई है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बलिया जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन खेजुरी–मनियर मार्ग पर छोटी गिट्टी (ग्रिट) वित्तीय वर्ष 1974–75 में एकत्रित की गयी। परन्तु पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा सका। इस गिट्टी की मात्रा मौके पर कम पायी गयी है जिसके विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री निर्भय नारायन सिंह—

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या 29 के सम्बन्ध में रिपोर्ट क्या है ? वह रिपोर्ट क्या है, वह बताया नहीं। चूंकि गोपनीय नहीं है, इसलिये बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, रिपोर्ट में है कि बांसडीह मनियर एवं सिकन्दर पुर मार्ग पर ईटों की गिट्टी का साइज, छोटी गिट्टी, कम साइज की पायी गयी। दूसरा यह है, खेजुरी–मनियर मार्ग पर लाखों की सप्लाई दिखायी गयी है और माल की सप्लाई मौके पर नहीं है। 211 क्यूबिक मीटर कम मिली।

श्री निर्भय नारायन सिंह—

मान्यवर, प्रश्न संख्या 30 से सबंधित प्रश्न में बताया गया है कि धन उपलब्ध न होने के कारण काम नहीं हो सका। छोटी गिट्टी खरीद ली गयी है। मान्यवर, पहले गिट्टी का काम होता है, फिर ईंटा लगाने का काम होता है फिर मोटी गिट्टी लगायी जाती है, उसके बाद पत्थर की गिट्टी लगती है और फिर छोटी गिट्टी लगती हैं, पांचवें नम्बर पर। तो जब मिट्टी का काम नहीं हुआ था, तो उस समय छोटी गिट्टी खरीदने का क्या औचित्य है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, धन की कमी के कारण जो काम जहां पर था वहीं रोकना पड़ा। अगर धन उपलब्ध होता तो काम बंद नहीं होता।

श्री ऊदल—

पहले मिट्टी डालनी चाहिये या गिट्टी ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, जैसा निर्भय नारायण सिंह जी ने कहा कि पहले मिट्टी फिर ईंटा और मोटी गिट्टी और फिर पत्थर की गिट्टी के बाद छोटी गिट्टी का नम्बर पांचवें पर आता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सारा काम न करके, पिछले, 2 सालों से जो अधिशासी अभियंता हैं पी0 डब्ल्यू0 डी0 के उन्होंने 30–40–50 लाख की छोटी गिट्टी खरीदी और जन साधारण का ऐसा विचार है कि कोई अग्रवाल कांट्रेक्टर हैं। पैसा खत्म हो रहा था, पैसा निकाल कर जल्दी-जल्दी मिलकर सामान खरीद लिया गया। तो क्या माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे कि जहां पर जिस काम की आवश्यकता नहीं है उस पर लाखों रुपये क्यों खर्च किये जा रहे हैं और अधिशासी अभियन्ता का क्या उसमें शेयर है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, माननीय सदस्य की इस सूचना पर अवश्य जांच करा देंगे।

श्री निर्भय नारायन सिंह--

मान्यवर, स्पष्ट है कि 4 नं0 के काम के बजाय 5 नं0 का काम हुआ और जो सप्लाई किया वह भी शार्ट है। यह तब पता चला जब जूनियर इंजीनियर का ट्रान्सफर हुआ और बिना माल के पेमेन्ट हो गया था, तो यह चीज जब तक नहीं हो सकती जब तक उस में विभाग संलग्न न हो। इसलिये क्या जूनियर इंजीनियर और अधिशासी अभियंता को तुरन्त निलम्बित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, जो रिपोर्ट आयी है वह परीक्षण में है। उसके बाद ही उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री निर्भय नारायन सिंह--

मान्यवर, पांच नं0 पर सप्लाई लेंगे और न ईंटा बिछाया गया और न गिट्टी पड़ी इसलिये फर्जी सप्लाई लिया और वह मौके पर नहीं मिला। तो क्या इसकी मंत्री जी जांच करायेंगे और स्टाफ को तुरन्त सस्पेंड करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं तो सस्पेंशन की कार्यवाही हो रही है और अलग करने की भी कार्यवाही हो सकती है।

श्री बनवारी राम यादव (जिला बलिया)--

मान्यवर, इसकी भी रिपोर्ट है और हमको भी जानकारी है कि पी0 डब्लू0 डी0 में बलिया जनपद में 40 लाख रु0 की गिट्टी खरीदी गयी और उसमें एक तिहाई मात्रा कम है। सारे जिले में 15 20 लाख का भ्रष्टाचार किया गया है। इसलिये हमारी मांग है कि क्या सरकार इसकी पूरे जिले में जांच करायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

माननीय सदस्य चाहेंगे तो पूरे जिले की भी जांच करायी जा सकती है।

शाहजहांपुर जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध गबन की शिकायत

*31--श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र 1975 के चौथे बुध0 (2-4-75) के तारांकित प्रश्न संख्या 52 के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्राप्त शिकायतों की जांचोपरान्त जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध निम्न कार्यवाही की गई :--

(1) एक अधिशासी अभियन्ता को चेतावनी दी गई।
(2) एक सहायक अभियन्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गयीं।
(3) एक सहायक अभियन्ता की एक वार्षिक वेतनवृद्धि स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया।
(4) एक अवर अभियन्ता की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां स्थायी रूप से रोकने के आदेश दिये गये।

प्रदेश में प्रति व्यक्ति खुराक की कैलरीज बढ़ाए जाने की मांग

*32--श्री राम अधार (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश की औसत प्रति व्यक्ति कितने कैलरीज खुराक की बढ़ाने के लिये कोई योजना उसके विचारधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी योजना के बनाने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

नहीं ।

उपरोक्त उत्तर के कारण इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

प्रदेश के ग्रामीण व शहरी कुल क्षेत्र में पूर्ण राशनिंग व्यवस्था लागू नहीं है । केवल शहरी क्षेत्रों में इनफारमल राशनिंग व्यवस्था लागू है जिसके माध्यम से गेहूं, चावल व मोटे अनाज उपलब्धता के आधार पर दिये जाते हैं । उत्पादक अपनी आवश्यकतानुसार खाद्यान्न रोक कर शेष सरप्लस बाजार में बेचते हैं । राशन की दुकानों के अलावा जनता खुले बाजार से खाद्यान्न की अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्रय शक्ति व आवश्यकतानुसार खाद्यान्न क्रय करता है । ऐसी परिस्थिति में प्रति व्यक्ति खुराक की कैलरीज बढ़ाने के लिये किसी विशेष योजना की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने व जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिये सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ।

बाराबंकी शारदा सहायक की फीडर नहर के पानी से फसल को क्षति

*33—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या शासन को ज्ञात है कि बाराबंकी जनपद में शारदा सहायक (फीडर चैनल) पर बने कल्यानी साइफन में सिंचाई अधिकारियों द्वारा फरवरी, 76 की पहली तारीख को नहर का पानी खोल दिया गया, जिससे ग्राम संवरहा, मौजमपुर, धरमपुर, मोहन पुर, लसारी, सरैया, पहाड़ापुर, देवरा, जजियामऊ व अन्य गांवों की लगभग 5000 एकड़ खड़ी फसल नष्ट हो गई ? यदि हां, तो क्या शासन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी व किसानों को प्रतिकर दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

कल्यानी साइफन में नहर का कोई पानी नहीं छोड़ा गया था । शारदा सहायक (फीडर नहर) पर दो स्केप हेड बनाये गये हैं । ये स्केप नहर की सुरक्षा के लिये बनाये गये हैं । स्केपों में खारिज होने वाला पानी पूर्वी व पश्चिमी कल्यानी नदियों में डाला जाता है । स्केपों द्वारा जनवरी व फरवरी, 1976 में पानी खारिज करने की आवश्यकता पड़ी । कृषकों द्वारा नदी की तली में बोई हुई लगभग 260 एकड़ फसल को इस पानी से क्षति पहुंची । चूंकि स्केप नहर के अधिक जल को आवश्यकता पड़ने पर खारिज करने के लिये ही निर्माण हुये हैं अतः स्केपों के जल से फसल की क्षति के मुआवजा देने या किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

मान्यवर, कल्याणी नदी में जो पानी डाला जाता है, उसमें 50 गांव हैं जो कि उसकी चपेट में आ जाते हैं । लेकिन जो पानी जनवरी और फरवरी में छोड़ा गया उससे 50 गांवों की लाखों रुपये की फसल तबाह हो गयी है । तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस अधिकारी द्वारा पानी छोड़ा गया और कौन-कौन गांवों का निरीक्षण कराया गया है ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

मान्यवर, पानी तब छोड़ा जाता है जब कि किसानों की आवश्यकता हो । जहां तक 206 एकड़ के नुकसान की बात है तो यदि कोई अत्यन्त नीचे की जमीन है और नीचे बोई गयी है, तो स्वाभाविक है कि नुकसान होगा ।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी का कहना है कि कल्याणी नदी में कृषकों की आवश्यकता के लिये पानी छोड़ा जाता है । हमारी समझ में यह बात नहीं आती । अभी मंत्री जी ने यह कहा था कि स्केप में वह पानी छोड़ा जाता है, जिसकी जरूरत नहीं होती । आप अपना उत्तर ठीक करें । मेरा पूछने का मकसद यह था कि 260 एकड़ जमीन जो कल्याणी नदी की

तलहटी में डूब गयी है तो किन-किन गांव का किन-किन अधिकारियों से निरीक्षण करवाया जिन्होंने यह रिपोर्ट दी ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

यदि आप उचित समझते हों तो उन गांवों का नाम लिखकर दे दें। हम जांच करवा लगे।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

हमारे प्रश्न में ही गांवों के नाम दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने, डी० एम० ने, किसानों ने चीफ इंजीनियर को लिख कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपकी जानकारी में यह है कि डी० एम० ने चीफ इंजीनियर को लिखा है कि यह यह गांव डूब गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या आप डी० एम० और कमिश्नर से रिपोर्ट मंगायेंगे ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जी हां। कमिश्नर और डी० एम० से रिपोर्ट मंगा ली जायगी।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

एस्केप इसलिये बनाया गया कि कल्याणी नदी में पानी डाला जाय और अगर किसान की फसल डूब जाती है तो मुआवजे देने का सवाल नहीं उठता। यह उचित नहीं है। किसान अपनी फसल बोता है। वह भी कह सकता है कि हमने फसल बोयी है, आपको नष्ट करने का अधिकार नहीं है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या अधिकारी यह एहतियात बरतते हैं कि इतना पानी न डाला जाय कि किसानों की फसल ही नष्ट हो जाय ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

अधिकारियों को इस पर ध्यान रखना चाहिये। लेकिन साथ ही किसान को भी ध्यान रखना चाहिये कि इतने नीचे न बोयें कि डूब जाय।

श्री ऊदल—

यह रबी की फसल का मामला है खरीफ का नहीं है। क्या मंत्रीजी उन किसानों की जमीन सिंचाई विभाग मे ले लेगे और उतनी ही जमीन बदले में ऐसे ऊचे स्थान पर दिलाने की व्यवस्था करेंगे जहां उनकी फसल न डूबे ?

श्री जगन्नाथ चौधरी—

जब सिंचाई विभाग को जमीन की जरूरत पड़ेगी, तो उस पर विचार कर लिया जायगा, लेकिन अभी सिंचाई विभाग को जमीन की आवश्यकता नहीं है।

*34—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[5वे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 27 पर स्थानान्तरित।]

*35—श्री तेज सिंह—

[3रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 43 पर स्थानान्तरित।]

राजकीय बालिका इन्टर कालेज, अल्मोड़ा में नागरिक शास्त्र प्रवक्ता की नियुक्ति

*36—श्री त्रिवेणी सहाय (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि राजकीय गर्ल्स इन्टर कालेज, जिला अल्मोड़ा के वर्तमान सत्र में नागरिक शास्त्र के लिये इन्टर कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में नागरिक शास्त्र की प्रवक्ता पद की अध्यापिकायें उपलब्ध नहीं की गई थीं ? यदि हां, तो क्यों ? और इसकी पूर्ति के सम्बन्ध में अब तक कदम न उठाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

राजकीय बालिका इन्टर कालेज, जिला अल्मोड़ा की इन्टर कक्षा में नागरिक शास्त्र प्रवक्ता की नियुक्ति इसलिये नहीं की गई क्योंकि नागरिक शास्त्र के अध्यापन का कार्य कालेज की इतिहास प्रवक्ता द्वारा निरन्तर सुचारु रूप से किया जा रहा है।

देवरिया के पडरौना-मंसा छापर मार्ग को पक्का किए जाने की मांग

*37—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद में पड़रौना तहसील के विशुनपुरा विकास खंड के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्ग पडरौना से मंसा छापर तक को पक्का बनाने हेतु प्रश्नकर्ता के सुझाव पर अक्तूबर, 1975 में विभागीय अभियन्ता ने सर्वेक्षण कर शासन को आख्या प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो आख्या क्या है ? क्या शासन उक्त आख्या के आधार पर उक्त मार्ग का शीघ्र निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विभागीय अभियन्ता से अक्तूबर, 1975 में प्रश्नगत मार्ग के सर्वेक्षण पर शासन को कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई ।

धनाभाव के कारण इस मार्ग का निर्माण स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

*38—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[4थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 33 पर उत्तरित ।]

चमोली में श्री स्वरूप सिंह रोगड़, ठेकेदार, पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा आत्मदाह

*39—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री को यह विदित है कि जनवरी, 1976 के दूसरे सप्ताह जोशीमठ, जिला चमोली में पी0 डब्लू0 डी0 के एक ठेकेदार (श्री स्वरूप सिंह रोगड़) ने आत्मदाह किया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ? क्या यह सही है कि आत्मदाह से पूर्व उसने जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को उसकी सूचना दे दी थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

श्री स्वरूप सिंह रोगड़ नामक, पी0 डब्लू0 डी0 के एक ठेकेदार ने दिनांक 29 दिसम्बर, 1975 को जोशीमठ जिला चमोली में आत्मदाह किया है।

आत्मदाह के कारणों की जांच सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है।

ठेकेदार ने दिनांक 8–4–1975 को एक आवेदनपत्र सम्बन्धित अधिकारियों को दिया था जिसमें उसने निर्माण कार्य से सम्बन्धित बकायों के भुगतान हेतु प्रार्थना की थी। फिर ठेकेदार ने दिनांक 27–12–75 को एक पोस्टकार्ड सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को भेजा जो उनको दिनांक 30–12–1975 को (अर्थात् आत्मदाह के एक दिन बाद) प्राप्त हुआ था। सतर्कता विभाग द्वारा जांच के पश्चात् यदि किसी अधिकारी कर्मचारी को समय से कार्यवाही न करने का दोषी पाया गया तो उसे उचित दंड दिया जावेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर घटना हुई है। इस ठेकेदार ने पी0 डब्लू0 डी0 के इन्जीनियर तथा जिलाधीश को आत्मदाह करने के पूर्व, आत्मदाह करने का एक नोटिस दे दिया था, लेकिन किसी ने भी इसके प्राणों को बचाने की कोई चेष्टा नहीं की। बीच सड़क पर उसने आत्मदाह किया। क्या यह सही है कि इस आत्मदाह की सूचना जिलाधीश को दी गई थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, इसकी कोई सूचना नहीं है कि आत्मदाह करने वाले इस ठेकेदार ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या इन्जीनियर को इसकी कोई पूर्व सूचना दी थी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना को सही मानकर कि उस ठेकेदार का शव लगातर 2 घंटे तक बीच सड़क पर जलता रहा और किसी अधिकारी ने इसकी नोटिस नहीं ली, इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस मामले की जांच करने के लिये सतर्कता विभाग को दे दिया गया है।

*40—श्री राम अधार—

[4थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 46 पर स्थानान्तरित।]

श्री तरण तारण जैन कन्या जूनियर हाई स्कूल, बांदा की अध्यापिकाओं का वेतन

41—श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

क्या सरकार को श्री तरण तारण जैन कन्या जूनियर हाई स्कूल, बांदा में व्याप्त अनियमितताओं और पिछले 6 माह से अध्यापिकाओं को वेतन न मिलने की बावत वहां की अध्यापिकाओं द्वारा माह फरवरी, 1976 में माननीय शिक्षा मंत्री को भेजा गया ज्ञापन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अम्मार रिजवी—

एक आवेदन पत्र माह फरवरी, 1976 में प्राप्त हुआ था जिसमें प्रश्नगत संस्था की अध्यापिकाओं को वेतन न दिये जाने के बारे में तथा महंगाई भत्ता व बकाये की कठिनाई बताई गई है। शिक्षा निदेशक से इस मामले को देख कर नियमानुसार उचित कार्यवाही करने के लिये आदेश दिए गए हैं।

राजकीय कन्या इन्टर कालेज, बांदा को डिग्री कालेज बनाने की मांग

*42—श्री देव कुमार यादव—

क्या सरकार राजकीय कन्या इन्टर कालेज, बांदा को डिग्री कालेज करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं, क्योंकि राजकीय इन्टर कालेजों को उच्चीकृत कर डिग्री कालेज बनाने का कोई प्राविधान नहीं है।

*43—श्री रघुनाथ—

[5वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 25 पर स्थानान्तरित।]

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं इन्टर कालेजों के अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्यों की पेन्शन में वृद्धि की मांग

*44—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राज्य के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा इन्टर कालेजों के अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों को वर्तमान देय मासिक पेंशनों की दरों में वृद्धि करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो मासिक वृद्धि की दर क्या होगी और कब से ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, इस विषय पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। अभी कोई विवरण देना सम्भव नहीं है।

*45—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 39 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

ग्राम मोचीपुर, फर्रुखाबाद के बेसिक परिषद् विद्यालय के प्रधानाध्यापक का निलम्बन

*46—श्री अनवार जमील—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद, ग्राम मोचीपुर के किसी बेसिक परिषद् के विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आज से 7–8 वर्ष पूर्व निलम्बित किया गया था और उनको अभी तक न बहाल ही किया गया न उसे जीवन निर्वाह भत्ता ही दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अलऊपुर ब्लाक, फैजाबाद में पिकिया नदी पर पुल-निर्माण की मांग

*47—श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलऊपुर (पिकिया नदी), ब्लाक जहांगीरगंज, फैजाबाद में पुल बनाने हेतु पुल विभाग के चीफ इन्जीनियर मई, 1975 में निरीक्षण हेतु गए थे ? यदि हां, तो, अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

18 मई, 1975 को सेतु निगम के डिप्टी चीफ डिजाइन तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता पिकिया नदी पर सेतु स्थल के निरीक्षण हेतु गये थे।

इस कार्य का प्रारम्भिक आगणन तैयार किय गया है परन्तु धनाभाव के कारण प्रश्नगत पुल का निर्माण स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को स्थानान्तरण की सुविधा

*48—श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर)—

क्या यह सही है कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत एक जिला परिषद् से दूसरे जिले के जिला परिषद् के बेसिक पाठालाओं में शिक्षकों के स्थानान्तरण की सुविधा सरकार द्वारा है तथा यह सुविधा एक नगरपालिका से दूसरी नगरपालिका क्षेत्र प्रारम्भिक पाठशालाओं में स्थानान्तरण हेतु नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जिला परिषदीय क्षेत्र के स्कूलों के अध्यापकों के सेवा नियम एवं उन्हें मिलने वाली सुविधायें समस्त जनपदों में सामान्यतः समान हैं, इसलिये एक जिला परिषद् से दूसरे परिषदीय क्षेत्र के विद्यालयों मेंअध्यापकों के स्थानान्तरण की सुविधा बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदान की गई हैं। विभिन्न नगरपालिका क्षेत्रों के स्कूलों में अध्यापकों को मिलने वाली सुविधायें पृथक-पृथक हैं, इसलिये बेसिक शिक्षा परिषद् ने यह निर्णय लिया था कि एक नगर क्षेत्र के अध्यापक का स्थानान्तरण नगर क्षत्र या जिला परिषदीय क्षेत्र में न किया जाय। किन्तु परिषद् ने अब उक्त निर्णय में यह शिथिलता कर दी है कि विशेष परिस्थितियों में एक नगर क्षेत्र से दूसरे नगर क्षेत्र में प्रशिक्षित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं के पारस्परिक स्थानान्तरण की सुविधा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जा सकती है :—

(1) संबंधित अध्यापक, स्थानान्तरण के पूर्व पुराने (तैनाती के स्थान के) तथा नये (स्थानान्तरित कियेजने वाले स्थान के) नगर क्षेत्र में अनुमन्य पेंशन, ग्रेच्युटी आदि से संबंधित जो सेवा नियम अधिक अनुदार हों उनको स्वीकार करने की सहमति दें, तथा

(2) संबंधित अध्यापक स्थानान्तरण के नये नगर क्षेत्र में अपने सम्वर्ग में उस तिथि को अन्तिम स्थान पर रक्खे जाने की सहमति दें।

महानगर, लखनऊ के निकट कुकरैल के किनारे बन्धे का निर्माण

*49—श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगर लखनऊ के पास कुकरैल के किनारे बाढ़ से बचाव के लिये जो बन्धा विभाग की ओर से बनाया गया है उसकी मिट्टी ठेकेदारों ने उसके पास के स्थानों से खोदकर भरी है या टेन्डर के अन्तर्गत बाहर से लाए थे ? क्या यह बात सत्य है कि कुकरैल के निकट स्थानों पर मिट्टी के खोदने से काफी गड्ढे हो गए हैं ? यदि हां, तो विभाग उनको पाटने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्नगत बांध के निर्माण का कार्य विभाग द्वारा मशीनों से मिट्टी खोदकर तथा अन्य स्थलों पर ठेकेदारों द्वारा स्थानीय मिट्टी से बनाया गया है।

मिट्टी खोदने से जो गड्ढे हो गये थे वह समय के साथ नाले में पानी बढ़ने एवं घटने की स्थिति से बराबर हो गये हैं। इस समय नाले एवं बांध के बीच की अधिकतर भूमि खेती के काम आ रही है।

गोन्डा जिले की हलधरमऊ-कटरा बाजार सड़क का निर्माण

*50—श्री दीप नारायण पाण्डेय—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में हलधर-मऊ ब्लाक से कटरा तक एक सड़क का निर्माण इस विभाग द्वारा कराना था ? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण कार्य अब तक पूरा न होने का क्या कारण है और यह कार्य कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

गोन्डा जिले में हलधरमऊ–कटरा बाजार मार्ग पर टेस्ट वर्ग योजना के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य कराया गया था। इसे पक्का बनाने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है। अतः यह मार्ग कब तक पूर्ण होगा यह बताना सम्भव नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

बहराइच जिले में जिलाधीश के अहाते और नियोजन कार्यालय के निकट निर्मित क्वार्टर

1—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बहराइच जिले में जिलाधीश के अहाते एवं जिला नियोजन कार्यालय के चारों तरफ दो फर्लांग के अन्दर कितने क्वार्टर्स सरकारी कर्मचारियों के लिए कितनी लागत में तीन वर्ष के अन्दर बनाए गए हैं और क्या इन मकानों में केन्द्रीय कर्मचारियों को भी रहने की व्यवस्था है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

164 क्वार्टर 29.67 लाख रुपए की लागत से बनाए गए हैं।

जी हां।

बहराइच जिले की वन धोधवा बांध की निविहा माइनर को बढ़ाने की मांग

2—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में स्थित वन धोधवा बांध से निकलने वाली नहर नाली को टंगपसरी से सर्रा बोझी व डममरा तक एवं मधवापुर से निविहा तक बढ़ाने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र वर्ष 1974 से अब तक सम्बन्धित बांध इन्जीनियर को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

केवल निविहा माइनर को बढ़ाने के लिए एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। इस माइनर का सर्वेक्षण किया गया है। इस परियोजना के तकनीकी और आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद पाए जाने और धन उपलब्ध होने पर इसके निर्माण पर विचार किया जाएगा।

3—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

बहराइच जिले के विकास खण्डवार निर्मित राजकीय नलकूपों का विवरण

4—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले के विकास खंडवार में इस समय कितने राजकीय नलकूप हैं, कितने चालू हालत में हैं तथा कितने बन्द पड़े हैं? क्या यह भी कृपया बतायेंगे कि जिन विकास खंडों में एक भी राजकीय नलकूप नहीं है, तो वहां के लिए सिंचाई सुविधाओं की कौन सी व्यवस्था है?

श्री लोकपति—

विकास खण्डवार राजकीय नलकूपों का विवरण संलग्न है। जिन विकास खण्डों में राजकीय नलकूप नहीं हैं वहां सिंचाई के निजी साधन हैं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 349 पर।)

राय बरेली में विकास खण्डवार निर्मित राजकीय नलकूपों का विवरण

5—श्री दीनानाथ सेवक (जिला राय बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली के किस-किस विकास खण्ड में कितने-कितने राजकीय नलकूप लग चुके हैं और विकास खण्ड सलौन, डीह तथा नजीराबाद के किन-किन ग्रामों में राजकीय नलकूप लगाए गए हैं?

श्री लोकपति—

जनपद रायबरेली में वर्ष 1974-75 के अन्त तक निम्नलिखित विकास खन्डों में उनके सम्मुख अंकित राजकीय नलकूप लगाए जा चुके हैं—

नाम विकास खण्ड	नलकूप संख्या
1—महराजगंज	6
2—सिंहपुर	1
3—तिलोई	3
4—राही	10
5—सतांव	6
6—सलौन	8
7—ऊंचाहार	10
8—नसीराबाद	3
9—जगतपुर	5
10—लालगंज	18
11—सेरेनी	13
12—सीरों	1
योग ..	84

विकास खण्ड सलौन, डीह तथा नसीराबाद के निम्न ग्रामों में नलकूप लगाए गए हैं—

सलौन विकास खण्ड—

1—ग्राम सिरसिरा	2
2—ग्राम-केवलपुर	1
3—रघुपुर	2
4—लहुरीपुर	1
5—काजीपुर	1
6—गोपालपुर	1
योग ..	8

विकास खण्ड डीह—

कोई नहीं।

विकास खण्ड, नसीराबाद—

1—ब्रहमनी	2
2—निगोहां	1
योग ..	3

बहराइच जिले के ग्राम बरगदवा के तालाब पर पुल निर्माण की मांग

6—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड सिरसियां, जिला बहराइच में स्थित ग्राम बरगदवा के बीच में होकर जाने वाली सार्वजनिक लीक पर बरगदवा गांव से मिला हुआ दक्षिण तालाब है और उसके कारण आवागमन अवरुद्ध है? यदि हां, तो क्या सरकार इस लीक पर पुल बनवाने की कृपा करेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, बरसात में पानी बढ़ने के कारण मार्ग बन्द हो जाता है।

सीमित परिव्यय उपलब्ध होने के कारण प्रश्नगत पुल का निर्माण सम्भव नहीं है।

7—श्री दया राम भास्कर—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 8 पर स्थानान्तरित।]

8—श्री अब्दुल रऊफ लारी तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

फर्रुखाबाद के ग्राम आसमपुर में गंगा नदी से कटाव रोकने हेतु ठोकर- निर्माण का सुझाव

9—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिला प्रशासन ने राजेपुर ब्लाक के आसमपुर ग्राम के निकट गंगा नदी द्वारा तेजी से किए जा रहे कटाव को

रोकने के लिए ठोकर बनाने का सुझाव हाल ही में दिया है ताकि गंगा व रामगंगा के पुलों को मिलाने वाली सड़क तथा मार्ग में आने वाले अनेक गांव कटाव से बच सकें। यदि हां, तो इस सुझाव पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री लोकपति—

जी हां।

योजना बनाने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है।

गोरखपुर के फरेंदा-धानी-लुबिनी मार्ग का निर्माण

10—श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में फरेंदा धानी लुम्बिनी रोड का निर्माण कब से शुरू हुआ तथा पोहनाला सेतु से बनकटवा ग्राम के बीच में निर्मित पुलियों को कितने बार तोड़ कर बनाया गया और अभी तक वह सड़क पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक इस सड़क को पिच रोड बना दिए जाने की सम्भावना है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

गोरखपुर जिले में फरेंदा धानी लुबिनी मार्ग का फरेंदा से धानी तक का भाग जो जनपद गोरखपुर में पड़ता है उसका निर्माण कार्य 1960 में शुरू हुआ था तथा 1966 में पूरा हो गया था। फरेंदा धानी लुबिनी मार्ग का धानी से उसका तक का भाग जो बस्ती जिले में पड़ता है, का निर्माण कार्य 1960-61 में प्रारम्भ हुआ तथा 1972-73 में पूर्ण हो गया था। पोह नाला सेतु से बनकटवा ग्राम के बीच पड़ने वाली पुलिया जो उपयुक्त नहीं थी उनका पुन: निर्माण, पुल की पहुंच मार्ग जब बन रहा था तब किया गया था। इन नई पुलियों को तोड़कर फिर दुबारा नहीं बनाया गया है। फरेंदा धानी लुम्बिनी मार्ग का जो भाग पिच रोड का नहीं है उसको पिच रोड बनाना धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है ?

गोरखपुर जिले के बाढ़ पीड़ित छात्रों को स्वीकृत शिक्षण शुल्क

11—श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में बाढ़ पीड़ित छात्रों को सन 1972-73 व 1973-74 में सरकार द्वारा दी गयी शिक्षण शुल्क किन-किन विद्यालयों में अभी तक छात्रों को नहीं दिया गया है? यदि नहीं, दिया गया है, तो इसका क्या कारण है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अम्मार रिजवी—

गोरखपुर जिले में बाढ़ पीड़ित छात्रों को सत्र 1972-73 में कोई शिक्षण शुल्क शासन द्वारा नहीं स्वीकृत हुआ था। वर्ष 1973-74 में इस जनपद के 111 विद्यालयों को यह शुल्क स्वीकृत हुआ था। वर्ष 1973-74 में स्वीकृत शिक्षण शुल्क संलग्न तालिका में अंकित 12 विद्यालयों में छात्रों को या तो नहीं दिया गया या उनसे उपभोग प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त हुए।

संलग्न तालिका में क्रमांक 1 से 3 तक विद्यालयों ने चेक ही नहीं उठाया। उनके संस्था अधिकारियों को चेक प्राप्त करने हेतु लिखा गया।

क्रमांक 4 से 10 तक (सात) विद्यालयों के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन विद्यालयों के अनुदान बिलों को उस समय तक पारित न करें जब तक उपभोग प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त न हो जाय।

क्रमांक 11 व 12 के दो इन्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों का वेतन उनसे उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने तक रोक दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 350 पर।)

गोरखपुर जिले के जाली जूनियर हाई स्कूलों को दिया गया अनुदान

12—श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले दो तीन वर्षों में गोरखपुर जिले में कितने जाली जूनियर हाई स्कूल किन-किन स्थानों पर सरकारी कागज में दर्ज हैं, कितना सरकारी अनुदान उन स्कूलों में विभिन्न मदों में अब तक प्राप्त किया गया है और उन जाली प्रबन्ध समितियों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अम्मार रिजवी—

गोरखपुर जिले में निम्नलिखित पांच स्थानों पर ऐसे जूनियर हाई स्कूल सरकारी अभिलेख में दर्ज थे जो बाद में जांच द्वारा जाली पाए गए :—

(1) मटिहना, (2) सेखुई, (3) चरगावां, (4) बेड़ेसर तथा (5) बलुआ सिहोहा।

उक्त स्कूलों द्वारा अब तक विभिन्न मदों में प्राप्त किए गए अनुदान का विवरण संलग्न तालिका में अंकित है। जाली प्रबन्ध समितियों को वर्ष 1975-76 में कोई राजकीय अनुदान नहीं दिया गया और न उक्त विद्यालयों की मान्यता का नवीनीकरण किया गया है। इन विद्यालयों के प्रबन्धकों से प्राप्त की गयी अनुदान की धनराशि की वापसी हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर द्वारा आदेश दिये गए हैं।

कुछ और स्कूलों के बारे में जाली होने की शिकायतें प्राप्त हुई जिनकी जांच की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 351–352 पर।)

जल कुन्डी योजना

13—श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जल कुन्डी योजना को कार्यान्वित करके राप्ती नदी की बाढ़ को नियमित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक पूर्ण हो जाएगी ?

श्री लोकपति—

जी हां।

जल कुन्डी बांध नैपाल की भूमि पर प्रस्तावित है। इसके पूर्ण होने के समय का अनुमान लगाना इस समय सम्भव नहीं है।

तहसील फरेंदा, गोरखपुर में राजकीय नलकूपों की मांग

14—श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डे—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में फरेंदा तहसील में गत पंच वर्षीय योजनाओं में सिंचाई साधनों का विकास न किए जाने के कारण बहुत बड़े असिंचित क्षेत्र को सिंचाई के साधन ट्यूबवेल वगैरह लगवाने की व्यवस्था इस वर्ष करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

गत पंच-वर्षीय योजनाओं में फरेंदा तहसील में चौहत्तर राजकीय नलकूप बनाए गए। शासन की वित्तीय सीमाओं के अन्दर अन्य क्षेत्रों की भांति, इस क्षेत्र के लिए और सिंचाई साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाता है।

लखनऊ वाराणसी मार्ग पर पुलिया का निर्माण

15—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी-जौनपुर, पक्की रोड में जौनपुर से 8 किलोमीटर दक्षिण का पुल दो वर्ष पहले बनाया गया और उसका स्लाप नहीं लगाया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्नगत पुल का अभिप्राय लखनऊ-वाराणसी मार्ग पर पुलिया नं0 1/263 से है। इसकी डाटों (आर्चस) से ईंटें निकल जाने के कारण मई व जून, 1974 में तीनों डाटों की मरम्मत कर दी गई थी और बीच की डाट कमजोर होने के कारण इस बीच वाले दर में लोहे के गार्डर एवं स्लीपर लगाकर सुदृढ़ कर दिया गया। तबसे पुलिया पर यातायात चालू है।

गोरखपुर मण्डल के माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का वेतन

16—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मन्त्री (माध्यमिक) बताने का कष्ट करेंगे कि सप्तम मन्डल, गोरखपुर से सम्बन्धित किन-किन विद्यालयों के कर्मचारियों का वेतन माह जून, 1975 से सितम्बर, 1975 तक के बीच का इस समय तक भुगतान नहीं किया गया है? इसके कौन-कौन से कारण हैं तथा नियमित भुगतान कब से प्रारम्भ कर दिया जाएगा?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

छितानी इण्टर कालेज देवरिया के प्रवक्ता का एल० टी० ग्रेड में कथित प्रत्यावर्तन

17—श्री श्रीनारायण—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में छितानी इन्टर कालेज के किन-किन प्राध्यापकों को जुलाई, 1974 में लेक्चरर ग्रेड में एल0 टी0 ग्रेड में किया गया? उनमें से किसने-किसने सरकार को जुलाई, 1974 से 20 अक्तूबर, 1975 तक कितने आवेदन-पत्र दिए तथा सरकार की तरफ से उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी—

किसी भी प्रवक्ता को प्रवक्ता वेतन-क्रम से एल0 टी0 ग्रेड में प्रत्यावर्तित नहीं किया गया। केवल एक सहायक अध्यापक श्री विजय नारायण मल्ल ने इस आशय की शिकायत की थी जिसके गलत होने के कारण उस पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

बस्ती-गोंडा सरहद पर बांध के निर्माण की मांग

18—श्री गोपी नाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि बस्ती जिले में नदी बूढ़ी राप्ती पर बस्ती-गोंडा सरहद के पास या अन्य किसी उचित स्थान पर कोई बांध बनाने की योजना गोंडा जिले के प्रस्तावित चित्तौरगढ़ बांध के समान सरकार के विचाराधीन है जिसमें बाढ़ से सुरक्षा तथा सिंचाई की सुविधा इस अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र को प्राप्त हो सके? यदि हां, तो क्यों?

श्री लोकपति—

एसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

बस्ती में राप्ती व बूढ़ी राप्ती से कतिपय ग्रामों का कटाव

19—श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि बस्ती जिले के इटवा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम गौरा बाजार राप्ती नदी के कटान से तथा ग्राम बजरा भारी टोला, गदुरहिया और ग्राम नवेल बूढ़ी राप्ती नदी के कटान के खतरे में पड़े हुए हैं? यदि हां, तो सरकार कटान से सुरक्षा के लिए इस समय कौन सी कार्यवाही कर रही है?

श्री लोकपति—

जी हां।

इन ग्रामों के लिए इस समय कोई योजना नहीं है।

बहराइच जिले के विकास खण्ड सिरसिया व हरिहरपुर रानी के अन्तर्गत नलकूप निर्माण की मांग

20—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1975 के दूसरे बुधवार दिनांकित 12 मार्च, 1975 की कार्य सूची के नत्थी (ग) के अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सम्बन्ध मे क्या सरकार कृपया बताएगी कि बहराइच जिले के विकास खन्ड सिरसिया एवं हरिहरपुर रानी के क्षेत्रों में नलकूप लगाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय भू-गर्भ जल संस्थान को कब लिखा गया है और किन-किन स्थानों पर बोरिंग करने का स्थल चयन किया गया है तथा बोरिंग कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

21—श्री ऊदल तथा श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

[[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 12 पर स्थानान्तरित।]

शारदा सहायक परियोजना से बहराइच जिले को सिंचाई सुविधा न मिलना

22—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत शारदा गिरजा बैराजों के निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर बहराइच जनपद के किन-किन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी ? साथ ही इस स्कीम और अन्य कौन-कौन जिले हैं जहां पानी जाएगा और कब तक पानी सिंचाई के लिए पहुंचा दिया जाएगा ?

श्री लोकपति—

शारदा सहायक परियोजना से बहराइच जनपद को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

शारदा सहायक परियोजना के हो जानें पर लखीमपुरखीरी, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी एवं गाजीपुर जिलों को पानी जाएगा।

बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, लखीमपुर-खीरी और सीतापुर जनपदों को शारदा सहायक परियोजना के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जा चुका है, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, गाजीपुर, इलाहाबाद और वाराणसी जिलों में इस प्रायोजना का जल पूर्वबद्ध कार्य-क्रम के अनुसार वर्ष 1978-79 तक पहुंचाया जाना प्रस्तावित है।

तहसील सादाबाद, मथुरा के खराब नलकूप

23—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि तहसील सादाबाद, जिला मथुरा के सरकारी नलकूप खराब पड़े हैं ? जिससे वहां के कृषकों में घोर असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो इसको ठीक कराने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

तहसील सादाबाद, जिला मथुरा का केवल एक राजकीय नलकूप खराब है। इस नलकूप की मरम्मत सम्भव नहीं है।

प्रदेश में राजकीय सिंचाई कार्यों के सिंचन क्षमता

24—श्री अठईराम (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में कितने हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधायें उपलब्ध थीं और 31 अक्तूबर,

1974 को कितने हेक्टेयर खेती योग्य भूमि असिंचित पड़ी है और कितने हेक्टेयर परती भूमि राज्य में पानी की सुविधा से खेती योग्य हो जाएगी ? सरकार कब तक पूरी भूमि की सिंचाई साधन की व्यवस्था कर सकेगी ?

श्री लोकपति—

चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के अन्त पर प्रदेश मे राजकीय सिंचाई कार्यों की सिंचन क्षमता 65.12 लाख हेक्टेयर थी। वर्ष के मध्य में असिंचित भूमि का अनुमान नहीं लगाया जाता। वर्ष 1974-75 में प्रदेश को लगभग 94 लाख हेक्टेयर भूमि असिंचित रही।

पंचम पंच-वर्षीय योजना म राजकीय सिंचाई साधनों से 27 66 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता उपलब्ध कराए जाने का कार्य क्रम है।

बहराइच के बेसिक अध्यापकों के अवशे वेतन का भुगतान

25—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री (बेसिक) बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद के बेसिक व जूनियर स्कूलों के अध्यापकों का पिछला एरियर (1971) से कितना धन बकाया है ? अब तक इस धनराशि के भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं तथा यह धन कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

बहराइच जनपद के बेसिक व जूनियर स्कूलों के अध्यापकों का पिछला एरियर (1971) कुल रुपए 1,33,262 था जिसमें से अन्तिम प्राप्त सूचना के अनुसार 38,124.18 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं का अवशेष नियमानुसार उनके भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा हो गया है और सेवा निवृत्त तथा मृतक अध्यापकों के वारिसों को देय धनराशियों का नकद भुगतान कर दिया गया है। जिला परिषद् के कार्यालय से समुचित अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण अवशेषों के भुगतान में विलम्ब हो रहा है। अवशेष भुगतान हेतु उपयुक्त जांच की कार्यवाही जारी है और शीघ्रातिशीघ्र शेष भुगतान भी कर दिया जाएगा।

भूतपूर्व सदस्य, श्री धनश्याम डिमरी के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मान्यवर, मुझे बड़े दुःख के साथ यह सूचित करना पड़ता है कि चमोली जिले के जाने माने नेता, श्री धनश्याम डिमरी जी अब इस संसार में नहीं रहे। 77 वर्ष की आयु में आपका दुखद निधन हो गया। वे हाई कोर्ट के जाने माने वकील भी थे। उन्होंने आजाद हिन्द फौज के जनरल की पैरवी भी की थी जिसके कारण भी रिटायर्ड फौजी जो आई0एन0ए0 के हैं उनका बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने गढ़वाल और चमोली जिले के अनेक विद्यालयों की बड़ी सेवा की और अनेक विद्यालयों के वे मैनेजर भी थे। वे जिला परिषद् गढ़वाल के अध्यक्ष भी थे और पर्वतीय विकास से सम्बन्धित बहुत सी समितियों के सदस्य थे। इस सदन के भी वे सदस्य रह चुके हैं। इस सदन में वे अपनी सौम्यता, सरल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने अपने व्यवहार से लोगों का हृदय जीत लिया था। मुझे याद आता है कि 1957 में जब वे पहली बार यहां चुनकर सदन में आए थे तो उन्होंने किस प्रकार अपनी सौम्यता और गम्भीर वाणी से लोगों का हृदय जीत लिया था। ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति और भूतपूर्व सदन के सम्मानित सदस्य वे थे जो अब नहीं रहे। मेरा आग्रह इस सदन की ओर से अपने दल की ओर से है कि वे दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट कर।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

नेता सदन ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि हम दुखी परिवार के प्रति अपनी हार्दिक समवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष —

माननीय नेता सदन तथा कम्युनिस्ट पार्टी ने जो दिवंगत नेता, श्री धनश्याम डिमरी जी के प्रति विचार और शोकोद्गार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। वे इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे हैं और पहाड़ी जिलों में लोग उनको आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। हाई कोर्ट में उनके वकील के नाम से भी लोग उनकी ओर आकृष्ट हुए और उनका आदर करते थे। उनके निधन से मैं समझता हूं कि सार्वजनिक जीवन में रिक्तता आई है जो अपूरणीय है। मैं नेता सदन और नेता कम्युनिस्ट दल की ओर से जो सुझाव आया है शोक संतप्त परिवार को समवेदना का सन्देश भेज दूं, ऐसा करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि दो मिनट खड़े हो कर शोक प्रकट करने की कृपा करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

श्री शारदा भक्त सिंह, सदस्य, विधान सभा का आदर्श कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

सदन को मुझे यह सूचित करना है कि अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ के पत्र दिनांक 30 मार्च, 1976, जो इस सचिवालय में दिनांक 31 मार्च, 1976 को प्राप्त हुआ, के अनुसार शारदा भक्त सिंह, सदस्य, विधान सभा (हरदोई) माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होने हेतु दिनांक 30 मार्च, 1976 को केन्द्रीय कारागार, वाराणसी से आदर्श कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरित हो गए हैं। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन–8 तथा 12 द्वारा प्रसारित की गयी थी।

श्री धीरेन्द्र सहाय सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष—

जिला मैजिस्ट्रेट, पीलीभीत के पत्र निंक 25 मार्च, 1976, जो इस सचिवालय म दिनांक 7 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री धीरेन्द्र सहाय, सदस्य, विधान सभा (पीलीभीत), दिनांक 2 फरवरी, 1976 को मीसा की धारा 3(i)(ए)(ii) के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की उक्त दिनांक को छोड़कर शेष सूचना बुलेटिन 19, द्वारा प्रसारित की जा चुकी है।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की पैरोल पर रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष—

जिलाधिकारी, फैजाबाद के पत्र दिनांक 13 अप्रैल, 1976, जो इस सचिवालय में दिनांक 17 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद) का उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग के रेडियोग्राम, दिनांक 1 अप्रैल, 1976 द्वारा प्रेषित आदेशों के अनुसार दिनांक 6 अप्रैल 1976 का दो माह के पैरोल पर रिहा किया गया है। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यदि की सूचना बुलेटिन–13, 15, 17 तथा 20 द्वारा प्रसारित की गयी थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिव सम्पत्ति राम, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष—

जिला मैजिस्ट्रेट, मिर्जापुर के पत्र दिनांक 14 अप्रैल, 1976, जो इस सचिवालय में दिनांक 19 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री शिव सम्पत्ति राम, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर) डी0 आई0 आर0 के नियम 36/43 के अन्तर्गत दिनांक 6 मार्च, 1976 को गिरफ्तार किए गए। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की उक्त दिनांक को छोड़कर, शेष सूचना बुलेटिन—20 द्वारा प्रसारित की गयी थी।

श्री मधुकर दिघे, सदस्य, विधान सभा की पैरोल पर रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर के रेडियोग्राम, दिनांक 11 अप्रल, 1976, जो इस सचिवालय में दिनांक 13 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री मधुकर दिघे सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर), दिनांक 11 अप्रैल, 1976 को जिलाधिकारी, गोरखपुर के अदेशानुसार 7 दिन के पैरोल पर रिहा किए गए हैं। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन—8 तथा 14 द्वारा प्रसारित की गयी थी।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष—

जिलाधिकारी, मुरादाबाद के वायरलेस मैसेज तथा पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 1976, जो इस सचिवालय में क्रमशः दिनांक 19 अप्रैल तथा 23 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हुए, के अनुसार श्री शफीकुर्रहमान बर्क, सदस्य, विधान सभा (मुरादाबाद) को दिनांक 18 अप्रैल, 1976 को मीसा की धारा 3(i) (ए) (ii) के अन्तर्गत गिरफ्तार करके जिला कारागार, मुरादाबाद में रखा गया है। इससे पूर्व माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन—16 द्वारा प्रसारित की गयी थी।

शतरुद्ध प्रकाश, सदस्य, विधान सभा का आदर्श कारागार, लखनऊ में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ के पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 1976 तथा अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के रेडियोग्राम दिनांक 20 अप्रैल, 1976 जो इस सचिवालय में क्रमशः दिनांक 21 अप्रैल, 1976 तथा 23 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हुए, के अनुसार श्री शतरुद्ध प्रकाश, सदस्य, विधान सभा (वाराणसी), दिनांक 17 अप्रैल, 1976 को केन्द्रीय कारागार, वाराणसी से स्थानान्तरित कर आदर्श कारागार, लखनऊ में दिनांक 18 अप्रैल, 1976 को आ गये हैं। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन—14 व 21 द्वारा प्रसारित की गयी थी।

श्री राजेन्द्र प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अधीक्षक, जिला कारागार, गोंडा के रेडियो ग्राम दिनांक 20 अप्रैल, 1976, जो इस सचिवालय में दिनांक 21 अप्रैल, 1976 को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री राजेन्द्र प्रसाद, सदस्य, विधान सभा (गोंडा) दिनांक 20 अप्रैल, 1976 को जमानत तथा बान्ड पर रिहा किए गए हैं। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बलेटिन—16 द्वारा प्रसारित की गई थी।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1975-76) का राज्य एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन से सम्बन्धित तृतीय प्रतिवेदन के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित प्रतिवेदन †

श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

मैं, सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के तृतीय प्रतिवेदन, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन से सम्बन्धित है, में समाविष्ट संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही के विषय में समिति का यह कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

समिति का मूल प्रतिवेदन विधान सभा में दिनांक 24 अप्रैल, 1973 को प्रस्तुत किया गया था तथा शासन को इसकी प्रति संस्तुतियों के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 8 अगस्त, 1974 को प्रेषित की गई।

उक्त प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जो उत्तर प्राप्त हुए, उन पर षष्टम विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति ने अपनी दिनांक 24 जुलाई तथा 30 दिसम्बर, 1975 की बैठकों में विचार किया तथा शासन एवं राज्य कृषि औद्योगिक निगम के अधिकारियों के साक्ष्य लिए। यह प्रतिवेदन राज्य सरकार तथा निगम से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है तथा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 11 मार्च, 1976 को विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

मूल प्रतिवेदन में कुल 44 संस्तुतियां की गयी थीं। समिति को हर्ष है कि उसकी अधिकांश संस्तुतियां स्वीकार की गईं। प्रत्येक सिफारिश के सामने समिति का अन्तिम निर्णय अंकित किया गया है। जिन संस्तुतियों का अनुपालन नहीं हुआ है, उनके सम्बन्ध में समिति यह अपेक्षा करती है कि शासन उनका परिपालन शीघ्र कराएगा।

अन्त में मैं सचिव, विधान सभा, महालेखाकार, शासन के अधिकारियों, एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं सभी सम्बन्धित अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं जिनके सहयोग से समिति का कार्य सुचारु रूप से चल सका और यह प्रतिवेदन तैयार हो सका।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

आज कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक हुई...

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

मैं एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजिए।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

यहां कल लखनऊ मिल्क प्रोड्यूसर्स के सेक्रेटरी के सम्बन्ध में सवाल उठा था और मैंने उसके सम्बन्ध में 2/3 सवाल पूछे थे.....

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर दे दें। यह काफी है।

सदन की कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी आज, दिनांक 28 अप्रैल, 1976 की बैठक में सदन के 28 और 29 अप्रैल, 1976 के उपवेशनों के कार्यक्रम में संशोधन करके निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित करने की संस्तुति की है :—

28 अप्रैल, 1976—1976-77 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा आज समाप्त हो जाय। 29 अप्रैल, 1976—अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति, अनुदान संख्या

---

†छापा नहीं गया।

20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन, अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें, अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवायें, अनुदान संख्या 95—ऋण और अग्रिम, वित्त, अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मंडल, अनुदान संख्या—49—पशुपालन, अनुदान संख्या 50—दुग्धशाला (डेयरी) विकास, अनुदान संख्या 51—मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या 52—वन, अनुदान संख्या 79—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 80—वनों पर पूंजीगत परिव्यय की मांगों पर मतदान हो और उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976 तथा उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976 पर विचार एवं उनका पारण हो।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, समहत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन,कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक आज कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है श्री सत्यपाल मलिक का। वे हैं नहीं। यह अस्वीकार है।

1976-77 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी। कल श्री देवबहादुर सिंह बोल चुके। श्री सन्त सिंह यूसुफ बोलें।

*श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट है यह अन्य जो आम बजट होते हैं, उनकी पृष्ट भूमि में नहीं है। यह 20 सूत्री प्रोग्राम हमारी प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारे सामने रखा है, उस पृष्ठभूमि में है। अब यह हमारे देखने की बात है यह जो बजट है, उसके द्वारा इस 20 सूत्री प्रोग्राम का इम्पलीमेंटेशन किस तरह से होता है और उस प्रोग्राम को हम किस प्रकार पूरा कर सकते हैं। इमरजेंसी के पहले, इस बजट के प्रस्तुत होने के पहले हमारे यहां कुछ इस प्रकार की शक्तियां पैदा हो गई थीं जो हमारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स थे उनमें अड़ंगा डालती थीं। जो हमारे काम को रोकती थीं। उनके लिए कुछ रास्ता साफ हो गया है। इमरजेन्सी में जो वातावरण पैदा हुआ है उनमें इस बजट को लेकर हम 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं? इमरजेन्सी के पहले जो एक प्रकार की अनार्की थी वह कम हुई और थोड़ा बहुत डिसिप्लिन रिस्टोर हुआ है। विद्यार्थी जो चाकू लेकर इम्तहान में बैठते थे वह कम हुआ है। जो एम0 एल0 एज0 को जैसे बिहार और बंगाल में जबरदस्ती फोर्स किया जाता था। वह सब बन्द हुआ और थोड़ी सी नार्मलसी पैदा हुई है। अब जो बजट के द्वारा डायरेक्शन होना चाहिये यह 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार होना चाहिए।

---

†27 अप्रैल, 1976 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सन्त सिंह यूसुफ]

20 सूत्री प्रोग्राम में पहला डायरेक्शन जो है वह समाजवाद का है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि 20 सूत्री प्रोग्राम समाजवाद नहीं लायेगा। लेकिन उसमें जो कन्डीशन है उसके अनुसार काम करेंगे तो जरूर उससे हमारे लोगों की कन्डीशन में सुधार होगा। 20 सूत्री प्रोग्राम में तीन मेन कन्डीशन हैं। पहली कन्डीशन जो है वह देहातों के अन्दर जो हमारी 80 फीसदी आबादी है वह किसान हैं। किसान की जो भूमि है उसमें ऐसी कन्डीशन पैदा हो कि उसको उस जमीन के पैसे मिलें। इसी तरह से शहरों में जो इन्डस्ट्रीलाइजेशन है वह ज्यादा हो और लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा हो और वह ज्यादा सामान खरीद सकें। इस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं है, उनकी खरीदने की शक्ति नहीं है। तो 20 सूत्री प्रोग्राम का ध्येय मुख्यतः यह है कि जो 80 प्रतिशत किसानों की आबादी है उसकी परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति बढ़े। उनमें जमीन का उचित बंटवारा हो और जमीन के अलावा सरकार उनके लिए मकान बनाये और उनके साथ जो पुराने जमाने में जबरदस्ती होती थी वह समाप्त हो। इसके लिए उनके लिए जो वहां गांवों में मजदूरी करते हैं उसकी मजदूरी बढ़ाई गई है। साढ़े चार रुपए से 6 रुपए वह कर दी गई है। इसका ध्येय यह था कि 80 परसेन्ट पापुलेशन की खरीदने की शक्ति बढ़े ताकि जो माल कारखानों में पड़ा है, जिसकी वजह के एक क्राइसेस है उसकी खपत हो और क्राइसेस दूर हो। एक तरफ कारखानों में माल पड़ा है, दूसरी तरफ किसानों के पास जमीन, कपड़ा और साधन खेती के नहीं हैं। इस असन्तुलन को दूर किए जाने का प्रयत्न किया जाना था। लेकिन कल जो मैंने सुना है, उस पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुख्य मन्त्री जी से खास तौर पर एक बात की प्रार्थना करना चाहता हूं, जो मुख्य मन्त्री जी समाजवादी विचार धारा के रहे हैं और मैं समझता हूं कि उन्होंने समाजवादी विचाराधारा अब भी नहीं छोड़ी है। अब जो भूमिहीनों में भूमि वितरणका काम था, गांव समाजकी भूमि किसानोंमें बांटी जा रही थी, उसके बारेमें चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स में निर्णय हुआ कि अब ग्राम समाज की जमीन न बांटी जाए। मैं गांवों में तो नहीं हूं, शहर में रहता हूं लेकिन मेरी समझदारी यह है कि यह फैसला बहुत जल्दबाजी में हुआ है। गांव-समाज में बहुत सी जमीन ऐसी है जो खेतों के बीच में पड़ती है, वह अब भी बांटी जा सकती है। इससे किसानों में एक बड़ा उत्साह आया था और उन लोगों को बड़ी आशा बन्धी थी। यह बीस सूत्री कार्यक्रम और यह मसला हल नहीं होगा जब तक देहात में फ्यूडलिज्म यानी सामन्तशाही को आप खत्म नहीं करेंगे। जमींदारों को नोटिस दी गई, लेकिन उनके बाद मामला खत्म होगा। यदि इस देश को आगे बढ़ाना है, डेमोक्रेसी को रियली कायम करना है तो फ्यूडलिज्म को देहात में खत्म करना होगा। इसलिये बिना किसी खौफ के सीलिंग को लागू करना चाहिए, किसानों में जमीन बांटनी चाहिए। जब तक जमीन नहीं बंटेगी, यह प्राब्लम हल नहीं होगी। 80 परसेन्ट आदमियों को 1-2 बीघा जमीन की आशा बन्धी थी। वह भी अब समाप्त हो गई है। किसानों की दीनहीन स्थिति को बदलने के लिए सोचा कि हमने दो चार नेताओं को इधर-उधर पकड़ कर बन्द कर लिया तो इससे रिएक्शन समाप्त हो जायेगा। वह आपका भ्रम है, इससे कुछ होने वाला नहीं है।

हमारे जो विरोधी दल के नेता थे, उनका मुख्य सपोर्ट देहात में है। यह जो बड़े जमींदार हैं, कुलक्स हैं, उनके मुख्य सपोर्टर हैं, वह कायम रह गए, भी यह भी कायम रहेंगे। 2-4 लीडरों को जेल में भेजने से यह मामला हल होने वाला नहीं है जब तक इसकी बुनियाद आप नहीं हटायेंगे। उस फ्यूडलिज्म को खत्म करके किसानों को अपने पैरों पर नहीं खड़ा करेंगें उनकी मदद करके, उनकी कोआपरेटिव फार्मिंग बनाकर, उनको बीज उपलब्ध कराकर तब तक यह मसला हल नहीं होगा। न डिमाक्रेसी के लिए और न समाजवाद के लिए भी होगा। ये दोनों मसले हल नहीं होंगे। कानपुर की तीन मिलें बन्द पड़ी हैं और मिलों में माल जमा है? ये खाली सूती मिलें नहीं और भी जो इन्डस्ट्रीज हैं उन इन्डस्ट्रीज के अन्दर भी इसी तरह की क्राइसेस हैं। कपड़े के लिए लोग तरसते हैं। उसके दाम ज्यादा हैं। गरीब आदमी खरीद नहीं सकता। दूसरी तरफ स्टाक में कपड़ा जमा है, कोई खरीदने वाला नहीं है।

तो जो यह बीच में इस तरह की हालत है, जब तक इस हालत को दूर नहीं करेंगे, तब तक वह बीस सूत्री कार्य क्रम पूरा नहीं होगा। और तब तक डिमाक्रेसी का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। और न हम समाजवाद के रास्ते पर जा सकेंगे। हम अपने दिमाग से यह बात निकाल दें कि खाली ऐडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से यह जमीन वाला मसला हल नहीं होगा। कागज में जमीन दे दी, लेकिन जमीन नहीं मिली। इस जमीन के मसले को हल करने के लिए दोनों रास्तों को अख्तियार करना पड़ेगा। ये ऐडमिनिस्ट्रेटर जो हैं ये एक मिली जुली कमेटी बनाएं और दूसरा यह कि जो कांग्रेस वर्कर्स हैं देहात में और जो बड़े-बड़े आदमी हैं, उन सबको मोबिलाइज करके पुलिस के खिलाफ नेशनालाइजेशन के लिए, जमीन के बंटवारें के लिए कार्य किया जाय। अगर यह नहीं होगा तो यह जमीन का मसला हल नहीं होगा और यह बीस सूत्री कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। हम पूरे कांग्रेस के हाथों को मोबिलाइज करें और मोबिलाइज करके और जो पार्टियां हैं उनको लेकर देहात में एक ऐसा आंदोलन करें जमीन के बंटवारे का, और जो किसानों से बेगार लिया जाता है उसको खत्म करने के ये तमाम सवाल जो हैं 20 सूत्री प्रोग्राम के, इसका एक मास मोबिलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बंटवारे की जो बात है, उस तरफ ध्यान है। कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया कि आइन्दा अगले महीने में जितने हमारे शहर के वर्कर्स हैं, कानपुर में जो काम करते हैं, मिलों में, 100-100 आदमी पैदल यात्रा करेंगे। जो नेता पैदल यात्रा करते हैं वह समझ में नहीं आता है। यह जो वोट का मामला है इसलिए पैदल यात्रा करते हैं। तिवारी जी मैं माफी मांगता हूं। जितने भी मामले चल रहे हैं वह सब वोट कैच करने के लिए किए जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि इससे कोई बुनियादी मसला हल होने वाला नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इमरजेन्सी खत्म होने के बाद यह मसले खत्म नहीं बल्कि फिर खड़े हो जायेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप इन मामलों को जड़ से नहीं खत्म करेंगे तब यह मसला हल होने वाला नहीं है। आप इसको जड़ से खत्म करें। तभी आप कामयाब हो सकेंगे। और इसकी जड़ है मोनोपाली। आप मोनोपली जो पूंजीपतियों की है उसको खत्म कीजिए तो आपका यह मसला हल हो सकता है।

20 सूत्री कार्यक्रम को इम्पलीमेंट करने की मांग जरूर इधर है, इसलिए मैं कहता हूं कि आपका इस पर कान्सेन्ट्रेशन होना चाहिए। मजदूरों और कार्यकर्ताओं के जत्थे बनाकर देहातों में जाएं और उनको, आश्वासन दिया जाए कि जब तुम्हारी लड़ाई होगी तो मजदूर तुम्हारा साथ देगा और तुम मजदूर का साथ दो। इससे बहुत कुछ हो सकता है। चाहे 20 प्वाइन्ट प्रोग्राम का मसला हो और चाहे डेमोक्रेटिक रिफार्म का मसला हो और चाहे समाजवाद का मसला हो। यह दो चीजें बहुत जरूरी हैं, यह बहुत ही नेसेसरी हैं। देहात के गरीब आदमी खेतिहर मजदूर और शहर के मजदूरों में एकता होनी चाहिए। जब इस तरह का मोर्चा बन कर मैदान में आएगा और उसको इम्पलीमेंट करने की बात करेंगे तो यह सब मसले हल हो सकेंगे। अब तक जो पहले चल रहे हैं उससे किसान परेशान ही हुआ है, उसको आराम नहीं मिला है। जमीन का मामला खत्म हो गया। ग्राम पंचायती जो जमीन थी उसको बांटा गया। अब तो मामला उलट गया है। अब किसानों को और मजदूरों को मालूम हो गया है कि कोई जमीन नहीं मिलेगी। मामला उलट गया है। अगर आपने यह न किया होता तो उसको आशा लगी रहती कि कभी न कभी यह होगा ही लेकिन मामला अब उलट गया है। इससे तो बहुत बुरा असर हुआ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस मामले पर सोचें। यह जो गांव सभा की बहुत सी जमीन है वह खाली है और खेतों के बीच पड़ी हुई है उसका कुछ भी प्रयोग नहीं हो पा रहा है उसका उपयोग करवाये यह जो नोटिस दिए हैं, उनको इम्पलीमेंट करवाओ। अगर आपका दोस्ती और यारी का मामला रहा तो कोई काम नहीं होने वाला है। अगर आपका यह कहना है कि वे हमारे सपोर्टर हैं, सिम्पेथाइजर्स हैं, हमारे वोट कट जायंगे तो मेरा कहना है कि अभी 1 साल या 2 साल चुनाव नहीं होने वाले हैं, उसके बाद ही होंगे

[श्री सन्त सिंह यूसुफ]

तब तक आप अपना रास्ता साफ कर लो। आप देहात में जो जमींदारी है और सामन्तशाही है उसको समाप्त करो और शहरों में जो इजारेदार या पूंजीपति हैं, उन सब के कारखानों को ठीक से चलाने के लिए कहो। आज जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में चलने वाले कारखाने मुनाफे पर चल रहे हैं, उसी तरह से उनको भी करो। फिर वोट का चक्कर और इस मिनिस्टर को खुश करो, उस नेता को खुश करो ये सब झगड़े समाप्त हो जाएंगे।

एक अन्य बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि जिस प्रकार से देहात में हुआ है, उसी प्रकार से आप शहरों में भी करो। शहरों में भी गरीबों के लिए आपको मकान बनवाने चाहिए। वास्तव में हो क्या रहा है? अभी 6 तारीख को हमारे यहां उसमानपुर गांव में, जो कानपुर कारपोरेशनकी लिमिटमें आता है, वहां पर महापालिका बंगले बनाने जा रही है। हमने कहा कि यह क्या करते हो, बंगलों के लिए उन गरीबों को क्यों बरबाद कर रहे हो? तो मैं 10-20 आदमियों को ले जाकर महापालिका में गया तब उन्होंने यह कहा कि हम उन्हीं मकानों को गिरायेंगे जो टूटी हालत में हैं। लेकिन देखा गया कि वे झोपड़ियों को भी हटा रहे हैं।

आज कल एक सफाई अभियान जारी है जिसके कारण बुलडोजर्स का प्रयोग उन गरीबों लोगों के मकान गिराने में किया जा रहा है, उन गरीबों की झोपड़ियों को गिराने में प्रयोग किया जा रहा है। किसको शौक है कि झोपड़ियों में रहा जाय? हर आदमी चाहता है कि वह बंगलों में रहें। यह ह्यूमन नेचर है, कोई नहीं चाहता है कि झोपड़ियों में रहे लेकिन उनके पास साधन नहीं है लेकिन अगर आप उनको भी गिराने की बात करते हैं तो मुनासिब बात नहीं है मेरा तो कहना यह है कि उन गरीब लोगों को आप 2 या 2 1 2 सौ रुपया मकान बनाने के लिए ऋण के रूप में दे दो और जमीन का उनसे कुछ रुपया लेकर उनको मकान बनवाने की इजाजत दे दी। आपका 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है? वह यही है कि गरीब को मकान बनाने के लिए जमीन दो। लेकिन जिनके पास मकान हैं भी आप उनको भी गिरा रहे हो? श्रीमान्, हमारे क्षेत्र मे 71 गांव शामिल हैं। अगर कभी आप चले तो देखे कि न उनमें बिजली है; न खड़ंजा है, और न पानी की सुविधा है यद्यपि महापालिका उनमें हाउस टैक्स भी उसी प्रकार से ले लेती है जिस प्रकार से वह शहर में रहने वालों से लेती है। देहात के लोग कहते हैं कि जब जिला परिषद् में हम थे तो इससे अच्छे थे, कुछ मामले तो गांव में होते थे। अब नगरमहापालिका में आ गए तो कोई पूछता ही नहीं। टैक्स बढ़ जाते हैं और सबकी हालत बदतर है सिवाय दो चार को छोड़ कर। 20 सूत्री कार्यक्रम में शहर के बारे में भी था कि किसानों की हालत सुधरेगी, उनको जमीन मिलेगी तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो ये कारखाने चालू हो जायेंगे। कल सुना कि 3 कारखाने साल भर से बन्द पड़े हैं और सरकार विचार करती है कि कब लेगी। बनिए की तरह से सरकार सोचती है। गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि 3 साल तक ले-आफ नहीं होगा, बोनस भी खत्म हो गया। तो ठीक है, थोड़ा सा डिस्सिप्लिन स्टोर हुआ, कुछ रिक्रेशनरी लोग कम हुए, लेकिन जो नीचे रिऐक्शनरी कन्डीशन्स को पैदा करने वाली कन्डीशन्स हैं वह बरकरार हैं। वह रहेंगी तो चरण सिंह नहीं, उनका कोई और भाई आ जायगा।

बुनियादी तरीके से आपके हाथ में बहुत बड़ा हथियार इमरजेन्सी का होने के बावजूद, बजट का इस्तेमाल होने के बावजूद अगर ढीला-ढाला मामला रहेगा तो कब तक इलेक्शन नहीं कराओगे? कल मैंने तो चार आदमियों से सुना। ये जो इलेक्शन्स हुए हैं यू0 पी0 में, जो जीते गए तो वह तो पार्टियों के बन्धे हुए वोट होते हैं। उससे वातावरण सही क्या होगा? 19-20 इधर-उधर वोट का होता है, कारपोरेशन्स में पार्टी के बेसिस पर लड़े जाते हैं, उसमें मामला कोई तय नहीं होता है। वह तो तब तय होगा जब इमरजेन्सी हटेगी और फिर ये हालात बने रहेंगे। कल बहुत से कांग्रेसी भाइयों ने भी देहात की हालत बतलायी। तो यह मामला बिगड़ेगा। इसलिए हमारा नम्र निवेदन है कि जरा आपस के झगड़े छोड़ दो। एक साल के लिए आपस में

समझौता हो जाय और यह मिनिस्टर और उसकी टांग खींच दी, उसकी खींच दी, अरे भाई जिसको रहना है उसको रहने दो और जो नहीं रहता है उसके हाथ जोड़े जाओ और सिर्फ एक कन्डीशन रखो कि जो नेता और मिनिस्टर एक प्रोग्राम इम्पलीमेन्ट करने के लिए अपने क्षेत्र, जिले के तमाम कार्यकर्त्ताओं को मोबिलाइज करके देहात में रिऐक्शनरीज के खिलाफ जनता की मदद में ही मोबिलाइज करें वही नेता रहेगा, नेता बना रहेगा। नेता जाति-पांति के ऊपर नहीं होगा, जै रामजी की और रोज सुबह सलाम बजाने की बिना पर भी नहीं होगा। यह अगर आप करोगे तो अपने संगठन को मजबूत करोगे और देश की भी बचाओगे। यही आशा मैं कर सकता हूं अपने तिवारी जी से। उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं।

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी—)

मैं सुन रहा हूं। आपकी वाणी तो सहसा आकर्षित कर लेती है।

श्री सन्त सिंह यूसुफ—

इधर, उधर वाले घेरे रहते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इधर और उधर एक ही बात है।

श्री सन्त सिंह यूसुफ—

तो यही मेरी प्रार्थना है। आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, बोलने वाले बहुत हैं। मुख्य बात मैंने कह दी कि मास मोबिलाइजेशन जितने डैमोक्रेटिक एलीमेंट्स हैं उनका और वर्कर्स और पीजेन्ट्स का देहात और शहर में। इनका अगर आप नेतृत्व करोंगे तो यू0 पी0 में आपका नाम अमर रहेगा। बिना मोनोपली को खत्म किए, बिना फ्यूडलिज्म को खत्म किए और बिना फारेन एजेन्सीज की रोकथाम के, वैसे फारेन एजेन्सीज की रोकथाम तो अपने आप हो जाएगी जब फ्यूडलिज्म उनको बुलाने वाला नहीं रहेगा। मैं आशा करता हूं कि मुख्य मन्त्री जी इन बातों पर ध्यान देंगे।

*श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया। पिछले वर्ष आपात्कालीन स्थिति के लागू होने के पश्चात् और 20 सूत्री कार्य क्रम के कार्यान्वियन के बारे में कदम उठाने के पश्चात् जो बजट इस वर्ष का हमारे सामने आया है वह एक लम्बे रास्ते को तय करने में एक कदम के रूप में आया है। जब से आपात्कालीन स्थिति हुई तब से आज तक की उपलब्धियों को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ पाया है और जो देश की गाड़ी पटरी से उतर गयी थी वह पटरी पर आयी है। आंकड़े साफ बताते हैं कि मूल्यों में 30-31 प्रतिशत की कमी आयी है। उत्पादन में भी 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि इससे पूर्व के वर्षों में उत्पादन में तो कमी आती ही थी मूल्य वृद्धि भी प्रति वर्ष 25 से 30 प्रतिशत तक होती थी और उससे महंगाई का जो दौर-दौरा रहता था उसमें आम लोगों के जीवन यापन में कठिनाई पैदा होती थी। जिसको हम अनुशासन पर्व कहते हैं वह जब लागू हुआ तो उससे एक अच्छा वातावरण पैदा हुआ। उस पृष्ठभूमि में जो बजट पेश किया गया है जैसा कि अपने भाषण में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दर्शाया है उसकी आधारशिला है कृषि और कृषि से सम्बन्धित अन्य मदें, जैसे बिजली उत्पादन और सिंचाई के साधनों का जुटाना। 82 प्रतिशत रुपया इसी तरह के कामों के लिए रखा गया है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। यह कदम जो उठाए गए हैं यह प्रदेश को तरक्की पर ले जाने वाले हैं। जहां कृषि के क्षेत्र में ध्यान दिया गया है वहां उद्योगों की तरफ भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। सूती मिलों के खोले जाने का प्रस्ताव है। चीनी मिलों के खोले जाने का भी प्रस्ताव है। यह सब इस बजट में प्रस्तावित है। इस सब से कृषि और उद्योग दोनों की ही प्रगति हमारे प्रदेश में होगी। मैं ऐसी आशा करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाल कृष्ण सनवाल]

मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए भी प्रयास किया गया है। इस वर्ष भी यद्यपि घाटे का बजट है, मगर उसको भी पूरा करने का प्रयास किया गया है। जो कर के प्रस्ताव हैं उसमें यह ध्यान रखा गया है कि जन साधारण पर उसका बोझ न पड़े, जो विशेष वर्ग है, उसी तक उसका बोझ पड़े।

(इस समय 12 बजकर 52 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा, पीठासीन हुए।)

कृषि के विकास के लिए सभी विभागों के समन्वय की बात भी इसमें कही गयी है। इससे मुझे पूर्ण आशा है कि कृषि का उत्पादन काफी बढ़ेगा। एक योजना इसमें और रखी है, वह ह एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सकेगा। भिन्न-भिन्न विभागों में, अलग-अलग स्तर पर एक रूपता लाने का जो प्रयास किया गया है, वह भी एक सराहनीय कदम है।

पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में मैं कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूं। पर्वतीय विकास के लिए इस बजट में कोई विशेष प्राविधान नहीं किया गया है। कोई विशेष प्रकार की योजना भी इस बजट में नहीं रखी गयी है। जब एक एकीकृत ग्रामीण विकास योजना को स्वीकार किया गया है, तो उसको वहां भी लागू कीजिए। हमारे यहां हजारों नव युवक पढ़ लिख कर बेकार घूमते हैं। उनके पास न भूमि है न ही सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं। कारोबार के लिए पैसे की भी कमी है। साधन भी नहीं हैं और टैक्नीकल नालिज भी उनको नहीं है। एकीकृत ग्रामीण योजना हमारे लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। हमारी सरकार यदि इस दिशा में कदम उठा सके तो इससे वहां की जनता का बहुत लाभ हो सकता है।

पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन एक उद्योग की तरह है। पर्यटन उद्योग तीन महीने अच्छा चलता है। वहां लोगों को कैटरिंग की ट्रेनिंग दी जा सकती है। होटल आदि खोलने के लिए सहायता दी जा सकती है। जो दर्शनीय तथा तीर्थ स्थान हैं, वहां लोगों को जनता के ठहरने के लिए आवास-गृह बनाने हेतु सहायता तथा ऋण देने की योजना बनानी चाहिए।

अब तीन महीने के अलावा और भी काम रहते हैं। जैसे वहां पर फल होते हैं। फलों का प्रोसेस करने के लिए, उनको बाजार में भेजने के लिए तथा बेचने के लिए भी विशेष प्रयास किया जाय तो वहां की तरक्की हो सकती है। इसी तरह के मीन पालन के जरिए भी बिना कोई विशेष खर्च किए हुए खांसी आमदनी हो सकती है। इसमें कोई विशेष लागत की भी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से मसरूम पैदा करने की भी बात है। दिल्ली के मारकेट में मसरूम 20-25 रुपए किलो बिकता है। कोई व्यक्ति 9-10 मील से लगातार रोजाना एक किलो डेढ़ किलो या दो किलो मसरूम पैदा करके उसे बेचने के लिए ला तो सकता नहीं है। इसके लिए आप यह कर सकते हैं कि इसके लिए कोई इस तरह का पूल बना दें, इस तरह की कोई एजेन्सी बना दें, वहां पर वहां के रहने वाले व्यक्ति अपने एक, दो या डेढ़ किलो मसरूम को आसानी से बेच सकें और अपनी रोजी कमा सकें। वहां के किसान अपने खेत के छोटे-छोटे टुकड़े में भी मसरूम पैदा करते हैं और यदि उनके बेचने की उचित व्यवस्था कर दी जाय तो उसके इस क्षेत्र की प्रगति हो सकती है। इस तरह की चीजों के लिए वहां कोई बड़े कारखाने तो लगे हुए नहीं हैं। इसी तरह के खेत के किनारे-किनारे सब्जी बो कर भी उसकी पैदावार से आमदनी बढ़ायी जा सकती है और वहां की तरक्की की जा सकती है।

अभिभाषण में बहुत से निगमों की चर्चा की गयी है। सरकार ने एक निर्णय लिया है और उसके अनुसार वह कार्य कर रही है। अगर ट्रान्सपोर्टेशन, मारकेटिंग और तमाम साधन जुटाने की व्यवस्था कर दी जाय तथा यह काम कारपोरेशन को दे दिया जाय तो उससे

वहां के लोगों की आर्थिक दशा सुधारी जा सकती है। क्योंकि वहां का कोई व्यक्ति अपना कोई सामान जो एक दो या डेढ़ किलो होगा उसे बेचने के लिए दिल्ली, रानीखेत, लैन्सडाउन या देहरादून तो जाएगी नहीं। जिस तरह से गांधी आश्रम ने रूई से सूत बनाने की सुविधा गांव वालों को प्रदान की है, उसी तरह से इस पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में भी वहां पैदा होने वाले सामानों की बिक्री आदि का प्रबन्ध कर दिया जाय, तो वहां के रहने वालों का प्रोबलम बहुत कुछ हल हो सकता है। अगर किसी निगम को यह काम सौंप दिया जाय तो एकीकरण ग्राम विकास योजना की दिशा में यह क्षेत्र प्रगति कर सकता है। इसके अलावा कुछ और भी बातें हमारे सामने हैं। जैसे हमारे यहां पेजयल की बड़ी कठिनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जल निगम बनाया है। इस तरह के 30-40 निगम यहां बन गए हैं। परन्तु जब से यह जल निगम बना है, माननीय मुख्य मन्त्री जी भी यहां मौजूद हैं, आपके माध्यम से मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब से यह जल निगम बना है, सबको जल की सुविधा देने के लिए, मालूम नहीं क्या घपला है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया के रुपया देने पर, एल0 आई0 सी0 के रुपया देने पर भी एक इन्च पाइप लाइन हमारे क्षेत्र में नहीं बढ़ पायी है। कल बुन्देलखंड के एक भाई बोले, उनकी भी यही शिकायत है कि वहां एक इंच पाइप लाइन नहीं बढ़ी। मिर्जापुर की बात भी इसी तरह से है। तो इस तरह के निगम जो बनें वें अगर इस तरह के कामों में रूकावटें पैदा करें तो मैं समझता हूं कि इस पर आज पुर्नविचार करने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष यह योजना बनी थी तो कहा गया था कि जब तक जल संस्थान इसके लिए अपनी संस्तुति नहीं करेगा तब तक इसके लिए रुपया उपलब्ध नहीं हो सकेगा। जल निगम की कोई संस्तुति नहीं होने से पहाड़ी क्षेत्रों में अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। अब एक ऐसा प्रोसीजर चल पड़ा है जिसकी वजह से बड़ी कठिनाई पैदा हो रही है, इसलिए इस पर पुनरावलोकन करने की आवश्यकया है, जिससे कि यह कठिनाई दूर हो सके।

शिक्षा की बात भी कही गयी और कहा गया कि शिक्षा का विस्तार बढ़ रहा है। कहा गया कि स्काउटिंग और खेलकूद की व्यवस्था होने से उत्तर प्रदेश में अनुशासन की भी काफी वृद्धि होगी। यह एक सराहनीय क़दम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं और गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि जबसे बेसिक शिक्षा परिषद् बनी है तब से स्कूलों के भवनों की हालत और भी खराब हुयी है। आज न तो स्कूलों पर छत है न वहां टाट-पट्टी है। बेसिक शिक्षा परिषद् का ऐडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद् न तो रुपया देती है जिला परिषदों को और न भवनों आदि की मरम्मत ही करवाती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बेसिक शिक्षा को सुचारु रूप से चलाने के लिए आज सरकार को पुर्नविचार करना चाहिए। चाहे इस शिक्षा को स्थानीय निकायों को क्यों न वापस करना पड़े पर आज इस सम्बन्ध में पुर्नविचार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। पहले शिक्षा अच्छी दी जा रही थी, लेकिन आज बेसिक शिक्षा परिषद् एक रोड़ा बन गयी है, शिक्षा के रास्ते में रोड़ा अटका रही है।

मान्यवर, प्राइमरी शिक्षा बुनियादी शिक्षा किसी मनुष्य की होती है। अगर बुनियाद ही कच्ची रह जायगी तो लोग उन्नति नहीं कर सकेंगे। आज बैठने के लिए टाट-पट्टी नहीं है, अध्यापकों के लिए न तो ब्लैक बोर्ड है और न बैठने के लिए कुर्सी ही है। स्कूलों में छत नहीं है, धूप पानी से बचने के लिए कोई साधन नहीं है तो गरीबों के बच्चे कैसे शिक्षा पा सकेंगे। हो सकता है कि जो लोग योजना बनाते हो उनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ने जाते हों। वह सोचते हो कि हमारे बच्चे तो आगे बढ़ सकें पर गरीबों के जो बच्चे हैं, जो चपरासी है उसका बच्चा चपरासी ही रहे, बाबू न बन सके और जो बाबू है उसका बच्चा अफसर न बन सके। यह आज एक नयी सामन्त शाही मुझे लगती है, कि शुरू हुयी है। पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वालों में से अधिकाश लोग अफसर हैं जिनके हाथ में सत्ता रहती है। तो मैं समझता हूं कि सरकार को पुर्नविचार करना चाहिए कि किस तरह से बेसिक शिक्षा परिषद् के ढांचे में परिवर्तन किया जाय और जो गरीबों के बच्चे हैं वह भी आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें।

[श्री बालकृष्ण सनवाल]

मान्यवर, कुछ खर्च की बात कही गयी है और घाटे की बात कही गयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपात्कालीन स्थिति की घोषणा हुयी तो 3-4 महीने तक अच्छा नतीजा रहा और काम में तेजी आयी और काम करने वाले लोगों में भय आया कि कहीं कोई पकड़ा न जाय पर अब धीरे-धीरे आदत बन रही है और फिर शिथिलता का आभास हो रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज कार्यालयों में जो काम है वह 4-5 घंटे से अधिक समय का नहीं है। अगर मन लगाकर काम किया जाय और लोगों को प्रोत्साहित किया जाय तो मैं समझता हूं कि और अधिक स्टाफ की आवश्यकता न पड़े। इससे खर्चा भी कम होगा और काम भी अधिक होगा। मान्यवर, आज मन्त्रियों के यहां रोज एक-एक बोरा डाक आती है। वह क्यों आती है। वह इसलिए आती है कि स्थानीय स्तर पर निर्णय नहीं हो पाते हैं और लोगों को मजबूर होकर लखनऊ आना पड़ता है, जिससे समय और पैसा खराब होता है। यहां आकर 3 बजे तक दरवाजे पर बैठना पड़ता है और फिर किसी एम0एल0ए0 को साथ लेकर मन्त्री जी के यहां जाना पड़ता है। ऐसा करना लोगों को अच्छा लगता है। पर जब नीचे स्तर पर काम नहीं होता तो ऐसा करना पड़ता है। दरोगा काम नहीं करे, एस0पी0 काम न करे, डी0एम0 काम न करें तो मजबूरी में यहां आना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर काम का निपटारा यह लोग नहीं करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय, इस पर विचार करें कि जो शासन का तरीका है निर्णय लेने का उसकी जम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों पर डालें और उनसे कहा जाय कि समय के अन्दर निर्णय लें, लटकायें नहीं। इस तरह से काम अधिक होगा।

मान्यवर, परिवार नियोजन के बारे में कहना चाहता हूं। जो भी विकास के काम हैं उनका फायदा ठीक तरह से नहीं हो पाता है क्योंकि आबादी बहुत बढ़ रही है। परिवार नियोजन की जो योजना है जो कार्य हैं, उनका कार्यान्वियन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है; माननीय गैरोला जी ने सूचना दी कि टिहरी में एक लड़के को शराब पिलाकर उसकी नसबन्दी की गयी। इसी तरह से उत्तर काशी में एक ड्राइवर की जबरदस्ती नसबन्दी कर दी गयी। तो इस तरह की बातें हुयीं हैं। इस तरह के कार्यों से परिवार नियोजन के कार्यों को धक्का लगेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे शिक्षित लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़े और उसको समझाने की आवश्यकता है। यदि आपके लोग गांवों में जाकर लोगों को समझायें तो उससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह लम्बी यात्रा में एक कदम है, जैसे 100 मील जाना है तो एक कदम बढ़ाकर जा सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं और प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बजट की सामान्य चर्चा में मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। इस वर्ष का बजट काफी संतुलित बजट है, परन्तु इसमें अनेक क्षेत्रों की उपेक्षा की गयी है। मान्यवर, इस सदन में अक्सर पहाड़ों की और पूर्वी जिलों की चर्चा सुनने में आती है लेकिन बुन्देलखंड की बात यदाकदा ही आती है और शायद उसका कारण यह है कि सारे बुन्देलखंड रीजन में मिलाकर जितने विधायक हैं उतने अन्य पूर्वी जिलों में एक-एक जिले में लगभग समान हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि इस बजट में बुन्देलखण्ड की उपेक्षा की गई है। बुन्देलखंड एक अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है, इसलिए उसके लिए कुछ करना चाहिये था। एक धोखे की बात यह की गयी है कि बुन्देलखंड में एक विकास निगम बनाया गया है जो उस क्षेत्र का विकास करेगा, लेकिन ऐसी धारणा लोगों में फैलाई गई है वास्तव में ऐसा नहीं है। बुन्देलखंड विकास निगम एक सरकारी दुकान है और उसका जो ढांचा और व्यवस्था है, उसमें यह है कि वह क्षेत्र में अपना व्यापार करेगा जैसे ईंट के भट्ठे चलाएगा, बालू का काम करेगा और कुछ कारखाने लगाएगा और उसमें जो मुनाफा मिलेगा वह बुन्देलखंड के विकास पर लगाएगा। उसके पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं है। जो पूंजी है भी उसके पब्लिक सेक्टर के धन्धे हो रहे हैं और उनमें आमतौर पर कोई लाभ नहीं हो पाता है। इसके अलावा उनमें व्यापार का ज्ञान न रखने वाले आपने सरकारी

आदमी बैठा रखे हैं। इसलिए उसमें कोई लाभ होने का प्रश्न नहीं उठता है। यदि कोई लाभ हुआ तो उससे सैकड़ों वर्ष विकास करने में लग जायेंगे। इसलिए यदि विकास करना है तो इसके लिए अलग से सोचना पड़ेगा।

अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी झांसी गए थे तो उन्होंने कहा था कि 2-2 सरकारी आदमी हर जिले के निगम में रखेंगे। मेरा अनुरोध है कि उन आदमिमों को सारी समस्याओं से प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी नहीं होगी। इसलिए उसमें विधायकों को भी रखा जाना चाहिए था। इसमें क्या आपत्ति है? कोई बड़ी संख्या तो विधायकों की बुन्देलखंड में है नहीं। 16-20 विधायक होंगे। उनको बुलाने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि अलग से बैठने के स्थान की या कुर्सी मेज की व्यवस्था तो करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन आप गैर सरकारी अपने आदमियों को नामजद कर देंगे और वही होंगे। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि बुन्देलखंड विकास निगम के ढांचे को इफेक्टिव बनाया जाय और इस तरह का बनाया जाय कि वह कुछ विकास का काम कर सके। इसी के साथ इस बजट में सिंचाई, बिजली और कृषि पर विशेष जोर दिया गया है। यह कहा गया है कि धन का अधिकांश भाग इन तीन योजनाओं पर ही लगायेंगे। यह प्राथमिकता तो पहले ही दी जानी चाहिए थी लेकिन एक कहावत है कि देर आये दुरुस्त आयद अब सही। हमारे बुन्देलखंड की धरती प्यासी है। वहां उर्वरा शक्ति है लेकिन पानी की कमी है। अगर वहां पानी का प्रबन्ध हो जाय तो इतनी उपज हो सकती है कि सारे देश को अन्न दे सकते हैं। हमारे यहां प्राकृतिक साधन भी उपलब्ध हैं। बेतवा, यमुना नदी हैं। पम्पिग कैनालें लगायी जा सकती थीं लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गयी। और भी छोटी-मोटी नदियां हैं। उनका पानी उठाया जा सकता है ट्यूबवेलों की भी हमारे यहां कोई व्यवस्था नहीं की गयी। मेरा जालौन जिला है। यह सूखाग्रस्त रहता है लेकिन कोई व्यवस्था पानी की नहीं की गयी है और जितना एलोकेशन धन का होना चाहिए था वह नहीं हुआ। सिंचाई मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष प्रबन्ध करवायें। पानी की इतनी कमी है कि पशु क्या मनुष्य भी तालाबों में गन्दा पानी पीते हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है। प्रशासन के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि प्रशासन दिनों दिन गिरता जा रहा है। हम यहां बैठकर नियम बनाते हैं। मन्त्री लोग आदेश भेजते हैं। लेकिन उनका पालन नहीं होता है और सरकारी कर्मचारी अपने हिसाब से काम करते हैं। मैंने एक सज्जन से पूछा कि नियमों का पालन क्यों नहीं करते तो उन्होंने कहा कि आफिसर्स नेताओं से तब डरते थे जब वह समझते थे कि यह रहने वाले हैं लेकिन अब तो इनका ही एप्वाइन्टमेंट होता हैं और पता नहीं कितने दिन के लिए हैं। इस तरह की भावना कर्मचारियों और अफसरों के बीच में है।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आपका 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है। कहा जाता है कि जो ठीक काम नहीं करेगा उसको दन्डित किया जायगा, लेकिन लोग गोलमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें कि भूमि आवंटन में कितना घोटाला हुआ। जालौन में हमारे यहां मवई ग्राम के सभापति और लेखपाल ने मिलकर 55 एकड़ भूमि हड़प ली। लेखपाल ने अपनी पत्नी के नाम और प्रधान ने अपने लड़के के नाम कर ली। हरिजन चिल्लाते ही रह गए। हमने सन् 1974 में इस मामले को उठाया। इसकी जांच हुई और आरोप भी सही पाए गए। जब शासन में फाइल आयी तो यह कहा कि यह तो लेखपाल के टर्मीनेशन का केस है। लेखपाल ने भूमि अपनी पत्नी के नाम कर ली तो उसको बर्खास्त हो जाना चाहिए। लेकिन एप्वाइंटिंग अथारिटी एस0 डी0 एम0 है, इसलिए बर्खास्त वही कर सकता है और इस तरह से फाइल एस0 डी0 एम0 के पास चली गयी। लेखपाल ने दौड़धूप की। लिहाजा उसको कड़ा दन्ड नहीं दिया गया। केवल उसका स्थानान्तरण कर दिया गया। उसकी चरित्र पंजिका में इन्ट्री कर दी गयी, एक दो इन्क्रीमेंट रोक दिए गए या फिर ट्रान्सफर कर दिया गया। इससे क्या होता है। आप रोज कहते हैं कि हम कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे, लेकिन क्या कार्यवाही हुई? हमारे यहां ग्राम मवई ब्राह्मण के प्रधान ने अपने लड़के के नाम पट्टा कर दिया। पहले तो उसको

[श्री वीर सिंह सेंगर]

निलम्बित किया गया और फिर बाद में उसको रोक दिया गया। इस प्रकार प्रशासन चलने वाला नहीं है। लेखपालों से लोग मिल जाते हैं और सीलिंग का नक्शा सही बनता नहीं है। जब इस प्रश्न को उठाया गया तो उसको जांच करने में काफी समय लगा और अब वह नक्शा फिर से बन रहा है। जिस, प्रधान ने 30, 40 एकड़ भूमि की गड़बड़ी की उसके विरुद्ध क्या उचित कार्यवाही की गई? मेरा तो यह अनुरोध है कि कम से कम भूमि के मामले में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको तुरन्त बंद किया जाना चाहिए। इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है? एक ग्राम प्रधान धमना कालपी का मैं उदाहरण दे दूं। उसने तो ग्राम समाज की सारी भूमि अपनी स्त्री, पुत्र और रिश्तेदारों को ही बांट दी। इस प्रकार से यह प्रशासन चलने वाला नहीं है। जो लेखपाल हैं या नायब तहसीलदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हमारे यहां एक ग्राम है रैला। वहां पर 39 एकड़ भूमि भू-दान की थी जिसका पट्टा किया गया। वह सारी की सारी भूमि उसकी स्त्री, लड़के, जो कि एक हरिजन अधिकारी है उनके नाम हो गई। एक नौकर का लड़का है, उसके नाम कर दी गई। इस प्रकार से यह सारी 39 एकड़ का पट्टा हो गया। जब हम लोगों ने इस प्रश्न को उठाया और लड़ते लड़ते करीब डेढ़ वर्ष हो गए हैं लेकिन अभी तक इस पर कुछ हुआ नहीं है। पट्टा निरस्त करने का प्रोसीजर हो रहा है लेकिन उसमें क्या गति है यह आप स्वयं समझ सकते हैं कि करीब 2 वर्ष हो गए हैं अब तक वह निरस्तीकरण नहीं हो सका। आपको यह आदेश देना चाहिए कि जो इस प्रकार के मामले हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाना चाहिए। 20 सूत्री कार्यक्रम अगर आपको सफल बनाना है उसमें अगर भूमि सुधार का नाम नहीं हुआ तो वह कभी सफल नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से भूमि विकास के सम्बन्ध में जो भ्रष्टाचार होता है उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इस काम में सालों घसिट जाते हैं। इससे कोई बड़ा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।

प्रशासन की ढिलाई की भी बात बता दूं। हमारे यहां एक शहीद नगर में स्कूल है। उस स्कूल के नाम पर 20 एकड़ भूमि का पट्टा है। आज उसका प्रश्न भी था। जब प्रश्न उठाया गया तब यह कहा गया कि अनियमिततायें तो हैं लेकिन उनकी जांच हो रही है। जब उन्होंने रिटर्न भरकर जिला स्कूल निरीक्षक के पास भेजा तो उसमें यह कहा गया कि हमारे पास कोई भूमि नहीं है। सीलिंग वाले में कहा यह भूमि बेनामी है और दूसरे से कहते हैं कि भूमि स्कूल की है। दो प्रकार के स्टेटमेंट हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अगर प्रशासन में इस तरह की ढिलाई रही तो शासन ठीक चल नहीं सकेगा और सारी योजना फेल हो जाएगी। इसी तरह चकबन्दी के मामलों में किसी नियम का पालन नहीं हो रहा है। नियम यह है कि ग्राम समाज की भूमि टुकड़ों में न छोड़ी जाय, चकों में छोड़ी जायगी ताकि ग्राम समाज उससे कुछ आमदनी कर सके, उसके पट्टे कर सके। लेकिन हुआ यह है कि स्थान-स्थान पर पैचेज में ग्राम समाज की भूमि को छोड़ दिया गया है। इससे ग्राम समाज की आमदनी मारी जायगी। लोग उस पर कब्जा कर लेंगे। इसी तरह से ग्राम बबीना, तहसील कालपी, जिला जालौन में 200 एकड़ जमीन ग्राम समाज के पास थी लेकिन वह उसके पास नहीं रह सकी ताकि ग्राम समाज उस पर मेला बाजार कर सकता अथवा अस्पताल खोल सकता। इसी तरह से बुन्देलखंड में चकबन्दी का कार्य चल रहा है उसके साथ-साथ भूमि संरक्षण का कार्य भी हो रहा है। कहा यह जाता है कि बुन्देलखंड की भूमि बड़ी ऊबड़-खाबड़ है, उसे समतल करने की आवश्यकता है। इसमें कठिनाई यह हो रही है कि भूमि संरक्षण विभाग जब बन्दी डालता है और उसके साथ-साथ जब चकबन्दी होती है तो वह मेड़ें नहीं रह पाती है दो चार गड्ढे इधर पड़ गए या दो-चार उधर पड़ गए जिससे बन्दी बेकार हो जाती है। लेकिन रुपया किसान के गले पड़ जाता है और चक के बीच बीच बन्दी हो जाती है। जब तक भूमि चकबंदी का कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक बंधी न बनाये जायं, तभी काम चल पाएगा। इसके अलावा चकबन्दी तभी हो सकेगी जब उसके लिए स्टाफ बढ़ाया जाय। कम स्टाफ होने से कार्य बहुत धीमे हो रहा है। कार्य को तेजी से करने के लिए मैदानी इलाके के जहां भूमि संरक्षण का कार्य नहीं चल रहा है वहां से स्टाफ बुन्देलखंड ला कर चकबन्दी का कार्य जो है उसमें लगाया

जाय। अच्छा यही है कि पहले चकबन्दी कर दी जाय फिर भूमि संरक्षण का कार्य किया जाय वरना किसान मिट जायगा। भूमि संरक्षण बहुत मंहगा पड़ता है।

हमारे यहां उरई तहसील में रहइया है। वहां 3 एकड़ भूमि में भूमि संरक्षण के अन्तर्गत लेवलिंग में 13 हजार रुपए का बिल भेज दिया। दो हजार एकड़ जमीन की कीमत है और 13 हजार का बिल भूमि संरक्षण के लिए यानी 9 की लकड़ी और 90 का खर्च। इतने रुपए में तो वह दूनी जमीन खरीद सकता है। इसके अलावा ट्रैक्टर से बन्दी डाली जा रही है जब कि बन्दी बुलडोजर से करानी चाहिये तभी वह चीप पड़ेगी। लेकिन बुलडोजर है नहीं और ट्रैक्टर ले आए जिसका नतीजा यह है कि 3 एकड़ पर 13 हजार का खर्चा आ गया भूमि समतल करने में। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो ठीक से काम नहीं चल पाएगा। इसके अलावा कृषि से उत्पन्न पदार्थों के दामों में भारी गिरावट आने से किसान अधिक भयभीत हो गया है। कृषि पदार्थों के मूल्य इस समय जितने गिरे हैं उसके अनुपात में अन्य औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य नहीं गिरे हैं जिसके कारण किसान बहुत भयभीत है। खर्चा बहुत करना पड़ रहा है। बच्चों के स्कूल की फीस, कपड़ा, बसों का किराया ट्रेन का किराया सारा का सारा खर्चा ज्यों-का त्यों है। जिस चीज के उसको दो रुपए मिलते थे अब उसे 1 रुपया मिलता है। उसकी आमदनी भी कम हो गयी है और खर्चा ज्यों का त्यों है। उनमें भय की भावना व्याप्त हो गयी है। उसकी कमर टूट रही है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचा गया तो जो हमारे प्रदेश में 80 फीसदी किसान है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। उसकी परचेजिंग पावर बहुत गिर गयी है। उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए कारखाने खोलने पड़ेंगे।

एक काम आपने और किया। आपने कहा कि जो रुपया बकाया उसके ऊपर है, उसको वसूल करो। बुन्देलखंड में 3-4 वर्षों से वसूली रुकी हुई थी सूखे आदि के कारण। इस साल आपने 3-3 वर्षों की सारी वसूली लगान, आबपाशी और तकावी की एकदम एक साथ इकट्ठी वसूली शुरू कर दी। किसान क्या करे? जिस वसूली को पहले किया जाना चाहिए था उसे एक साथ वसूली किया जा रहा है। साथ ही ब्याज उसके साथ ही वसूल किया जा रहा है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि किसान घर छोड़-छोड़ कर भाग रहा है। अपने जानवर भी छोड़ जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि इस भयावह स्थिति को रोका जाय। मैं यह नहीं कहता कि वसूली न की जाय लेकिन जो 10 रुपए की किस्त उससे वसूल होनी थी वह इस समय 100 रुपए की किस्त वसूल हो रही है। उसमें इतनी क्षमता नहीं है। इसके लिए वह अपने पशु और जेवर तक बेच रहा है। पूंजीपतियों को गिरवीं रख रहा है। इस ओर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हालत और खराब हो जाएगी।

इसके अलावा एक कठिनाई और पैदा हो गयी। तकावी जो किसानों को दी जाती है उनके लेजर ठीक से मेंटेन नहीं किए जाते। तकावी ब्लाक से बंटती है और उसका लेजर भी ब्लाक में रहता है लेकिन उसका रुपया खजाने में जमा करना पड़ता है। जब तक उसकी रसीद खजाने से नहीं मिलती तब तक ब्लाक वाले उसे नहीं मानते। हजारों केसेज ऐसे पड़े हैं। मेरा खुद ऐसा केस है। मैंने अपना रुपया अदा कर दिया लेकिन ब्लाक वाले कहते हैं कि जब खजाने से रिपोर्ट आएगी तब हम मानेंगे। इस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। जो बांटने वाले हों उन्हीं पर वसूलयाबी भी होनी चाहिए। वसूल करने वाले ही लेजर भी रखें।

इसके अतिरिक्त बुन्देलखंड में सिंचाई की बड़ी समस्या है। वहां पर ठीक से बजट का एलोकेशन नहीं हो पाता है। यह ठीक से होना चाहिए। जो अधिकारी हैं वे भी मनमाने ढंग से काम करते हैं। इस बार बुन्देलखंड में ऐसा हुआ कि अक्तूबर से 15 नवम्बर तक नहर बन्द कर दी। वही एक समय ऐसा होता है जब कि किसान को पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद 30 नवम्बर और दिसम्बर के पहले हफ्ते तक सिंचाई हुई। दिसम्बर

[श्री वीर सिंह सेंगर]

जनवरी में बोनी हुई। इससे लाखों टन पैदावार की किसान को क्षति हुई। हमने इन्जीनियर से कहा तो उन्होंने कहा कि गलती हो गयी। उनकी इस छोटी सी गलती से इतना बड़ा नुकसान हो गया और किसान की कमर टूट गई। इस ओर अधिकारियों को सावधान करने की आवश्यकता है ताकि आइन्दा ऐसा न हो पाए। साथ ही आपने नहर का शेड्यूल 15 दिन का बनाया। और बहुत कम क्यूसिक पानी नहर में छोड़ा उससे कुलावे से ऊपर पानी नहीं हो पाता। उसके फलस्वरूप कटिंग होती है। वहां पर इसका कारण नहरों की कटिंग होती है। पानी कम होने से चढ़ता नहीं है। तो जिसने पतरौल को पैसा दे दिया उसकी आबपाशी हो जाती है जिसने पैसा नहीं दिया उसे पानी नहीं मिलता है। वहां पर बड़ी हालत खराब है। केवल चतुर्थ डिवीजन बेतवा नहर में 500 से अधिक कटिंग के मामले चलाये गये हैं मैंने इंजीनियर से बात की उसने कहा कि इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ता है। आबपासी के रेट तावान के रूप में चौगुने देने पड़ते हैं। तो मान्यवर, किसान जायेगा। सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह आदेश भेजें कि कटिंग माफ की जाय। वह कटिंग जो है किसानों ने अपने मन से नहीं की, वह तो पतरौल ने पैसा लेकर की। बाकी न देने वालों पर मुकदमा चला दिया।

मान्यवर, सिंचाई के साधन बढ़ाना आज अत्यंत आवश्यक है। हमारे कालपी में यमुना पंप नहर योजना चालू की गई है पानी को लिफ्ट से उठाया जायगा। वहां पर डी0 पी0 और ए0 पी0 योजना के अन्तर्गत सिंचाई योजनाएं बनाई जायें।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड की समस्यायें अन्य क्षेत्रों से अलग हैं। खेती के लिये जितना आप ध्यान दे रहे हैं, जिसमें रिसर्च होती है पर वह कहां पर होती है? पंतनगर में, कानपुर में या मेरठ में। वहां पर बुन्देलखंड की जो समस्यायें हैं वह कैसे हल हो सकती हैं। वहां पर जो योजनायें बनती हैं उसे हम बुंदेलखंड में लागू करते हैं। वहां की जलवायु, मिट्टी अलग है और बुन्देलखंड की जलवायु मिट्टी अलग है। अगर आपको बुन्देलखंड में खेती के उत्पादन को बढ़ाना है तो उसके लिये वहां एक अलग से रिसर्च सेंटर बनाया जाय।

मान्यवर, बुंदेलखंड में पीने के पानी की भी बड़ी समस्या है। उसके लिये आपने एक जल निगम बना दिया लेकिन उसके पास धन नहीं है। आपने स्कीम बनाई कि वर्ल्ड बैंक रुपया देगा उसके लिये आपने अधिकारी रख दिये उनका वेतन देना पड़ रहा है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। तो उस जल संस्थान का इस समय काम जो है वह टोंटी काटने का है। उसने एक अभियान चलाया है कि इतने फासले पर जो टोंटी होगी उसे काट दिया जायगा। इस तरह हरिजन बस्तियों में जो हैं टोंटियां कट रही हैं तो वहां पर गर्मियों में क्या हाल होगा?

मान्यवर, एक और बात मैं लेवी के बारे में कहना चाहता हूं। इस वर्ष जो लेवी ली जायेगी उसमें कहा गया है कि गतवर्ष की भांति ही वह लागू होगी। जिस प्रकार गतवर्ष खतौनी बनी थी उसी के अनुसार ली जायेगी। गत वर्ष उसमें कालपी तहसील में कुछ माफी दी गई थी। क्योंकि वह क्षेत्र जो है वह सूखाग्रस्त है। वहां पर किसान इससे परेशान हैं। पिछले साल इन सब बातों को ध्यान में रख कर 60 परसेंट लेवी माफ कर दी गई थी। लेकिन फिर इस वर्ष गतवर्ष की खतौनी के अनुसार ही लेवी ली जायगी। इससे किसान परेशान है। क्योंकि खेती में हर वर्ष कमी वैसी होती रहती है। एरिया घटबढ़ जाता है। अभी हमारे यहां कृषि राज्य मंत्री गये थे वहां पर जोर की आंधी और ओले पड़े थे और उन्हें मीटिंग से भाग कर जाना पड़ा था करीब एक घंटे तक बारिश हुई जिससे गेहूं में पानी लग गया। तो उस गेहूं को लेकर जब किसान जाता है तो लेवी के लिये वह नहीं लिया जाता है। कहा जाता है कि भीगा गेहूं नहीं लेंगे। तो किसान कहां से अच्छा गेहूं लाये। या तो जो गेहूं किसान लाता है उसे लिया जाय या फिर लेवी माफ कर दी जाय।

मान्यवर, हमारे यहां जो गत वर्ष क्रैस प्रोग्राम के अन्तर्गत रोड्स आदि बनी वह भी पूरी नहीं बनी है। वहां पर सारा का सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है। सड़कों पर कुछ

मिट्टी डाल दी गई है, उस पर गिट्टी डाल दी गई, किन्तु उसकी कुटाई नहीं की गई है। नतीजा यह हुआ कि अब साधारण कच्ची चलने वाली सड़कें भी चलने लायक नहीं रह गयी हैं। पता नहीं वह सड़क क्यों रोक दी गई। यदि हम उनको पूरा नहीं करते हैं तो पहले जो उनपर धन खर्च किया है, वह भी बेकार चला जाता है। वह रुपया तो हम अन्य किसी आवश्यक कार्य पर खर्च कर सकते थे। इसलिये उन लिंक रोड्स का निर्माण किसी भी दशा में अधूरा न छोड़ा जाए। वह कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए। लाखों रुपया जिला परिषद् की सड़कों पर लगाया गया है, लेकिन आज जिला परिषद् की हालत ठीक न होने के कारण वे सड़कें बर्बाद हो रहीं हैं, आवागमन के लिये बेकार हो रही हैं। जिला परिषद् कहता है कि इनकी मरम्मत की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। उन पर कोई मरम्मत का कार्य जिला परिषद् नहीं करा रहा है। मैं कहूंगा कि उसको पी0 डब्लू0 डी0 को दे दिया जाए, और उनको उसकी पूरी जिम्मेदारी दे दीजिए। वहां एक बड़ी मुख्य सड़क काशीखेरा इटौरा सड़क है, उसको भी पूरी ठीके से मरम्मत कराई जाए, उस पर कोई पुल भी नहीं है, पुल का भी निर्माण कराया जाए और उसे भी पी0 डब्लू0 डी0 को सौंप दिया जाए। साथ ही कालपी-मदारीपुर सड़क पर भी एक पुल का शीघ्र निर्माण कराया जाए, क्योंकि वह सड़क तो बन रही है, उस पर पुल नहीं है। (लाल बत्ती होने पर) हमारे लिए यह बत्ती किसलिए जलाई गई है, इसमें किसी के बोलने के लिये समय की तो कोई सीमा नहीं रही है। सबको पूरा समय मिला है। यह हमारे लिए क्यों जलाई गई है, यह हमारे समझ में नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष—

ढाई बजे से मुख्य मंत्री जी को बोलना है, उत्तर देना है और उनके पहले अभी 3–4 सदस्य और बोलने को शेष हैं। अतः आपसे समाप्त करने को कहा जा रहा है।

श्री वीर सिंह सेंगर—

अच्छा, एक सड़क और है, शेरगढ़ घाट के पुल को भी प्राथमिकता देकर शीघ्र पूरा किया जाए। कदौरा चतेला सड़क को जलालपुर तक बढ़ाया जाए तथा उस मार्ग पर भी पुल बनाया जाए, पुल भले ही पीपों का बनाया जाए, लेकिन इस सबका शीघ्र निर्माण किया जाए। इस पुल के बनने से हमीरपुर जालौन का सीधा आवागमन शुरू हो जाएगा।

बुन्देलखंड में कुछ काम आपको और करना पड़ेगा और वहां उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी। यदि आप उसका विकास करना चाहते हैं, तो बिना इसके आप वहां की गरीबी को दूर नहीं कर सकते हैं। वहां पर हाथ से काम करने वाले बहुत लोग हैं, जो सूटर, गलीचे आदि बनाने का बहुत अच्छा काम करते हैं और कागज भी बनाते हैं। वहां का बना हुआ सामान बाहर भी जाता है। वहां पर हथकरघा मिल खोलने की परम आवश्यकता है। हमारे मंत्री जी वहां गये थे और वहां पर हथकरघा मिल खोलने की बात कर आए हैं। कालपी के बने गलीचे देश के बाहर जाते हैं, लेकिन वहां पर इसका एक ट्रेनिंग सेन्टर खोला जाए, जिससे लड़के लोग उन्हें अच्छे-अच्छे बनाने की शिक्षा प्राप्त कर सकें। जो 50 ट्रेनिंग सेन्टर्स आप खोलने जा रहे हैं, उनमें से–एक कालपी में भी अवश्य खोला जाना चाहिये। हमारे जिले में बावनी रियासत का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहां पर सदैव से लगान ज्यादा रहा है, पहले यह रियासत के अन्तर्गत था और लगान ज्यादा था। मेरा निवेदन है कि जब वह अब उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत आ गया है, तो वहां पर लगान की बढ़ी हुई दरों को खत्म कर दिया जाए। उनको लगान के आधार पर विकास कर भी ज्यादा देना पड़ता है, इसलिये उसको ठीक किया जाए। उस पर विचार किया जाए। जालौन जिले में धान की बड़ी समस्या है। लेकिन उसकी जालौन में कोई मिल नहीं है, दूसरे जिलों में लेवी दिये बिना धान जा नहीं सकता है। इसलिये वहां धान खरीदने की सरकार व्यवस्था करे या बाहर के जिलों में जिन पर लगी बंदिश को वह समाप्त कर दे। वहां जो नाले खुदे हैं, उनपर पुलिया नहीं बनाई गई हैं, इसलिये गल्ला ले जाने में किसानों

[श्री वीर सिंह सेंगर]

को बड़ी दिक्कतें होती हैं, उस पर पुलिया शीघ्र आपको बनवानी चाहिये। मान्यवर, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। कालपी में हाथ कर्घा उद्योग खोला जाय। मान्यवर मैंने लिख कर दिया कि आम सड़क पर, आम चौराहे पर शराब की ठेकी नहीं होनी चाहिए। वहां पर ओलूपुर का जो चौराहा है, वहां पर शराब की जो ठेकी है, उसको हटाया जाय। इस बारे में इंस्पेक्टर से जांच करायी गयी, तो इंस्पेक्टर ने यह रिपोर्ट दी कि यदि ठेकी वहां से हटा दी जायगी, तो सरकार के रेवेन्यु का लास होगा। मान्यवर, वहां पर शराब की ठेकी के पास लोग शराब पीकर सड़क पर नंगे पड़े रहते हैं, उधर से गाड़ियां, मोटर आदि जाते हैं, अगर मोटर गाड़ियां धीमी न चलाई जांय तो वे लोग कुचल जाय। वहां पर तमाम निबस्त्र भी पड़े रहते हैं। वहां से महिलायें भी आया जाया करती हैं। वहां पर लोग शराब पीकर बुरी-बुरी गालियां भी बकते हैं। मान्यवर, ब्लाक महेवा में मुसमरिया एक स्थान है वहां पर इन्टरमीडिएट कालेज खोला जाय और वहां पर कोई अस्पताल नहीं है। ब्लाक के अन्दर अस्पताल खोला जाय। कचहरा अस्पताल की इमारत तथा कचौरा इन्टर कालेज होस्टल बनाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष जी, जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है मैं उस बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि 26 जून, को जिस समय प्रधान मंत्री जी ने आतंरिक सुरक्षा की घोषणा की थी, उसी समय उन्होंने इस बात की भी घोषणा की थी कि हम इस इमरजेंसी का प्रयोग अपने देश के अनुशासन लाने में और यहां की जो आर्थिकस्थिति और उत्पादन गिरा हुआ है उसको बढ़ाने में उसका प्रयोग करेंगे और इसी लिए यह स्वाभाविक है कि जिस 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा प्रधान मंत्री जी ने की थी उस 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ा। मान्यवर, जो केन्द्रीय सरकार का बजट पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया उस बजट में भी उस बीस सूत्री कार्यक्रम की एक झलक पड़ती थी और हमारे लिए यह स्वाभाविक था कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी अब अपने प्रदेश का बजट प्रस्तुत करते तो उसमें भी उस बीस सूत्री कार्यक्रम का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता और इसी लिये जो बजट हमारे यहां प्रस्तुत किया गया है। उसमें तमाम कल्याणकारी योजनाओं का समावेश किया गया है और उन योजनाओं का भी समावेश किय गया है जिससे इन हरिजनों का कल्याण हो सके। लेकिन इस बीस सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वियन समाज के तथा दूसरे लोगों पर उत्तरदायित्व नहीं है। उसका उत्तरदायित्व मुख्य रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर है और इस दृष्टि से जब हम बजट को या किसी कार्यक्रम को देखते हैं, तो हमारे प्रदेश के अधिकारियों की स्थिति ऐसी नहीं हुई है कि वह हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सफल हों। हमारे प्रदेश के जो जिलास्तर के अधिकारी हैं वे आज समाजवाद के या बीस सूत्री कार्यक्रम को किस तरह हृदयगंम कर रहे हैं।

मान्यवर, गत दिसम्बर की घटना है उन्नाव जनपद के पुरवा तहसील के प्रांगण में कुछ वकील लोग अपने तख्त लगाये हुए थे और अपने छप्पर डालकर बैठे हुए थे और वे वर्षों से वहां पर तख्त डाले हुए, छप्पर डाले हुए चले आ रहे थे बीच में जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया कि इन छप्परों को वे लोग हटा लें और दूसरी जगह डाल लें। दूसरे पक्ष में वहां के परगनाधिकारी और तहसीलदार ने मिल कर एक पार्टीबंदी और दलगत राजनीति के आधार पर पांच वकीलों के बस्तों को लेकर और उनको होली की तरह बाहर जलवा दिया। और मान्यवर, उन तख्तों के अन्दर उनके जो बक्से बने हुए थे उनमें न मालूम कितने बहुमूल्य दस्तावेज थे उनमें एक वकील ओथ कमिश्नर थे। उनके बस्तों को जला दिया गया। उस समय राष्ट्रपति शासन था। हम लोगों ने इसकी सूचना सबसे उच्च अधिकारी को उस समय मुख्य सचिव से देने की कोशिश की। हम लोग 11-12 जनवरी को मुख्य सचिव से मिलने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये आये, लेकिन उनसे भेंट नहीं हो सकी इसलिये मैंने सारा मामला लिखकर उनके वैयक्तिक सहायक को दे दिया और प्रार्थना की कोई तिथि बताये जिससे हम लोग मुख्य सचिव से मिल सकें। दो-तीन दिन बाद 14 जनवरी को मुख्य सचिव ने समय दिया है इस बात की जानकारी मिली। जब हम लोग उनसे मिलने के लिये जा ही रहे थे कि जिलाधिकारी ने सूचना दी कि मुख्य सचिव को आवश्यक कार्य है और वह आज नहीं मिल सकते हैं। मेरा यह निवेदन है कि किस समय मुख्य सचिव ने यह सूचना भेजी थी कि उनको आवश्यक कार्य है तो उसी समय उनको यह भी सूचित कर देना चाहिये था कि कौन सी तिथि पर हम लोग उनसे मिलने के लिये आयें। लेकिन इस बात की सूचना नहीं दी गयी और आज तक मुख्य सचिव से भेंट नहीं हो सकी है। 15 दिन के बाद मुख्य सचिव का पत्र मिला कि उन्होंने हमारे पत्र को नियुक्ति विभाग को भेज दिया है, वहां पर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। मैंने सोचा था कि इसकी जांच पड़ताल होगी और जिस अधिकारी ने ऐसा व्यवहार किया है उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। 15 दिन के बाद एक पत्र मिला कि अब सारा मामला कमिश्नर के पास जांच के लिये भेज दिया गया है और अब इस पर कमिश्नर कार्यवाही करेंगे। लेकिन मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। वकीलों ने लगभग 2 महीने तक कोर्ट का वाइकाट किया और यह कहा कि जब तक जांच पड़ताल नहीं की जायेगी तब तक हम कोर्ट नहीं अटेन्ड करेंगे। लेकिन आज तक कोई जांच नहीं की गयी है।

मान्यवर, मैं एक दूसरा मामला और इसी तरह का बताता हूं कि उन्नाव जिले में बांगर मऊ एक कस्बा है वहां पर अब नगरपालिका की स्थापना हो गयी है। आप जानते हैं कि 26 जनवरी को सारे देश में और प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। बांगर मऊ में एक सार्वजनिक पार्क है। इस जिले के एक प्रसिद्ध नेता विशम्भर दयाल त्रिपाठी थे उनके नाम से इसका नाम रखा गया और यह बात वहां के एस0 डी0 एम0 को पसन्द नहीं आयी और उन्होंने पार्टी बन्दी की और 2–3 दिन के बाद नगर पालिका के कर्मचारियों को लेकर उन्होंने उस झंडे को उतार लिया और उसको फाड़ दिया। मान्यवर, इस मामले को मैंने विधायक होने के नाते मुख्य मंत्री जी को और कांग्रेस के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी शंकर यादव को दिया। श्री लक्ष्मी शंकर यादव, जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जब उनको यह सूचना मिली तो उन्होंने मुख्य मंत्री जी को लिखा और इस घटना पर बड़ा क्षोभ व्यक्त किया और उनसे यह आशा की कि इस मामले की जांच कराई जाय और जिस अधिकारी ने ऐसा कृत्य किया हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज तक भी इस घटना के सम्बन्ध में जिला स्तर पर सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समय सदन में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं है और जब कि विरोध पक्ष ने इस वाद–विवाद का बाई काट किया है, मंत्री परिषद् के सदस्य सभी इस विवाद से अपने को अलग रख रहे हैं।

श्रीमन्, 1 से 2 बजे के समय को छोड़कर किसी भी समय देख लिया जाय आपको इस सप्तऋषि मंत्रिमंडल का कोई सदस्य दिखाई नहीं पड़ता है। जब मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री ही सदन में नहीं बैठेंगे तो उनके जो सचिव लोग हैं, वे भी नहीं बैठते हैं। मैंने सौभाग्य से अनेकों बजट सेशन देखें लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि सदन में मुख्य मंत्री न बैठते हों और कोई भी मंत्री, ऐसा नहीं होता था, कि, सदन से बाहर चला जाय। जब सदन में चीफ सेक्रेट्री और अन्य सेक्रेट्री जैसे होम सेक्रेटी आदि बैठते थे तो मालूम पड़ता था कि वाद विवाद में हिस्सा ले रहे हैं और उसकी कोई नोटिस ले रहे हैं लेकिन अत्यन्त खेद है कि हम सदन में चाहे जो कहें, उसका कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। श्रीमन्, आप उस स्थान पर विराजमान हैं जहां सदस्यगण अपनी बात कह सकते हैं और प्रदेश में जो घटनायें हो रही हैं, वे आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे आशा है जो बात मैंने कही है, सरकार उनका नोटिस लेगी और कार्यवाही करेगी।

[श्री भगवती सिंह विशारद]

मान्यवर, उन्नाव एक ऐसा जनपद है जहां पर वे अधिकारी नियुक्त होते हैं जैसे उन्हें किसी ट्रेनिंग सेन्टर में भेजा गया हो। जो सज्जन कहीं से पास होकर आते हैं पहले उन्हें उन्नाव में भेजा जाता है और फिर उसे एस0 डी0 एम0 बना दिया जाता है। हमारे यहां पर जो एस0 डी0 एम0 हैं, वे किसी दरोगा से ज्यादा नहीं हैं। वे जगह-जगह पर जाते हैं और किसानों से मारपीट करते हैं। और अगर उनका बस नहीं चलता है तो वे कभी कभी पी0 ए0 सी0 को साथ ले जाते हैं। जिस एस0 डी0 एम0 का जिक्र मैंने झंडे को गिराने के बारे में किया है वे ही जब किसी की भूमि का विवाद खड़ा होता है वे मौके पर जाते हैं। जब कोई उनसे कहता है कि यह जमीन कैसे बट सकती है, नहीं बंटेगी तो इस बात पर एस0 डी0 एम0 स्वयं मारपीट कर देते हैं। और जब उस किसान को जोश आता है तो वह उल्टे एस0 डी0 एम0 को भी हाथ लगा देता है। उसके बाद वे जिले के हेडक्वार्टर पर आते हैं और दूसरे एस0 डी0 एम0, पी0 ए0 सी0 के लोगों को और दरोगा और पुलिस के सिपाहियों को ले जाते हैं और वहां पर जो नंगा नृत्य करते हैं, उसकी जितनी भर्त्सना की जाय, उतनी ही थोड़ी है। यही नहीं श्रीमन्, वे 20-25 आदमियों को गिरफ्तार करके ले आय, उनको उन्होंने मारा-पीटा और बाद में उनको छोड़ दिया। लेकिन 3 व्यक्तियों को डी0 आई0 आर0 में बंद कर दिया।

जिला कांग्रेस कमेटी के झंडे के झगड़े पर उन्होंने वहां के ब्लाक कांग्रेस कमेटियों को उनके बीच में भी उसका प्रवेश करा दिया। और दो ब्लाक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों पर दफा 107-117 के मकदमें कायम किये गये हैं। जो निर्णय कि लक्ष्मीशंकर यादव जी को लेना चाहिये कि कौनसी ब्लाक कांग्रेस कमेटी सही है, कौनसी वार्ड कांग्रेस कमेटी गलत है उसको एस0 डी0 एम0 107-117 का मुकदमा चलाकर तय करना चाहते हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसकी शिकायत किससे करूं और कैसे करूं। लिखकर भेज दिया चिट्ठी भेज दी। हमारे जो प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी सारा मामला भेज दिया है। सिर्फ एक काम बाकी रह गया है। आपको स्मरण होगा कि जब राष्ट्रीय आन्दोलन चलते थे और आजादी की लड़ाई में हम आप भाग लेते थे तो गांव वाले कहते थे कि अब तो झंडा उठ गया। वही काम बाकी रह गया है। झंडा नहीं उठा है, कोई आन्दोलन नहीं छिड़ा है। लेकिन मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि हम पुराने कांग्रेस-जन हैं। हम उस मिट्टी के नहीं बने हुए हैं कि आप फूंक दें और हम उड़ जायं। हम उस झंडे के लिए शहीद हुए हैं। नागपुर में जब सत्याग्रह चला था उस समय से हम भाग लेते चले आ रहे हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को, कांग्रेस के झंडे को कोई अपमानित करेगा तो मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हम सहन नहीं करेंगे। 15 दिन के अन्दर इस विषय में अगर सरकार की ओर से कोई समुचित रूप से कार्यवाही नहीं की गयी तो मैं एक विधायक होने के नाते से इस सदन का सेवक होने के नाते और जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके द्वारा इस सरकार को बता देना चाहता हूं कि सत्याग्रह होगा और झंडा उठेगा। मान्यवर, इस सरकार ने एक नाटक रच रखा है कि (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य जरा शांति बनाये रखें और विशेषकर मंत्रिपरिषद् के सदस्यों से कहूंगा कि गम्भीरतापूर्वक माननीय भगवती सिंह जो अपनी बात कह रहे हैं, उसको थोड़ा सुनें।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, एक आदेश निकला हुआ है कि 50 वर्ष का जो भ्रष्ट कर्मचारी हो जायगा उसके खिलाफ हम जांच करेंगे और उसकी स्क्रीनिंग करके उसकी सेवाएं समाप्त कर देंगे, नौकरी से अलग कर देंगे। बड़ा अच्छा आदेश है, इसका निश्चितरूप से पालन होना चाहिये। लेकिन मान्यवर, एक बात आपसे जानना चाहता हूं और संभवतः सरकार इस बात का नोटिस ले कि जो 25-26, 30 साल का नवयुवक नौकरी में आया है, अगर वह भ्रष्टाचार करेगा

तो क्या 20 साल तक सरकार प्रतीक्षा करती रहेगी कि 50 साल पूरे हो जायं। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी चाहे आज आया हो, चाहे 50 वर्ष पूरे हों या न हो, उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिये और ऐसे हर कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये और हर भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को तत्काल सर्विस से अलग कर देना चाहिये। और ऐसा अधिकारी जो झंडा गिराता हो, जो वकीलों के बस्ते फूंकता हो उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये।

मान्यवर, हमारे जनपद में शांति और व्यवस्था की हालत अत्यन्त दयनीय है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है, सप्ताह नहीं जाता है जिसमें कोई मर्डर की रिपोर्ट न होती हो, अस्पताल में पोस्ट-मार्टम न होता हो और कहा यह जाता है कि ये सारे मामले आपसी झगड़े और विवाद हैं। हम मानते हैं कि किसी हद तक यह बात सही है, लेकिन मान्यवर, अगर पुलिस सही ढंग से कार्य कर रही हो तो ये बातें बहुत हद तक खत्म हो सकती हैं। पिछले महीने में एक स्थान बेधर है। वहां पर दो गुट हैं जिनमें रंजिश चली आ रही है। उनका झगड़ा शुरू हुआ तो एक पक्ष के हथियार रखवा लिये गये। वह लोग बराबर पुलिस कप्तान के पास जाते रहे और इस बात की मांग करते रहे कि हमारे हथियार रखवा लिये हैं, अगर हमें हथियार नहीं दोगे तो हमारा कत्ल हो जायगा, मर्डर हो जायगा। और जिले के जितने भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस बात से जरा भी परिचित थे उन सब ने पुलिस कप्तान से शिकायत की कि इनके जीवन रक्षा के लिये हथियार उनके पास रहने चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जिस बात की वे लोग आशंका करते थे वही हुई। पिता और पुत्र का, पिता और भतीजे का एक ही समय दिन में सड़क पर मर्डर कर दिया गया और मारने वाले बड़े आराम से दूसरे जिले में चले गये और वहां आत्मसमर्पण कर के जमानत करा ली। तो यह स्थिति हमारे जनपद में ला एण्ड आर्डर की, शान्ति व्यवस्था की है। अगर इसमें किसी तरह का सुधार नहीं किया गया और इस बात की चेष्टा नहीं की गयी कि उन्नाव जिले की हालत सुधरे तो वहां की हालत दिन पर दिन खराब होती चली जायेगी।

आंकड़ों में सुधार करने में हमारे यहां के अधिकारी बड़े माहिर हैं। डकैतियां कम करने के लिये एक नया तरीका निकाल लिया है। ऐसे लोग जो अपने मामलों की पैरवी नहीं कर सकते हैं उनको छांटा जाता है और एक जगह इकट्ठा किया जाता है। 4-6 दिन बाद जब 10-5 आदमी इकट्ठे हो गये तो किसी गांव में डकैती की गिरोहबन्दी के आरोप में उनको बन्दी दिखा दिया जाता है और फिर उनको जेल भेज दिया जाता है। उसमें आमतौर से हरिजन और ऐसे लोग होते हैं जो अपने मुकदमों की पैरवी नहीं कर सकते या ऐसे लोग होते हैं जो किसी वजह से चाहते हैं कि जेल चले जायं और वह जेलखाने भेज दिये जाते हैं। तब पुलिस अधीक्षक की यह मंशा पूरी हो जाती है कि हमने डाकुओं के इतने गिरोहों का सफाया कर दिया। लेकिन डकैतियां बन्द नहीं होती हैं। शिकायत भी करते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है। इस तरह से हमारे जनपद की कानूनी व्यवस्था अत्यन्त शिथिल है। अगर यहां कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो हालत दिन पर दिन खराब होती चली जायगी।

हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम में सबसे पहले इस बात की घोषणा की गयी थी कि देहातों में भूमि का आवंटन किया जायगा और इस भूमि आवंटन के सिलसिले में पाटिल साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने कुछ निर्देश दिये थे जिनमें से 18 नम्बर के निर्देश में यह कहा गया था कि यदि किसी भूमि पर किसी व्यक्ति का अनधिकृत कब्जा है और वह भूमि आवंटन के समय के पहले तक उस भूमि पर से अपना कब्जा हटा लेता है और यह लिख कर दे देता है कि हमने अपना कब्जा हटा लिया है तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर 115-सी या दूसरी जो कार्यवाहियां है वह नहीं होगी। लेकिन मान्यवर, इसके विपरीत कार्यवाही की गयी। हमारे यहां एक पुरवा तहसील है। वहां गांव-गांव में हम सब लोगों ने भूमि आवंटन के सम्बन्ध में इस बात की कोशिश की कि जितनी अवैध कब्जे वाली भूमि है उसको ले लिया जाय और उन लोगों ने कब्जा स्वतः छोड़ भी दिया और

[श्री भगवती सिंह विशारद]
अपनी-अपनी अदालत में यह लिख कर दे दिया कि जिस भूमि के ऊपर हमारा कब्जा था उस विवादित भूमि पर से हम अपना कब्जा छोड़ रहे हैं, अब हमारे ऊपर आगे की जो कार्यवाही है वह न की जाय। लेकिन उन सब लोगों के लिख लेने के बाद और यह आश्वासन देने के बाद तहसीलदार ने उसका नाजायज फायदा उठाया और लोगों के ऊपर डेढ़-डेढ़, दो-दो हजार रुपये जुर्माना कर दिया।

मैं राजा साहब से खासतौर से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रश्न को मंत्रि परिषद् में रखने की कृपा करें और जिस मामले में इस बात का सबूत मिल जाय कि भूमि आवंटन के पहले इस व्यक्ति ने अपना अवैध कब्जा हटा लिया था उसके ऊपर अगर 115-सी चलने के कारण किसी तरह का जुर्माना या हरजाना भी कर दिया गया है तो वह उससे वसूला न जाय और उसको माफ कर दिया जाय। अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो जो विश्वास हमारी भूमि सुधार समिति ने लोगों को दिया और जो बात लेकर हम स्वयं गांव-गांव गये और लोगों को इस बात के लिये समझाया कि कब्जा हटा लें हम लोगों की वह बात गलत साबित होगी और भूमि-व्यवस्था समिति की भी घोषणा गलत साबित होगी। और छोटे लोग जो आगे चल कर इस मामले को लेकर मुकदमा लड़ सकते थे या अपने पक्ष को सुदृढ़ बना सकते थे, वे डेढ़-डेढ़ और दो-दो हजार जुर्माने के चक्कर में आ जायेंगे। तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस प्रश्न पर मंत्रि-परिषद् विचार करे और विचार करने के बाद इस मामले को सही ढंग से निबटा कर ऐसे लोगों के जुर्माने को माफ करावें।

मान्यवर, मैंने पहले ही आप से निवेदन किया है, मीसा और डी0 आई0 आर0 के अन्दर हर जिले में कुछ न कुछ लोग ऐसे बन्द हैं जिनका न तो राजनीति से कोई ताल्लुक है और न वे कोई खराब आदमी हैं। लेकिन वे किस तरह से बन्द हो गये हैं, यह इसलिये नहीं मालूम कि यह पुलिस के हाथ में है। क्योंकि जब कोई पत्नी, माता या परिवार का कोई सदस्य जिला कांग्रेस कमेटी में आकर अपनी-अपनी दुख गाथा सुनाता है तो उस समय हमें अहसास होता है कि कहीं-कहीं पर इस कानून का दुरुपयोग किया गया है। मैं यहां-मंत्रि परिषद् से उपस्थित सदस्यों से इस बात की प्रार्थना करता हूं कि इस समय तक बहुत स्पष्ट हो गया है और कुहरा भी छंट गया है, बिलकुल साफ स्थिति है, तो जिले-जिले में इस बात की जांच करवायें कि ऐसे कौन से निर्दोष व्यक्ति हैं जिनको रंजिश के कारण या कहीं-कहीं चुनावों में एक दूसरे का विरोध करने के कारण लोगों को डी0 आई0 आर0 या मीसा में बन्द कर दिया गया। उनके मामलों पर पुनर्विचार कर लें और जो निर्दोष लोग हैं उनको रिहा करने की कृपा की जाय। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी देखने में आया है कि हर जिले में ऐसे लोग हैं जिनको डी0 आई0 आर0 में या मीसा में बन्द होना चाहिये था और जो अराजक तत्व और आतंकवादी लोग हैं, उनको आज भी पुलिस का संरक्षण प्राप्त है और वे जगह-जगह घूम रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ इस तरह की कार्यवाही की जानी चाहिये। इतना ही नहीं-आर0 एस0 एस0 के जिला स्तर के प्रचारक लोग आज भी जिले के अन्दर आजादी से घूम रहे हैं और उनके ऊपर न तो डी0 आई0 आर0 लगाया जा रहा है और न मीसा लगाया जा रहा है। क्योंकि किसी न किसी पुलिस अधिकारी का संरक्षण उनको प्राप्त है और इसी कारण उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है। इस तरह जहां एक ओर गलती करने वालों को छोड़ा गया है, वहीं पर दूसरी ओर निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ा गया है। मैं इस बात की भी प्रार्थना करता हूं कि हमारी मंत्रि-परिषद् और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि कौन है जो इस कानून की गिरफ्त से बचने की कोशिश कर रहा है और किस तरह से निर्दोष व्यक्तियों को इस कानून की गिरफ्त में लिया जा रहा है। जो दोषी व्यक्ति हैं उनको निश्चित रूप से जलखानों में बन्द किया जाय।

बजट के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने निवेदन किया, बहुत अच्छा होने के बावजूद इसमें दो एक असन्तुलन दिखलायी पड़ते हैं। यह असन्तुलन तीन-चार वर्षों से निरन्तर चला आ रहा

है। यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि तीन चार वर्ष के अन्दर इस पर विचार नहीं हो सका है। मैं आपको बतलाऊं कि तीन चार वर्ष पहले काफी जोर इस बात पर लगाया गया कि हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ दिया जायेगा और कोई भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसकी आबादी 1500 की हो और उसे मुख्य सड़क से न जोड़ दिया जाय। दो–तीन वर्ष ज्यादा जोर रहा लेकिन इधर दो तीन वर्ष से क्या हो रहा है कि कहा गया कि हमारे पास एक पैसा भी अब सड़क के लिये नहीं है। इससे पहले था कि नहरों की पटाई के लिये एक पैसा नहीं था और फिर जब सिंचाई पर ज्यादा जोर दिया गया तो हालत यह हो गयी कि एक पैसा भी नहीं है कि नहरों की सफाई करने वालों का पेमेंट किया जा सके। इसी तरह से जहां पहले सड़क पर जोर दिया गया था, अब इस वर्ष आप देखें कि अब सिंचाई और बिजली पर काफी जोर दिया गया है। लेकिन आवागमन के साधनों को बढ़ाने की जहां तक बात है, उसकी बिलकुल अवहेलना की गयी है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस असन्तुलन को दूर करने की कोशिश करें।

एक बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता था। वे इस समय यहां हैं नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी बात उन तक अवश्य पहुंच जायेगी। मान्यवर, श्री नारायण दत्त तिवारी, जो कि वर्तमान मुख्य मंत्री हैं बड़े ही ताकतवर और शक्तिशाली हैं। कोई भी मुख्य मंत्री न तो अब तक ऐसा हुआ है और न भविष्य में होने की आशा है। मान्यवर, सामान्य प्रशासन, गृह (पुलिस), वित्त, नियोजन और भारी उद्योग जैसे मुख्य मुख्य विभाग माननीय तिवारी जी के पास हैं। आज तक कभी कोई मुख्य मंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसके पास इतने सारे विभाग रहे हों और विशेषकर सामान्य तथा वित्त रहे हों। मैंने अर्थ शास्त्र की छोटी मोटी किताब पढ़ी है। मैंने पढ़ा है कि वित्त विभाग का एक खास दर्जा होता है। अब तक वित्त विभाग अलग मंत्री के पास होने से उसके पास जो भी चीज आती थी वह एक प्रासेज से होकर गुजरती थी और उसमें काफी समय लग जाया करता था। अब चूंकि सामान्य प्रशासन और वित्त दोनों ही माननीय मुख्य मंत्री जी के पास हैं, अतः अब हर चीज प्रासेज से नहीं गुजर पायेगी। प्रदेश के 10 करोड़ लोगों के मामलों को तुरन्त निबटाना होता है एक मुख्य मंत्री को। मुझे आशा है वे शीघ्र प्रदेश की समस्याओं को हल कर सकेंगे अपने वित्त मंत्री के रूप को उन्हें अलग रख कर, मुख्य मंत्री की हैसियत से ही कार्य करना होगा, तभी प्रदेश का कल्याण हो सकेगा। हम सब लोग भी उनका हर तरह से समर्थन करेंगे और सहयोग देंगे।

(श्री दीपनारायण पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)––
हम लोग तो श्रीमन्, भूखों मर गये।

श्री उपाध्यक्ष––
आप तो हर तरह का भोजन कर ही रहे हैं। इस तरह से यहां की मर्यादा तो कभी तोड़ी ही नहीं गयी जिस तरह से आप कर रहे हैं। अभी तक यहां कोई पान मंगा कर नहीं खाता था। अब पान क्या लोग भोजन भी यहां करने लगेंगे, चाय भी पिया करेंगे। क्या आप यह सब पसन्द करेंगे? जब चपरासी से पान मंगा कर यहां हाऊस में खाये जायेंगे तो यहां सदन की मर्यादा कैसे रहेगी?

*श्री दीपनारायण पांडेय (जिला गोंडा)––
अभी मान्यवर, माननीय विशारद जी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम का जिक्र किया तथा अपने भाषण में जिन बातों को कहा, मैं भी उस संदर्भ में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीप नारायण पांडेय]

सरकार जो कुछ भी इस प्रदेश में करने जा रही है वह तो दिखायी नहीं पड़ता, लेकिन जो कुछ हो चुका है वह सारा का सारा दिखायी पड़ रहा है। एक अभियान भूमि वितरण का चलाया गया है। भूमि वितरण तो हुआ, मगर कुछ जगह ठीक हुआ, कुछ जगह गड़बड़ी हुई है। हमारे प्रदेश में बहुत से बड़े-बड़े भूमि पति हैं। मैंने उसकी चर्चा यहां सदन में भी की है। उनकी जमीन नहीं जा रही है। सारे कानून बने हुये हैं मगर पता नहीं कैसे वे उससे बच जाते हैं। शायद सरकार भूमि-पतियों से डरती है और अधिकारी भी डरते हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भूमि वितरण एक मुख्य अंग है। जो बड़े-बड़े लोग भूमि बचाये हैं उनकी भूमि भी ली जानी चाहिये। मुझे यह मालूम हुआ, गोंडा जिले के अधिकारियों ने बताया कि कुछ बड़े-बड़े भूमि पति ऐसे हैं जिनके यहां तमाम बेनाम खातेदार हैं, लेकिन आजतक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। तो मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि क्या कारण हैं कि सरकार क्यों नहीं इन भूमि पतियों से फालतू जमीन निकालती है ?

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के लिये इस बजट में तमाम चीजों के ऊपर हमारे मुख्य मंत्री महोदय, ने प्रकाश डाला है। इनमें से थोड़ी चीजों को मैं लूंगा। अभी माननीय विशारद जी ने सड़कों के ऊपर प्रकाश डाला है। बिजली और सिंचाई के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। मान्यवर, बिजली हमारे देश और प्रदेश के लिये बहुत ही आवश्यक है। इसके बगैर न तो ट्यूबवेल और न कल कारखाने ही चल सकते हैं। बिजली की लाइनों का जाल बिछा देना बिल्कुल उचित है और जैसा कि इस बजट में भी दिखाया गया है कि इस साल 5 सौ गांवों में हम बिजली देने जा रहे हैं। मान्यवर, जैसा कि विशारद जी ने कहा मैं भी कहना चाहता हूं कि जहां सड़कों पर इस प्रदेश में करोड़ों रुपया खर्च किया गया है। जहां पर सड़कों पर मिट्टी डाली गयी है वह सारी की सारी मिट्टी बह गयी है। मेरे जिले में भी सारी की सारी मिट्टी सड़कों से बह गयी है। अगर हमारे मुख्य मंत्री जी या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी जाकर देखें तो पता चलेगा कि क्या सड़कों की दुर्दशा है। जनता का, इस प्रदेश का करोड़ों रुपया व्यर्थ चला गया है। तो जो भी सड़क बनायी जाय वह पूरी बनायी जाय जिससे पैसे का नुकसान न हो। मान्यवर, कोई आदमी साइकिल भी लेकर नहीं चल सकता है। मान्यवर, नयी सड़कों के बारे में मैंने तमाम चीजों को लिखकर दिया और जिले की कमेटियों से भी लिखकर आता है लेकिन जब से यह सदन बना है तब से कोई नयी सड़क नहीं बनायी गयी है। यहां पर सारे विधायक बैठे हैं कहीं पर एक भी नयी सड़क नहीं बनायी गयी है। केवल हम देखते हैं कि कागज पर हर रोज पढ़ा जाता है। नयी-नयी विकास योजनाओं के बारे में केवल पढ़ा जाता है। जहां तक जमीन के बंटवारे का प्रश्न है इसमें जो कुछ हुआ उसमें भी बड़े आदिमयों को छोड़ दिया गया है केवल छोटे आदमियों को या फिर ग्राम समाज की जमीन बांटी गयी है।

मान्यवर, समाज की उन्नति और प्रदेश की उन्नति के लिये सड़कों की बहुत ही आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में सड़कों की बड़ी दुर्दशा है। आज ही एक प्रश्न आया था। दुबहा बाजार, तहसील गोंडा में वर्षा में वह इलाका इतना कट जाता है कि मालूम नहीं पड़ता है कि इस प्रदेश से इसका कोई संबंध है। वहां न कोई अधिकारी ही जा सकता है और न पुलिस ही जा सकती है। पूरा इलाका डूब जाता है। जिला परामर्श दात्री समिति ने भी लिखकर दिया था कि यहां पर सड़क बनायी जाय लेकिन सरकार का स्टेटमेंट आता है कि पैसा नहीं है। बड़ी शोचनीय दशा आज सड़कों की है। गांवों की जिन्दगी में तब्दीली लाने के लिए सड़कों की बड़ी अवश्यकता है। पर सड़कों का बनाना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जो बनती भी है उसमें ठेकेदार, ओवरसियर, इंजीनियर आदि मिलकर आधा पैसा खा जाते हैं। कोई कायदा कानून उनके लिये नहीं है। अगर एक करोड़ रुपये सड़क के लिये रखे जाते हैं तो 30-40 लाख रुपया ओवर सियर, इंजीनियर, ठेकेदार और ऊपर से

लेकर नीचे तक जितने कर्मचारी हैं वह उसमें हिस्सा बांट लेते हैं। इस तरह से पैसे का दुरुपयोग होता है। मेरा निवेदन है कि जो जनता का पैसा है, जो टैक्स वसूल किया जाता है और जिसका वितरण विभागों को किया जाता है तो जब तक सरकार विभागीय अधिकारियों पर अंकुश नहीं रखेगी तब तक इस प्रदेश की उन्नति होने वाली नहीं है।

मान्यवर, सिंचाई पर ब ा जोर दिया गया है। हमारे उधर शारदा सहायक कैनाल है जो बहराइच, बाराबंकी होते हुये सुल्तानपुर को जाती है। एक योजना थी सरयू कैनाल, जो गोंडा, बस्ती होते हुये गोरखपुर तक जाय। मैं हर बजट में देखता हूं कि सिंचाई पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है लेकिन मैंने नहीं देखा कि गोंडा जिले में सिंचाई की योजना पर कुछ पैसा खर्च हुआ हो।

मैं नहीं समझ पाता हूं कि आखिर इस बजट में क्यों गलत तरीके से लिख दिया जाता है और यदि होता है तो हम लोगों को दिखाई क्यों नहीं प ता है। किसी भी क्षेत्र में चले जायं टयूबवेल नहीं लगे हैं। किसान पूंछता है कि ट्यूबवेल क्यों नहीं लगते हैं और नहरें क्यों नहीं बनती हैं तो इसका हमारे पास जवाब नहीं है। हम यहां कहते-कहते ऊब गये हैं और कहने से कुछ होने वाला नहीं है तो क्या कहें। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से शारदा सहायक कैनाल योजना बनायी गयी है, उसी तरह से सरयू कैनाल योजना भी बनायी जाय जिसे गोंडा, बस्ती, बहराइच और गोरखपुर आदि में सिंचाई की सुविधा मिल सके। पूर्वी जिलों में सिंचाई को कोई देखने वाला नहीं है। बजट में आता है कि पैसा दिया जाता है लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कौन काम हो रहा है। इसलिये सरयू कैनाल योजना यदि बनायी गयी तो उससे किसानों को लाभ पहुंचेगा। शारदा कैनाल पर करोड़ों रुपये खर्च किया गया और वह योजना गोंडा, बस्ती की तरफ जानी चाहिये थी लेकिन वह दूसरी तरफ चली गयी। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है उससे भी वहां के किसानों को लाभ होगा। लेकिन पूर्वी जिलों गोंडा, बहराइच, बस्ती में भी कुछ होना चाहिये।

मान्यवर, उद्योगों की जहां तक बात है तो यह पूर्वी जिलों में केवल एक गोरखपुर जिले में कुछ चीजें कर दी गयी हैं और सरकार उससे अन्दाजा लगा लेती है कि सारे पूर्वी जिलों गोंडा, बस्ती, बलिया में भी हो गया है। यदि सरकार यह उम्मीद लगा लेती है कि गोरखपुर से ही सारे जिलों की उन्नति हो गयी तो प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती है। हमने कई बार मुख्य मंत्री जी से परसनली मिलकर कहा कि गोंडा, देवरिया आदि में 30-40 चीनी मिलें हैं। पिछले साल सैकड़ों एकड़ गन्ना सूख गया और हमने कहा था कि गोंडा में एक चीनी मिल लगाये जहां कि गन्ना ज्यादा होता है। लेकिन गन्ने की मिलें भी वहां लगाने जा रहे हैं जहां गन्ना नहीं है। तो इससे मान्यवर, करोड़ों रुपये बेकार होंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जनता के धन के साथ इस तरह से सरकार खिलवाड़ न करें और इस पर सरकार विचार करे। यदि न हो सके तो विलेज कमेटी बना दे जो वहां जाकर अध्ययन करे। किन्तु यह नहीं होगा और ब्यूरोक्रेट की रिपोर्ट पर सारी चीजें होंगी जिससे अब इस प्रदेश के किसानों को लाभ नहीं होने वाला है। जो यह भी नहीं जानते हैं कि कौन चीज कब पैदा होती है, उस पर सरकार विश्वास करती है जिससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो चीजें किसान पैदा करते हैं उनके मूल्यों में और दूसरी चीजों के मूल्यों में काफी अन्तर है। मुझे शिकायत नहीं कि गेहूं 105 रु0 में लें लेकिन और चीजें जब बाजार में किसान लेने जाय तो वह भी सस्ती होनी चाहिये। आज किसानों की परचेजिंग शक्ति समाप्त हो गयी है। किसानों के पास वह शक्ति नहीं रह गयी कि वह मारकेट में कोई चीज खरीद सके। दूसरी स्थिति यह हो गई कि जो किसान दस-बीस साल से कोआपरेटिव के बकायादार थे तो उनका किसी का घर नीलाम हो रहा है तो किसी का खेत नीलाम हो रहा है और किसी के बर्तन नीलाम हो रहे हैं। हमारे गोंडा जिले में जो तबाही हुई उसका वर्णन मैं विधान सभा में नहीं कर सकता। छोटे-छोटे किसानों से तो आपने वसूल कर लिया लेकिन जो बड़े किसान हैं और जिन पर लाखों

[श्री दीप नारायण पांडेय]
का बकाया है उनसे वसूल नहीं किया गया। उनके यहां तो आपके अधिकारी भी नहीं गये।

दूसरी बात यह है कि जब से इमरजेन्सी लाग हुई तो कुछ सुधार हुआ, अनुशासन आया। इमरजेन्सी जबसे लागू हुई तो सेन्ट्रल लीडर्स के आदेश थे कि पुलिस का कहीं भी जुर्म न हो और वह गलत काम न करे। होम मिनिस्टर का स्टेटमेंन्ट निकलता रहा है और इन्दिरा जी भी कहती रही हैं कि पुलिस अत्याचार न करे और इमरजेन्सी का गलत इस्तेमाल न हो। लेकिन मान्यवर, जहां इमरजेन्सी से अनुशासन आया है वहीं पुलिस के दरोगा को एक तरह की खुली छूट मिल गयी है। हमारे गोंडा में एक कान्ड हुआ। उसमें दो मुसलमानों को पकड़ा गया और तुलसीपुर थाने में दरोगा ने उनकी दाढ़ी नोच ली और मुंह में पेशाब कर दिया। एस0 पी0 को लिखा, मुख्य मंत्री जी से शिकायत की। अगर इस तरह से पुलिस की निरंकुशता चलती रही तो क्या होगा? दूसरा अभी हाल का वाकया है। खुले आम पुलिस के दरोगा ने एक आदमी को बीसों डंडे मारे। आई0 जी0 से शिकायत की। ब्रहमानन्द रेड्डी स्टेटमेंट देते हैं कि पुलिस एट्रोसिटीज नहीं होनी चाहिये, इन्दिरा जी भी यही कहती है लेकिन इन्दिरा जी और ब्रहमानन्द रेड्डी हर तहसील में नहीं जा सकते। अगर हम प्रतिनिधि शिकायत लाते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिये और फिर कार्यवाही की जानी चाहिये। लेकिन होता यह है कि कोई जांच नहीं की जाती। कागज डी0 वाई0 एस0 पी0 के पास जाता है तो वह लिख देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारे यहां गोंडा में इस तरह की घटनायें हो रही हैं तो इसका लांछन हमारे आपके ऊपर आता है। मैं तो सरकार से यह मांग करता हूं कि अगर इस प्रकार की शिकायत पुलिस विभाग के खिलाफ आती है तो उसकी जांच या तो सी0 आई0 डी0 से करायें या विजीलेस को दे दें और इंक्वायरी के बाद यदि सही पाया जाय तो ऐसे आदमी को बर्खास्त कर देना चाहिये। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनको देखकर बड़ी तकलीफ होती है। पुलिस वाले जो चाहते हैं, करते हैं। जिससे पैसा मिल जाता है उसको छोड़ देते हैं। इन सात आठ महीनों में एक-एक दरोगा लखपति हो गया है। इन पुलिस एट्रोसिटीज पर ध्यान देना पड़ेगा,। हमारी, मंत्रियों की और पूरे सदन की जिम्मेदारी है कि इस तरह से जुल्म जनता पर न ढाए जांय। मीसा और डी0 आई0 आर0 में जिन लोंगों को बन्द होना चाहिये वह तो बाहर घूम रहे हैं और छोटे लोगों को सताया जा रहा है।

हमारे यहां मिल वालों ने आर0 एफ0 सी0 के अधिकारियों से मिलकर काफी घपला किया है। गवर्नमेंट रेट तो 66 रुपये का और 62 और 65 पर धान की खरीददारी हुई। आर0 एफ0 सी0 और इंसपेक्टर्स से मिल कर लाखों रुपया कमा लिया। मुझे यह भी इत्तला हुई। फैजाबाद के आर0 एफ0 सी0, प्रति बोरे से एक रुपया निकलवा लेते हैं। क्या कार्यवाही हुई। इस प्रकार से जो बातें समाज में हो रही हैं, ऐसे लोगों को लाइसेंस दे दिया जाता है और अगर इन बातों को न रोका गया तब आनेवाले दिन बहुत ही भयानक होंगे और उस समय स्थिति को सम्हालना कठिन हो जायेगा। समाजवादी व्यवस्था के लिये, 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिये शासन को सख्त होना पड़ेगा। केवल बड़े ही आदमियों को छूट नहीं होगी। अगर बड़े आदमियों और पूंजीपतियों को ही छूट दी जाती रहेगी तब इस देश और प्रदेश में खुशहाली का आना मुश्किल है। हम लोग समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लिये कमिटेड हैं, हमको गरीबों को रोजी-रोटी देना है तो उसके लिये कठोर कदम उठाने होंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम में बंधक मजदूरी को खत्म करने की बात है लेकिन आज भी बंधक मजदूर बनाये जा रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रासीक्यूट नहीं किया जाता है।

अन्त में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको इन सारी स्थितियों को साफ करना है और जो हमारा कार्यक्रम है और जिसके लिये हम लोग कमिटेड हैं उसको लागू करने के लिये कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी। जैसा कि विशारद जी ने कहा कि जो नया अधिकारी हो

जाता है, आप यों तो 50 साल वाले को रिटायर कर देते हैं, लेकिन यह नया अधिकारी कहीं अधिक भ्रष्टाचार करता है, तो उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करते हैं। जैसे कि चकबन्दी वाले लोग हैं। वहां पर दो साल के अन्दर ही हर चकबन्दी अधिकारी लाखों रुपये कमा लेता है। आपने उनको भी नौकरी से निकालने के लिये क्या कदम उठाये हैं? इस सुधार को लाने के लिये किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, जनता को कान्फीडेंस में लेना होगा और समाजवादी रास्ते पर चलना होगा। आज भी भूमिपति लोग न मालूम कितनी भूमि दबाये बैठे हैं उसको देखना है। किसी न किसी तरह से लोग मैनीपुलेशन करके इन सारी चीजों को दबाये हैं। बड़े-बड़े इन अधिकारियों के विरुद्ध आपको सख्त कदम उठाना ही होगा। आपको अपने कार्यक्रम को मजबूती के साथ लागू करने के लिये सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। अन्त में इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और यह निवेदन करूंगा कि शासन इसको सख्ती के साथ लागू करे और आवश्यक कार्यवाही करें। (धन्यवाद)

श्री महाबीर प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो 1976-77 का बजट प्रस्तुत किया गया है उस पर बोलने के लिये आपने जो मुझे अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। इसके पूर्व कि मैं सामान्य बजट पर बोलूं मैं इसके पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं। सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि 26 जून, 1975 को जब कि इस देश में इमरजेन्सी लागू की गई उसके पूर्व इस देश की क्या स्थिति थी? जिस समय ऐसी स्थिति हो गई थी कि हमारे देश की नींव हिलने लगी थी। उसी समय हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 26 जून, 1975 को देश में आपात्कालीन स्थिति डिक्लेयर की थी और उस घोषणा के बाद इनके सामने यह विकल्प आया कि आपात्कालीन स्थिति की घोषणा के बाद ऐसा कार्यक्रम चलाया जाय जिससे देश, प्रदेश और जिले उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकें और इस दृष्टिकोण को अपना कर माननीया प्रधान मंत्री ने 1 जुलाई, 75 को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की और उस आधार पर प्रस्तावित बजट को अनुशासन वर्ष का बजट कहा जा सकता है। गत दो वर्षों में जो बजट पेश हो चुके हैं। उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कुछ इनीगिनी चीजों पर पुराने तौर तरीके से वे बजट पेश किये गये थे लेकिन इस बजट का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना और इसीलिये इस वर्ष का बजट 540 करोड़ रुपये का आया है और गत वर्ष के बजट के मुकाबले में इस वर्ष के बजट के मूल परिव्ययों में 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी है। यह बजट घाटे का बजट अवश्य है लेकिन अन्यान्य प्रकार से घाटे को पूरा करने के उपाय सोचे गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री वित्त मंत्री ने जो बजट रखा है उसके प्रारूप तथा अनुमानों को देखने पर यह मालूम होता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर इस बजट को हम एक सुन्दर रूप दे सकते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ मदें हैं जैसे सिंचाई, बिजली का उत्पादन, कृषि, सड़क अथवा पारवहन आदि, आदि उन पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। इस वर्ष बिजली का उत्पादन 2203 मेगावाट है लेकिन मार्च, 77 तक यदि इस प्रकार की प्रगति रही तो यह विद्युत् उत्पादन 2863 मेगावाट हो जायगी। पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों में अन्तर है। क्षेत्रीय विषमता तथा पिछड़ेपन को दृष्टि में रखते हुए इस बजट में इस बात का प्राविधान किया गया है और 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत यह ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक ग्रामीण अंचल में विद्युत् पहुंचाई जायगी, प्रत्येक निजी नलकूप को बिजली दी जायगी।

अभी हमारे जिले में सिंचाई और विद्युत् सलाहकार समिति की बैठक हुई। उसमें यह ज्ञात हुआ कि निजी नलकूपों को नये कनेक्शन देने के लिये लगभग 16 लाख रुपया प्रशासन से भेजा गया था लेकिन वह सारा का सारा रुपया लप्स हो गया क्योंकि पूर्वी जिलों में विद्युत् पर अधिभार 15 रुपये प्रति हार्स पावर रखा गया है और परिणामस्वरूप सारा का सारा 16 लाख रुपया वापस कर दिया गया। कारण यह है कि पूर्वी जिलों में रबी की फसल में दो महीने के लगभग और खरीफ फसल में भी दो महीने के लगभग किसान

[श्री महाबीर प्रसाद]

बिजली का इस्तेमाल करता है। बाकी 12 महीनों में 4 महीने बिजली लेते हैं और 8 महीनों में अधिभार 15 रु0 के रेट से अधिक हो जाता है। इससे वहां किसानों में रोष पैदा हो गया है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थिति पर विचार करें और सोचें। हम आशा करते हैं कि प्रशासन इस ओर विशेष रूप से सोचेगा। जहां पर मल्टी परपज कार्यक्रम नहीं हैं वहां पर बिजली 15 रुपया प्रति हार्स पावर अधिभार थोपा गया है। मीटर निकाल दिये गये हैं। हम जानते हैं कि क्यों निकाले गये ? क्यों कि उससे यूनिट की चोरी हो जाया करती थी। यह बात सत्य है। लेकिन इसको रोकने के लिये आपके पास माध्यम हैं। सी0 आई0 डी0 या सतर्कता विभाग से आप इसकी जांच करा सकते हैं। जो इस प्रकार चोरी करेगा उसको सजा दी जा सकेगी। इसके साथ ही जैसा कि देहात में कहावत है कि गेहूं के साथ धुन भी पिस जाता है, उसी प्रकार जो ईमानदार लोग हैं वे अपने कनेक्शन्स काटने के लिये तैयार हैं। इसका मनोवैज्ञानिक असर उन पर पड़ता है। जो 16 लाख रुपया गोरखपुर से वापस आया है उसका असर खाद्य उत्पादन पर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर हमारे प्रशासन को विशेष रूप से सोचना चाहिये। हमारे जो अधिकारी यहां बैठे हैं उनको सोचना चाहिये क्यों कि उन्हीं को राय भी देनी है। अतः इस पर पुनर्विचार होना चाहिये ताकि पूर्वी जिलों के किसान फायदा उठा सकें 20 सूत्री कार्यक्रम में सिचाई पर विशेष ध्यान दिया गया है।

शारदा सहायक प्रोजेक्ट पर 44 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस शारदा सहायक प्रोजेक्ट से कुछ ही जिले प्रभावित होते हैं। कुछ ही जिलों में इससे नहर निकाल कर सिचाई कर सकते हैं। मैं गोरखपुर जिले के बांसगांव निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं। वह इलाका अभी भी पिछड़ा हुआ है। उसमें दो तीन सौ गांव ऐसे हैं जिनमें एक भी ट्यूबवेल नहीं है। एक तरफ तो ट्यूबवेल के नाम पर वहां कई वर्षों से नहीं पैसा जाता और दूसरी तरफ, हमारे सिचाई मंत्री जी जो इस समय मौजूद नहीं है, उन्हें लगाने के लिए प्रयत्नशील नहीं है। बस्ती जिले में मुखलिसपुर नहर है जो कि खलीलाबाद तहसील में है। बांसगांव, गोरखपुर और बस्ती जिले तक वह नहर जाती है। मैं अभी वहां पद यात्रा पर गया था। मैंने देखा कि करीब-करीब 25 किलोमीटर तक वह नहर सूखी हुई है। वहां न रबी की फसल के लिये पानी मिलता है और न खरीफ की फसल के लिये पानी मिलता है। मैंने इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (सिंचाई) से बात की थी। उन्होंने कहा कि जो नहर वहां पर है उसके आधार पर उस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था है इसलिये ट्यूबवेल वहां नहीं दिया जा सकता। यह बड़ी विडम्बना की बात है। पानी न नहर से और न ट्यूबवेल से हमें मिल सकता है। बिजली का अधिभार अधिक हो जाने के कारण निजी ट्यूबवेल भी नहीं लगाये जा सकते। इस कारण वह इलाका पिछड़ा ही रह गया। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मुखलिसपुर पम्प नहर जो बस्ती जिले में है जो कि गोरखपुर तक जाती है उससे हमें पानी दिया जाय। वहां किसानों की जमीन ली गई और नहर के दोनों तरफ सड़कें बनायी गईं, व्यर्थ में वह पड़ी हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर आप विशेष ध्यान दें और आदेश प्रसारित करें।

गोरखपुर डिवीजन में सिंचाई विभाग में एक रिग्स डिवीजन है। मैंने सुना है कि उसे वहां से हटाया जा रहा है। कई विधायकों ने मिल कर तथा लिख कर भी सिंचाई मंत्री जी को पत्र दिया है कि उस रिग्स डिवीजन को न हटाया जाय। गोरखपुर डिवीजन में पुराने और नये करीब 114 ट्यूबवेल है इस समय कुल 29 बस्ती में, 45 आजमगढ़ में, 14 देवरियों में, और 26 गोरखपुर में ट्यूबवेल बनने है। वहां पर 57 लाख रुपया खर्च होना है। मैं निवेदन करूंगा कि उस रिग्स डिवीजन को गोरखपुर से न हटाया जाय। अगर इसको वहां से हटा दिया गया तो उससे खेती पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उसे तोड़ा न जाय।

मान्यवर, इसके बाद मैं शिक्षा को लेता हूं। शिक्षा के बजट को मैंने देखा उसमें काफी जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल खोलने का प्राविधान है। मान्यवर, मैं एक बात के लिये निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, शिक्षा मंत्री जी से कि शिक्षा ही ऐसी चीज है जिसके आधार पर हिन्दुस्तान में हम समाजवाद ला सकते हैं। शिक्षा से ही आप मनुष्य को बदल सकते हैं। बड़े खेद की बात है कि आज हमारे यहां दो प्रकार की शिक्षा दी जाती है। एक तो वे शिशु सदन, कान्वेन्ट स्कूल हैं और दूसरे गांवों के वे स्कूल हैं जहां पर बैठने को जगह नहीं है। गांवों में जो स्कूल सन् 1947 से चल रहे हैं उनके लिये भवन नहीं है और न बैठने को टाट पट्टी है। वह किसी बाहर के मकान में जाकर पढ़ते हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूलों की संख्या न बढ़ाई जाय। एक सर्वे किया जाय जिस क्षेत्र में स्कूल की इमारत वगैरह नहीं है वहां पर पहले उनका निर्माण किया जाय, उनको सुसज्जित किया जाय और गावों में अच्छे किस्म के स्कूल बनाये जायं। कान्वेन्ट स्कूलों और देहात के स्कूलों में एकरूपता लाई जाय। शिक्षा को रोजगारपूरक बनाया जाय। जब तक हम शिक्षा को रोजगार पूरक नहीं बनायेंगे, तब तक समाजवाद नाम की चिड़िया हम हिन्दुस्तान में नहीं ला सकते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन लायें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे समाज में आप परिवर्तन नहीं कर सकेंगे और लोगों के विश्वास को आप बदल नहीं पायेंगे।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। (लाल बत्ती जलने पर) वैसे मैं समझता था कि मुझे ज्यादा समय मिलेगा लेकिन आपने लाल बत्ती जला दी है।

मैं सड़कों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे यहां कुल 15113 कि0 मी0 सड़कें थीं इस वक्त 38 हजार कि0 मी0 सड़कें बनी हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि बजट में विषमता और पिछड़ेपन को देखते हुए जो प्राविधान किया गया है उसमें यह नहीं देखा गया है कि यदि किसी इलाके में कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है तो उसे कम पैसा दिया जाय। जहां कैबिनेट स्तर के मंत्री हों वहां ज्यादा दें और जहां के मंत्री नहीं हैं वहां कम दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये सर्वे कराया जाय और यह देखा जाय कि किस क्षेत्र में कितनी सड़कें अभी अधूरी पड़ी हैं और कहां पर सड़कें कम हैं। गत वर्ष भी मैंने कहा था, लिख कर भी दिया था कि एक भैंसा बाजार-रजबल नाथ नगर सड़क है जो कि बस्ती और गोरखपुर को मिलाती है, उसका निर्माण किया जाय, उस सड़क को इस प्रस्तावित बजट में सम्मिलित किया जाय, यह मेरा निवेदन है। यह भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बजट तैयार करने में क्षेत्रीय विषमता के दृष्टिकोण से पुनः इस पर विचार किया जाए। भूमि आबंटन के संबंध में एक बात और कहना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी से, जिस पर उनसे पहले भी बात की थी, जो एक प्रशासन से आदेश गया है 26 मार्च, 76 को कि ग्रामीण अंचलों में 8 प्रतिशत भूमि को आबंटन करने से रोक लिया जाए, यह बहुत ही गलत है। बहुत से गांव तो ऐसे हैं जहां पर 8 प्रतिशत से अधिक जमीन है ही नहीं। यह बाद में आपका आदेश गया है और जहां भूमि बांटी जा चुकी है, उसे अब लोग इसके फलस्वरूप वापस लेना चाहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसका बड़ा उल्टा अर्थ लोगों ने लगा लिया है और इससे बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जो आपका उद्देश्य है, वह असफल हो रहा है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसे नियम व उपनियम बनाये जायें, जिसके आधार पर हम उस चीज को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि ऋग्वेद में कहा गया है कि विधि, सम्राटों का सम्राट है, उनमें कहीं अधिक शक्तिशाली तथा नियम निष्ठ है, जिसकी सहायता से अत्यन्त निर्बल भी सर्वाधिक बली को प्रवृत्त करता है। अर्थात् आप अपने नियम और उपनियम के आधार पर किसी भी निर्बल को सशक्त बना सकते हैं। इसी तरह से आपके इस आदेश के आधार पर सशक्त भी निर्बल हो जाएगा। इसलिये आप उस पर पुनः विचार करें और पुनः आदेश दें, ताकि उन गवों म भूमिहीनों को वे जमीनें दे दी जाएं। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावित बजट का समर्थन करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने कृपा करके.....

श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)—

इस बजट पर सामान्य चर्चा के दरम्यान पावरलूम पर कोई बात बोला ही नहीं, इसलिये में चाहूंगा कि 10 मिनट में कुछ कह लूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह कल। श्रीमन्, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने अवसर निकाल कर इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में बजट के संबंध में चर्चा की। श्रीमन्, यह जो बजट है, यह हमारे प्रदेश का एक वर्ष का बजट है और खर्च का लेखा जोखा है। मैं सम्मानित सदस्यों से यह आग्रह करूंगा कि वे इस बजट की सामान्य पृष्ठभूमि पर विचार करें और उसी दृष्टिकोण से इस बजट के सम्बन्ध में, भविष्य में भी और जो सुझाव यहां दिए गये हैं, उनके सम्बन्ध में कृपया विचार करें। एक प्लान्ड एकोनामी का बजट, एक नियोजित अर्थ व्यवस्था का बजट अपने से स्वत: सम्पन्न नहीं हो सकता है। हम उसको, जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होने वाला है, उससे अलग नहीं कर सकते हैं। योजनाएं चल रही हैं, पांचवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, उसके तीसरे वर्ष का यह बजट है। इसमें तो वे योजनाएं हैं, जिन पर पहले से रुपया लगाया जा चुका है, जो कांटीन्यु कर रही हैं, जिन्हें समय से या समय से पहले पूरा करना है और जिन्हें अगले साल भी पूरा रखना है। इसलिये बजट में अनिवार्यताएं होती हैं, कम्प्लशन्स की जिन अनिवार्यताओं को हम अपने से अलग नहीं कर सकते। इसी बजट में नान-प्लानए क्सपेंडीचर, जो योजनाओं के बाहर होता है, उसके लिये वह प्राविजन करना पड़ता है। जो महंगाई भत्ता आदि थे, उसका भी इसी बजट में समावेश होता है। उसका भी भार इसी में पड़ता है। इस बजट के खर्च को हमें तीन हिस्सों में बांटना है। एक-अपने वह व्यय जोकि अनिवार्य हैं शासन को चलाने के लिये, महंगाई भत्ता, तनख्वाह आदि देने के लिये, और तभी हम महंगाई भत्ता बढ़ाते हैं। जितने हम नये कर्मचारी बढ़ाते हैं, उन सब के लिये उतना ही राजस्व व्यय के रूप में बढ़ता है। दूसरा भार इस बजट का है जो योजना पर व्यय है और योजना व्यय में भी दो प्रकार के खर्च हैं। एक तो वह जो नई योजनाओं में हैं और एक वह जो पुरानी योजनाओं पर। इस वर्ष जिन पर खर्च होना है नई योजनाओं में जो बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं बन रही हैं। तीसरा वह भाग है जो पब्लिक एकाउन्ट से सम्बन्धित है जिसमें हमें भारत को कर्जा देना है, जो ब्याज आदि देना है बैंकों आदि को और जो विभिन्न स्वायत्तशासी संस्थाओं को, लोकल बाडीज को, कारपोरेशन को देते हैं, जिनका एकाउन्ट पब्लिक एकाउन्ट से अलग रखा जाता है, वह तीसरे किस्म का खर्च है। तो श्रीमन्, इस प्रकार जब हम बजट के मुख्य खर्च को और आमदनी को देखते हैं, तो हमारे सामने यह स्पष्ट तस्वीर आती है कि अब इस परिधि के अन्दर हमें बजट को देखना है कि हमारी क्या दिशा है, कौन सी प्राथमिकताएं हमारी हैं, प्रायोरिटीज क्या है, दिशा क्या है ?

तो श्रीमन्, इस बजट के जरिये जैसा कि सम्मानित सदस्य कानपुर, हमारे बुजुर्ग यूसुफ जी ने कहा कि यह बीस सूत्री कार्यक्रम को परिलक्षित करने के लिये योजनाए हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं, उन्होंने बिलकुल ठीक कहा कि 20 सूत्री कार्यक्रम को नई योजनाओं को परिलक्षित करनेवाला बजट है। अब बीस सूत्री कार्यक्रम क्या है? उसमें उत्पादन संबंधित है, कुछ पुलिस ऐक्शन्स संबंधित हैं, स्मग्लर को, ब्लैक मारकेटियर को गिरफ्तार करना, कुछ ऐसे हैं कि जोकि ऐडमिनिस्ट्रेटिव रूप में आते हैं, प्राइस लाइन मेन्टेन करने के लिये, उसके लिए सतर्कता समिति बनाना, कुछ ऐसे हैं कि जिनमें तमाम एक्सपेंडीचर्स इन्वाल्व नहीं हैं, वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी ऐडमिनिस्ट्रेटिव रूप के अन्तर्गत आते हैं । जैसे सीलिंग वाली भूमि को बांटना उसमें डाइरेक्ट, इन्डायरेक्ट फाइनेंस एक माने में आता है । उसके लिये रुपये के लिये प्राविधान करना । तो बीस सूत्री कार्यक्रम का इस प्रकार हम बंटवारा कर सकते हैं । अब बुक बैंक है । एक करोड़ का उसमें प्राविधान है । श्रीमन्, माननीय सदस्य ने देखा होगा कि इसका बीस सूत्री कार्यक्रम में, इसमें कितना बजट है । इसमें बजट भाषण के पृष्ठ 3 पर बताया है । हमारे इस बजट में जो खर्च के आइटम हैं उनमें हमने इसके लिए रखा है । हमने यह प्रयास किया है कि जो सिंचाई की योजनाएं हैं, बीस सूत्री कार्यक्रम में, यह लिखा है कि हम 50 लाख हेक्टेयर जमीन में अतिरिक्त सिंचाई देश में पहुंचायेंगे । यह उसकी व्यवस्था है, जिसको करना है । हमने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उनको एक साल या डेढ़ साल पहले लेने की चेष्टा की और इसीलिए इस बजट में शारदा सहायक योजना जो इस प्रदेश की गरीबी दूर करने वाली योजना है, एक साल पहले बनाने का निर्णय लिया और 44 करोड़ रुपए का प्राविधान रखा गया है । गोमती और सई नदी पर एक्वैडक बनाने हैं । साथ ही साथ एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्राथमिकता दी गयी है । इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है एक तो शारदा सहायक कमान्ड एरिया, दूसरा गन्डक प्रोजेक्ट जो गोरखपुर में है उसका कमान्ड एरिया और तीसरे राम गंगा का पानी जो मध्य प्रदेश में आता है, उसका कमान्ड एरिया । तो इन 3 कमान्ड का एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाकर, उसको सघन बनाकर 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिकता दी जा रही है ।

अभी 6-7 दिन पहले मन्त्रि-परिषद् की बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया है कि एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाये । जिससे जो असन्तुलन है वह दूर हो सके और डेवलपमेंट हो सके । इस बात को ध्यान में रख कर एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का निर्माण किया गया है ।

हमारे 26 जिलों में जिनका नाम मैंने अपने बजट में दिया है, स्माल फारमर्स डेवलपमेंट एजेन्सी प्रोग्राम चला रहा है । इसमें बड़ा पोटेन्शियल है । मैं आग्रह करूंगा कि जिन लोगों को अभी भूमि आबंटित की गयी है वह लोग इस योजना से काफी लाभान्वित हो सकेंगे । यह योजना मुख्य रूप से हरिजनों और आदिवासियों के लिए बनायी गयी है । यह कार्य क्रम 26 जिलों में चल रहा है ।

सूखा सहायता कार्यक्रम भी बुन्देलखंड, मिर्जापुर और इलाहाबाद में चल रहा है । हमारे यह तीन मुख्य प्रोग्राम हैं । इनको एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत प्राथमिकता देनी है । यह बजट की मुख्य चीज है । इस सदन में बार-बार यह कहा गया है कि नलकूपों की गूलें नहीं तैयार हो पाती हैं जिससे उनका पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता है । इसकी पूरी व्यवस्था की गयी है जितना भी पानी नलकूप या नहरों का हो वह खेतों तक अवश्य पहुंचे, जहां पर पक्की गूलें नहीं बन सकती हैं वहा पर कच्ची गूलें ही बनायी जा रही हैं । जिससे पानी खेतों तक पहुंच सके और जहां पर जिस चीज की कमी है उसको पूरा करने की व्यवस्था है । इस प्रकार से एक लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गयी है । इसके लिए इस बजट में प्राथमिकता दी गयी है जिससे इसका लाभ उनको प्राप्त हो सके । हमारे प्रदेश का एवरेज 30 करोड़ रुपया है शार्ट टर्म क्राप लोनिंग का जबकि पंजाब का यह 250 करोड़ है क्योंकि वहां पर कोआपरेटिव के तमाम किसान सदस्य हैं, हमारे यहां पर पूरे सदस्य नहीं हैं । दूसरी तरफ हमारी जो प्राइमरी सोसाइटीज हैं, जो कोआपरेटिव डिपार्टमेंट हैं वह बकाया से दबा हुआ है । रिजर्व बैंक ने उन्हें ए0 बी0 और सी0 कैटेगरीज में बांटा हुआ है और उनको ऋण नहीं प्राप्त हो सकता है । इसलिए इस बजट में इस बकाया के कलंक को दूर करने के लिए भी एक दिशा है । हम चाहते हैं कि प्रदेश के सभी किसान शार्ट टम लोन लेने के लिए सक्षम बनें । अगर प्रदेश के सभी किसान परिवार सदस्य बन जाते हैं तो हमारे यहां भी खेती के विकास के लिए बिना कोई टैक्स लगाए उन्हें सस्ते दर पर, बैंक से रुपया न लेकर, जहां ज्यादा सूद देना पड़ता है, कम ब्याज पर प्रोडक्शन लोन मिल सकता है । तो यह स्ट्रेटेजी इस बजट में है । हम चाहते हैं कि प्रदेश में हमारा कोआपरेटिव मूवमेंट

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मजबूत हो, बकाया की वसूली हो और सदन ने जो कोआपरेटिव ऐक्ट पास किया है, उसके प्राविधान को लेकर, बकाया के कलंक को मिटाकर सेन्ट परसेन्ट मेम्बर किसानों को बनायें।

सदन में यह भी आलोचना की गई कि सरकार ने एग्रीकल्चर सप्लाई आर्गेनाइजेशन बना रखा है और यह भी मांग की गई कि जब सहकारिता का आन्दोलन है तो इसकी क्या आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पिछले सालों में यह तो वाइन्ड अप कर दिया लेकिन हमारे किसान परेशान हैं उनको प्रोडक्शन लोन कहां से मिले? अगर वे कोआपरेटिव के मेम्बर बन जाते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो इस बजट के द्वारा हम इस काम में और तेजी करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से पानी, क्रॉप लोनिंग और ट्यूबवेल की संख्या बढ़ाने के बारे में मैं सदन के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम बड़े पैमाने पर प्रोग्राम को ले रहे हैं।

अभी गोरखपुर के माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा भाषण दिया कि जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वह बुन्देलखंड हो, चाहे सहारनपुर का धाड का एरिया हो, पश्चिमी जिलों का कछार एरिया हो, चाहे मौदहा तहसील का एरिया हो, चाहे मिर्जापुर का क्षेत्र हो, जहां-जहां हम लिफ्ट इरीगशन से पानी नहीं पहुंचा सकते हैं, हम ट्यूबवेल के प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर बढ़ाना चाहते हैं। इसका मैंने अपने बजट में रीजनवाइज संकेत किया है कि किस प्रकार से हम ट्यूबवेल के कार्यक्रम को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमारी अपेक्षा क्या है? इसके लिए सारा धन टैक्स लगाकर नहीं ला सकते हैं लेकिन दूसरे संस्थान विद्यमान हैं, जो हमें पैसा दे सकते हैं। दूसरे राज्य ले रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की 47 करोड़ रुपए की 14 जिलों में योजना है लेकिन किसान इसलिए नहीं ऋण ले पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा ब्याज देना पड़ता है तो हमने उसको सब्सीडाइज करने का इस बजट में प्राविधान किया है। उससे क्या होगा, प्रदेश में ट्यूबवेल की संख्या बढ़ेगी। भूमि विकास बैंक और एग्रीकल्चर फाइनेन्स कारपोरेशन बड़ी संख्या में ट्यूबवेल्स को लगा सकते हैं, हरियाणा में लगाया है तो हम क्यों नहीं लगा सकते हैं? हमने इसीलिये ट्यूबवेल्स कारपोरेशन बनाया है। माननीय नेगी जी ने अपने भाषण में कहा कि कारपोरेशन्स तो बहुत बन रहे हैं लेकिन सक्रिय नहीं हैं। मैं मानता हूं कि हमने जो बहुत से कारपोरेशन्स बनाए हैं उनमें इतनी क्रियाशीलता नहीं है जितनी होनी चाहिए। उनकी कुछ कठिनाइयां हैं, उस विवरण में नहीं जाना चाहता। लेकिन नेगी जी, हमारे उपनेता सहमत होंगे कि आखिर हमें पब्लिक सेक्टर को बढ़ाना है। उसके लिए आवश्यक है कि कुछ कारपोरेशन्स बनें और वह इस प्रकार बनें कि वे सक्षम हों, सशक्त हों अपने कार्यक्रम को चलाने के लिए। हम उनको बनाने के लिए नहीं बनाते। हमने देखा कि दूसरें प्रदेशों ने बैंकों से, फाइनेन्शियल इस्टीट्यूशंस से अरबों रुपया ले लिया अच्छे प्रोजेक्ट बना कर। हमारी कमी यह रही है कि हम खाली स्कीम बनाते हैं। प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं। हमने एक खत लिखा कि यह हमारी मांग है। अब वह क्या मांग है, किधर लगेगी, क्या स्कीम है, क्या स्थिति है—कुछ नहीं। दूसरे राज्यों ने वायेबिल प्रोजेक्ट बनाए। वह हमसे बाजी ले गए। अब हमने उस कमी को पूरा किया है कि हम अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट बनाएं जिन पर दुनिया में कोई विचार कर ले कि ये वायेबिल हैं, विचारणीय हैं और इसका यह अच्छा नतीजा होगा। टाइप में 10 गलतियां, उसका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं। इन सब गलतियों को, कमियों को पूरा करना चाहते हैं और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड निश्चित योजना बनाना चाहते हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हैन्डलूम की, सिंचाई की, ट्यूबवेल की योजनाओं को कारपोरेशन्स के जरिए चलाना चाहते हैं। गवर्नमेंट को ऋण नहीं मिलता। आज एल0 आई0 सी0 हमको रुपया नहीं देता। मैं तो सहमत हूं। हमारे सम्मानित सदस्य सनवाल जी और बुन्देलखंड के माननीय सदस्य ने कहा कि जल निगम और जल-संस्थान बनने से बड़ी समस्याएं पैदा हो गयी हैं। मैं बैठक बुला रहा हूं कि उन समस्याओं का निराकरण

हो कि जो इस निगम के बन जाने से हुई, लेकिन हमारी पिछली गवर्नमेंट को निगम बनाने के लिए मजबूर होना पड़ गया। वर्ल्ड बैंक से भारत सरकार को और एल0 आई0 सी0 से जितना रुपया, जितने करोड़ मिला उसकी शर्त थी निगम बनाना। अब मुझको इस ट्यूबवेल कारपोरेशन के लिए 2 साल से उलाहना दिया जा रहा है कि तिवारी जब चाहते हैं तो ट्यूबवेल कारपोरेशन क्यों नहीं बनता ? कौन नहीं चाहेगा कि कारपोरेशन हो और पश्चिमी जिलों में जो ट्यूबवेल लगाना चाहें वह लगाएं। कारपोरेशन का बजट गरीब इलाका बरदाश्त नहीं करेगा लेकिन अगर पैसे वाला इलाका है, अगर कोई अपना पैसा लगाकर लगाना चाहता है तो हम रुकावट क्यों बनें ? तो जहां पर ट्यूबवेल वायेबिल हैं और किसान अपनी मेहनत करके ट्यूबवेल कारपोरेशन से रुपया ले सकते हैं या ट्यूबवेल कारपोरेशन अगर खुद रुपया लगाकर बनायें, वह ज्यादा रेट दे सकते हैं तो हमें बाधक नहीं होना चाहिए। पश्चिमी जिलों के लिए भी यही दृष्टिकोण है कि हमको ग्रैनरी बनाना है उनको उत्तर प्रदेश की। कोई कारण नहीं है कि अगर उनके विकास का कार्य फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन के माध्यम से हो सकता है तो हम रुकावट डालें। अगर आज मेरठ जिले में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से कोई लाइसेंस मिलता है और उद्योग लगता है तो वेलकम करना चाहिए। जहां हमें अपने बजट का धन इम्बैलेंस रोकने के लिए पिछड़े इलाकों में खर्च करना चाहिए, अगर वित्तीय निगमों से बुलन्दशहर में कोई योजना बनती है तो चूंकि वह बुलन्दशहर में है, मेरठ और मुजफ्फरनगर में है जोकि पहले से बहुत आगे बढ़े हुए हैं वहां वह नहीं लगनी चाहिए, यह हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें वहां पर भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी का, उत्पादक योजना का यूटिलाइजेशन करना है।

तो हर क्षेत्र के विकास के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो ? इस बजट में लिखा हुआ है कि रीजनल प्लानिंग के आधार पर चलना चाहिए। रीजनल आवश्यकता और रीजनल प्लानिंग क्या हो, उसका निर्देश किया गया है कि प्लान्ड प्लानिंग को भी रीजनल प्लानिंग के आधार पर बांटेंगे। दूसरी स्ट्रेटेजी यह है कि मन्डलीय विकास निगम, जो डिवीजनल कारपोरेशन रीजनल हम बना रहे हैं पूर्वांचल विकास निगम कितना बड़ा है, 17 जिलों का एक निगम, फैजाबाद हेडक्वार्टर। पता ही न चले कि मिर्जापुर में क्या हो रहा है। तो अब हमने इसको ब्रेक-अप कर के ऐसी यूनिट्स कर दी हैं जो नियन्त्रित की जा सकें। गोरखपुर मन्डल विकास निगम, फैजाबाद मन्डल विकास निगम, इलाहाबाद मन्डल विकास निगम, आगरा मन्डल विकास निगम, ये सब रजिस्टर हो चुके हैं और काम करना शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि इन निगमों में एक हेल्थी कम्पटीशन हो। और सबको हमने शेयर कैपिटल दे दिया है। अब ये अपने-अपने मन्डल के विकास के लिए अच्छी-अच्छी योजनायें लायें। हम इनको आटोनामी देना चाहते हैं ताकि ये अच्छी-अच्छी योजनायें बनायें। हम यह भी चाहते हैं कि हमारे जन-प्रतिनिधि भी डायरेक्टर्स के रूप में इनमें शामिल हों ताकि एक जनाधार मिल सके। इस तरह से हमारे विचार से एक बुनियादी ढांचा तैयार हो जाता है जिससे हम इतने बड़े प्रदेश में क्षेत्रीय विकास का नियोजन कर सकें।

माननीय सदस्य उरई ने बुन्देलखंड की समस्याओं का जिक्र किया। अभी मैं बुन्देलखंड के चार जिलों में गया था। बुन्देलखंड के साथ-साथ मथुरा, आगरा, इटावा, मिर्जापुर, इलाहाबाद, ये जो तमाम बार्डर के जिले हैं इनके बारे में मुख्य बात यह है कि मध्य प्रदेश से हमारे सम्बन्ध कैसे हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो शासन ने यह निर्णय लिया है कि वह तमाम जिले जिनकी सीमायें मध्य प्रदेश से मिलती हैं इनकी प्रत्येक योजना के बारें में मध्य प्रदेश सरकार से बातचीत करेंगे। सौभाग्य से मध्य प्रदेश सरकार से हमारे अत्यन्त मैत्री पूर्ण सम्बन्ध हैं सरकार के आधार पर भी और व्यक्तिगत आधार पर भी। बराबरी के आधार पर हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या करना है और हमने उनके लिए क्या करना है। राजघाट योजना का पानी अगर जल्दी आ सके तो बुन्देलखंड हराभरा हो सकता है। अगर कन्हर बांध बन जाए तो मिर्जापुर की धरती हरीभरी हो सकती है। अगर केन नदी पर उर्मिला बांध बन जाए तो हमीरपुर और बांदा का इलाका हराभरा

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

हो सकता है। हम एक सूची बनवा रहे हैं कि मध्य प्रदेश से किन-किन समस्याओं पर हमें बातचीत करनी है और बजट अधिवेशन की समाप्ति के बाद शीघ्र ही हम मध्य प्रदेश सरकार से विस्तृत विचार विमर्श करना चाहेंगे। हमारी कुछ ला ऐन्ड आर्डर की समस्यायें भी हैं, इटावा और आगरा के सम्बन्ध में। उनके सम्बन्ध में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सम्मानित मुख्य मन्त्री, मध्य प्रदेश के श्री श्यामा चरण शुक्ल और हम कोई हल इन समस्याओं का निकाल सकेंगे।

फिर हमारा यह भी विचार है कि जो हमारा काटेज इन्डस्ट्री का सेक्टर है, उसको हम स्ट्रेन्थेन करें। आज हमारे प्रदेश में 5 लाख 6 हजार हैन्डलूम हैं जिनमें से 60 हजार हैन्डलूम का जीर्णोद्धार इस साल हम करने जा रहे हैं। सुब्रहमण्यम कमेटी ने एक स्कीम बनायी थी कि किस प्रकार नयी उद्योग समितियां बनायी जायं, किस प्रकार हैन्डलूम को उत्पादक बनाया जाय। उसके लिए 60 हजार इस वर्ष रुपया रखा है, वैसे तो ढाई करोड़ रुपया रखा है। गोरखपुर और बस्ती की योजनायें लागू हो चुकी हैं। हमारा इरादा है कि आजमगढ़, फैजाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, मुरादाबाद आदि जिले जहां बुनकर सबसे बड़ी संख्या में है, वहां के लिये हमारी योजनायें बन जाएं। इस साल 60 हजार, अगले साल एक लाख और उससे अगले साल 2 लाख, इस तरह से 3-4 साल के अन्दर प्रदेश के प्रत्येक हैन्डलूम का हम जीर्णोद्धार कर सकें। और हैन्डलूम उद्योग को एक प्रोडक्टिव फुटिंग पर ला सकें। यूपिका के हाथ भी मजबूत हों, नयी-नयी डिजाइन बनें, यह हमारा प्रयास है। यही चीजें इस बजट से परिलक्षित होती हैं।

कुछ स्पष्टीकरण साथ ही साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी करना आवश्यक है। अभी तक के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार इस प्रदेश में 16,66,544 एकड़ भूमि 17,87,581 भूमिहीन परिवारों में बांटी जा चुकी है। इनमें 10,43,293 व्यक्ति हरिजन एवं आदिवासी हैं। 5 लाख कुछ अन्य लोग हैं। इसमें कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में जो कठिनाइयां सामने आयीं उनका भी सामना किया गया। कुछ जिलों में जहां अभी भी भूमि पर अनधिकृत कब्जा था वहां उसको हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गयी। पुलिस ऐक्शन भी लिया गया और लिया जा रहा है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आबंटित भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ पुलिस ऐक्शन करने का निर्णय शासन ने ले लिया है। मेरा विश्वास है यह सम्मानित सदन जहां कहीं भी पुलिस की इस सम्बन्ध में कार्यवाही होगी उसका समर्थन करेगा। बांदा जिले में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह हुई कि जब वहां पुलिस द्वारा सख्ती की गयी तो उसकी आलोचना हुई। मेरा यह आग्रह है कि इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने के लिए अगर कहीं सख्ती की जाय तो उसमें आप सब का सहयोग मिलना चाहिए। इससे एक ऐसा वातावरण तैयार होगा जिससे जनहित के कार्यों को करने में इस इमरजेन्सी के समय 20 सूत्रीय कार्यक्रम को करने में हमें सहायता मिलेगी। इसमें अगर हमारे अधिकारी सख्ती करते हैं तो उसमें नाराजगी नहीं होना चाहिए। मैंने यह भी देखा कि मुझसे ट्रान्सफर की भी मांग की गयी। यहां के सदस्यों ने नहीं, पर बाहर के सम्मानित जिम्मेदार लोगों ने ट्रान्सफर के लिए मांग की। जब वे मेरे पास आए और मैंने उनको सारी बात समझायी तो वे मान गये। तो आपके पास भी जब कभी ऐसी शिकायत आए तो आप पहले यह देख लें कि उसकी बैकग्राउन्ड क्या है। कुछ लोग आपके पास भी आयेंगे। इसलिए आप सतर्क रहें। इससे हमको अपने इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

8 प्रतिशत भूमि के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। यह कहा गया कि यह 8 प्रतिशत भूमि जो गोचर, कब्रिस्तान, शमशान आदि के लिए छोड़ी गयी थी उसको भी आबंटित कर दिया गया। मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में भी इसका जिक्र आया। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जो यह भूमि छोड़ी गयी है वह

आबंटित नहीं होगी। इसके लिए तो पहले से ही आदेश हैं। पहले भी उसको आबंटित करने का हमारा इरादा नहीं था। यहां पर यह प्रश्न जरूर उठा कि क्या ऐसी भूमि आबंटित कर दी गयी है? ऐसी भूमि को आबंटित करने का तो किसी भी सरकार का इरादा नहीं था। मैंने इसकी जानकारी प्राप्त की कि क्या कहीं पर ऐसी भूमि को आबंटित किया गया है। पता चला कि कुछ जिलों में ऐसा हुआ है। मैंने उसके लिए, स्पष्ट आदेश कर दिए हैं। हमारे यहां तो चकबन्दी में भी पहले ही इन कार्यों के लिए भूमि अलग कर दी गयी थी। हम अभी पूरी सूचना और मांग रहे हैं कि कहां-कहां सार्वजनिक हित के लिए छोड़ी गयी भूमि आबंटित कर दी गयी है। ऐसी भूमि को आबंटित करना कभी कभी जनहित में नहीं होगा। इसके लिए पहले भी आदेश थे, अब भी हैं। कोई जमीन रोकने के लिए आदेश नहीं दिया गया है, स्पष्टीकरण दे दिया गया है। सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि जहां जमीन आबंटित नहीं की गयी है वहां जमीन का आबंटन कर दिया जाय और अगर चकबन्दी कर दी हो तो भविष्य के लिए आदेश जारी कर दिया जाय। और केवल यह आंकड़ा मांगा गया है कि कितनी जमीन इस गांव में श्मशान, कब्रिस्तान आदि आदि के लिए उपलब्ध है। दूसरा आदेश यह है कि जो जमीन आबंटित की गयी है उसको कैंसिल न किया जाय, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है।

आवास स्थलों का जहां तक सम्बन्ध है, 12,12,014 व्यक्तियों को आवास स्थल आबंटित करने की बात थी, उनमें इस वक्त तक 12,00,530 व्यक्तियों को आवास स्थल आबंटित हो चुके हैं और अब इस बात का प्रयास करना है कि किस प्रकार से उनके लिए झोपड़ियां बनवायी जाएं या कच्चे पक्के मकान बनवाए जाएं। यह एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मने एक हरिजन हाउसिंग बोर्ड की स्थापना इस बजट के द्वारा की है। हरिजन काउन्सिल बोर्ड बड़े पैमाने पर उनके लिए भूमि आबंटित करेगा और उनके लिए मकान बनवाएगा। हम देख रहे हैं कि तामिलनाडु में क्या हुआ। तामिलनाडु में तो एक प्रकार से यह योजना असफल ही घोषित हो चुकी है। केरल में जो कुछ हुआ वह भी हम देख रहे हैं। अब महाराष्ट्र सरकार 700-700 रुपए की एक-एक झोपड़ी बनवा रही है। हम सब का परीक्षण करके देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम गांव वालों को आवास स्थल देकर किस प्रकार से उनके मकान बनवाने में उनकी मदद करें। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसके लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है। अगर 12 लाख लोगों को एक-एक हजार रुपए दें और उनके मकान बनवाने की कोशिश करें तो इस तरह से एक बहुत बड़ी धनराशि हो जाती है। हमारा प्लानिंग कमीशन तो इसको नान प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कहता है, इससे उत्पादन तो बढ़ता नहीं है। अब इस पर हमें अन्तिम रूप से अभी निर्णय लेना है कि किस प्रकार से हम इन 12 लाख लोगों की मदद करें। केरल ने इसके लिए प्रयास किया है, वैसे ही हम भी उनके लिए मकान बनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि दान के जरिए इनके लिए मकान बनवाए जाएं। हम भी शहरों में रहने वाली संस्थाओं से या बड़े बड़े कारखाने वालों से कहेंगे कि जिनको आवास स्थल आबंटित हुए हैं उनके लिए मकान बनवा दें लेकिन इसमें बड़ी कठिनाई है और हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है कि 12 लाख लोगों के लिए मकान इस तरह से बनवा दिए जाएं। इसमें मुझे सन्देह है। हो सकता है कि 40-50 हजार मकान बन जाएं। इस सम्बन्ध में हम डिवीजनल मीटिंग करने जा रहे हैं और डिवीजनल आधार पर हम इस सम्बन्ध में अब सब से सुझाव मांगेंगे कि किस प्रकार से इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं।

जहां तक हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम का सम्बन्ध है, कालसी और चकराता में कोल्टा जनजाति के लिए तथा बन्धक मजदूरों के लिए भी बन्धकी से मुक्त करने की एक व्यवस्था की गयी है और इसके लिए लगभग ढाई करोड़ रुपए की योजना बनायी गयी है ताकि वें बन्धक मजदूरी से मुक्त हो सकें।

बिजली उत्पादन की व्यवस्था भी इस बजट में की गयी है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है और थोड़ा सन्तोष की बात है कि बिजली के उत्पादन में हम बहुत तेजी से आगे बढ़

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

रहे हैं। आज रिहन्द को सम्भालने में भी हम सफल हुए हैं। यह आदेश दिया गया था कि रिहन्द का पानी बर्बाद न किया जाय और सदन को जान कर प्रसन्नता होगी कि इस समय गर्मी के दिन में 860 फीट पानी का लेविल रिहन्द में है और अगर किसी कारण से बारिश न हुई तो उस समय हम रिहन्द बिजली का इस्तेमाल कर सकेंगे। किसी खतरे के वक्त जब कि बिजली की अधिक जरूरत हो, उसका प्रयोग किया जाय। जो थर्मल स्टेशन्स हैं उनको ठीक तरह से चलाया गया है। थर्मल स्टेशनों की इफीशिएंसी बढ़ी है और अभी तक जारी है। अभी सात दिन हुए हमारी बिजली का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। अभी जल्दी ही सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन का रिकार्ड कायम किया गया। तो हम बिजली उत्पादन में प्राथमिकता जारी रखना चाहते हैं। हमारा 540 करोड़ रुपए का प्लान आउट ले है। सदन को जानकर खुशी होगी कि पिछले वर्ष के बजट के मुकाबले इस वर्ष प्लान आउट ले 35 प्रतिशत ज्यादा है। सदन को यह भी जानकर खुशी होगी कि देश में प्रति व्यक्ति प्लान आउट ले में अब हम ऊपर उठ रहे हैं। अब हमारा नम्बर 7वां हो गया है। इतनी बड़ी स्टेट होते हुए भी हम ऊपर उठे हैं। पहले हमारा नम्बर 11वां था अब वह 7वां नम्बर पर आ गया है और सदन का और जनता का सहयोग लेकर, कुछ जरा बोझ उठाकर, थोड़ी सी तकलीफ सहकर हम और भी ऊपर उठ सकते हैं। तो 35प्रतिशत प्लान आउट ले बढ़ा है 1 वर्ष में। बिजली पर 230 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। नयी बिजली योजनाओं के बारे में भी ध्यान दिया गया है।

टेहरी योजना और लखवार व्यासी प्रयोजना पर प्लानिंग कमीशन ने अपनी स्वीकृति दे दी है। टेहरी और लखवार व्यासी पर काम शुरू होना प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, इस बजट का मुख्य अंग है जिस पर सबको जोर देना है। इसके माने यह हैं कि हमारे प्रदेश में सस्ती बिजली का उत्पादन और बढ़ जायगा। अभी कोयले से ज्यादा बिजली पैदा होती है। लगभग 66 प्रतिशत बिजली कोयले से पैदा की जाती है। टेहरी और लखवार व्यासी दोनों पर बिजली योजनायें हैं। यहां पानी से बिजली पैदा करने की योजना है। इस समय हमारी जो बिजली कोयले से पैदा की जाती है उसकी पर यूनिट कास्ट आफ जेनरेशन 14 पैसे पड़ती है। चूंकि कोयला मंहगा होता है इस लिए यह बिजली मंहगी पड़ती है। क्योंकि कोयला लाने में, बिहार से बंगाल के किनारे से, उस पर काफी व्यय पड़ता है। अब कोयले के दाम भी बढ़ गए हैं इसलिए पर यूनिट कास्ट आफ प्रोडक्शन 14 पैसे प्रति यूनिट आता है जबकि भाखड़ा से जो बिजली पैदा होती है उस पर प्रति यूनिट केवल साढ़े 5 पैसे पड़ता है। चूंकि वहां बिजली पानी से बनती है इसलिए वह बिजली सस्ती पड़ती है। अब हमारे उत्तर प्रदेश में यह करना होगा कि हम कोयले और पन-बिजली में एक बैलेंस स्थापित करें। केवल कोयले की बिजली पर हमें निर्भर नहीं करना है क्योंकि इससे कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ जायगा। दूसरें इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड को तमाम मंहगाई भत्ता, वेतन, और ब्याज देना पड़ता है। इसलिए कास्ट आफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए। अब आप देखें हमारे बिजली बोर्ड को साल में लगभग 18 करोड़ रुपए बैंकों को ब्याज देना पड़ता है। अगर हमें घाटा होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स कहते हैं कि हम आपको क्यों पैसा दें आपके यहां घाटा होता है, जहां फायदा है उसको हम देंगे। तो हमारे लिए तलवार है, बायें गिरें तो और दायें गिरें तो नुकसान, इसलिए हमें सीधे चलते रहना है। इसलिए हमने पन बिजली योजनाओं को प्राथमिकता दी है। इसी दृष्टिकोण से टेहरी और लखवार व्यासी का प्राविधान किया है। उम्मीद है कि इसी प्रकार विष्णु प्रयाण पन बिजली योजना, मनेरी माली हाइडिल योजना आदि के भी भविष्य में शुरू होने की आशा है।

श्रीमन्, श्रमिकों को साझेदारी की योजना के सम्बन्ध में सदन को जानकर खुशी होगी। हमारे प्रदेश में 500 से अधिक मजदूरों वाली लगभग 160 इकाइयां हैं। इनमें से 143 में साझेदारी की योजना आज की तारीख तक लागू हो चुकी है और यहां पर वर्क्स मैनेजमेंट की बात हो चुकी है। आशा है कि बाकी कुछ जो यूनिट रह गयी हैं वह भारत

सरकार की हैं जैसे एच0 ए0 एल0 वगैरह तो उनमें तय हो रहा है जिनमें कुछ गोपनीयता रखनी पड़ती है कि किस प्रकार साझेदारी होगी। उसमें समय लगेगा।

श्रीमन्, शहरी हदबन्दी के सम्बन्ध में 12 शहरों में यह कानून लागू कर दिया गया है और सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गयी है। 10 लाख की आबादीवाले शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, देहरादून, सहारनपुर, अलीगढ़ आदि में यह योजना लागू हो चुकी है। 10 शहर जो एक लाख की आबादी वाले हैं जैसे मथुरा, फैजाबाद, गाजियाबाद मिर्जापुर आदि में केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति मिलने वाली है और उसके बाद वहां कानून लागू कर दिया जाएगा। बाकी शहरों में जहां अधिनियम लागू होना है कानून का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और जल्दी ही पेश किया जाएगा ताकि जो दुर्बल व्यक्ति हैं उनको मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करा सकें। हमारे प्रदेश में मकानों की कमी महसूस हो रही है। एक हम पैनल बना रहे हैं जो इस प्रदेश में मकानों की कमी किस प्रकार दूर हो और ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार मकान बनाए जा सकें दुर्बल व्यक्तियों के लिए, कर्मचारियों के लिए। वह इस पर विचार करेगा। मैं समझता हूं कि हाउसिंग बोर्ड के जरिए, कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिए, लेबर हाउसिंग के जरिए हमें प्रदेश में हाउसिंग की समस्या हल करनी होगी।

श्रीमन्, गन्ने के मूल्यों के बारे में और किसानों के बारे में माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। इसका उत्तर तो पार्लियामेन्ट में दिया जा चुका है और यह राष्ट्रीय नीति का अंग है। लेकिन प्रदेश में हमने कुछ सख्ती हाल में की और मिल मालिकों को गिरफ्तार भी किया। हाल में पश्चिम में और मध्य में मिल मालिकों ने लिखकर दे दिया है कि गन्ने का दाम रिट्रास-पेक्टिव इफेक्ट से दे देंगे। अब तक तो उन्होंने मना कर रखा है कि रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट से गन्ने का दाम जो कि सवा बारह और सवा तेरह रुपए है जबसे मिल चली नहीं, देंगे। मुझे बताते हुए खुशी है कि जबसे मीसा का इस्तेमाल हुआ और उनको डर हुआ तो उन्होंने अपनी राय बदल दी है और लिखकर दे दिया है कि इस साल के आखिर तक जबसे मिल चली तबसे दे देंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

अब आपकी समझ में आ गया है कि कैसे उनकी समझ में आता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मुझे मालूम था।

तो मैं कह रहा था कि रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट से दे देंगे। उन्होंने कहा है कि बैंक से पैसा मिलते ही अदा कर दूंगा। एक आध मिलें रह गयी हैं जिनकी मुझे आशा है कि वह भी अपना रुख बदल देंगी नहीं तो कानून इस्तेमाल किया जायेगा। हमने जिला अधिकारियों को अधिकार दे रखा है कि वही निर्णय लें। यदि दो-चार रह जायेंगी तो उसको जिलाधिकारी करेंगे।

श्रीमन्, दूसरे विषयों पर जैसे कानपुर की एथर्टन मिल के बारे में भारत सरकार ने सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि 2 मिलें जल्दी ही चालू हो जायेंगी। सवाई माधोपुर की मिल चालू हो गयी है। एक मिल जो जूट मिल रह गयी है उसके सम्बन्ध में भी उन्होंने कहा कि अगर 3 शिफ्ट बिजली दे दें तो हम चालू कर देंगे। उनसे कह दिया गया है। अगर कानपुर में जूट उद्योग वाले नहीं चलाते तो हमें भारत सरकार से अधिग्रहण करने की मांग रखनी पड़ेगी।

जहां तक सड़कों का सवाल है तो बहुत से माननीय सदस्यों को कठिनाई है। प्लानिंग कमीशन ने इन्फ्लेशन को रोकने के लिये इस बात की आजादी नहीं दी है कि बड़े पैमानों पर देश में सड़कों का निर्माण किया जाय। पहले दो सालों में जो रुकावट लगी हुई थी वही अभी भी है। लेकिन फिर भी हमने इस बजट में 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

व्यवस्था की है और यह 10 करोड़ रुपया हम उन सड़कों पर लगाना चाहते हैं जो क्रश प्रोग्राम की सड़कें हैं, जिन पर मिट्टी पड़ गयी है और जो प्राथमिकता की सड़कें हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग इसकी स्कीम तैयार कर रहा है।

क्राइम सिचुएशन के बारे में इस सदन में उल्लेख किया गया। श्रीमन्, आप जानते हैं कि पिछले वर्ष कितना दबाव पुलिस पर था काम करने का हड़ताल, घिराव आदि आदि के कारण और इमरजेन्सी में भी उनको कार्यवाही करनी पड़ी तो उसका भी दबाव रहा। लेकिन फिर भी पिछले वर्ष क्राइम सिचुएशन और वर्षों के मुकाबले में संतुलित रही। हम यह तो नहीं कह सकते कि क्राइम नहीं हुआ। कुछ जिलों में क्राइम बढ़ा भी हाईवेज पर होल्डअप्स भी हुए। इस बजट में कुछ नये निर्णय लिये गये हैं हमारे आधे से कम थानों पर वायरलेस थे लेकिन अब हमने माडर्नाईजेशन के अन्दर प्रत्येक थाने पर वायरलेस लगाने का निर्णय लिया है पहले कोई लिंक न लेने की वजह से लोगों को डर नहीं था लेकिन अब पौने तीन करोड़ रुपया खर्च करके प्रत्येक थाने पर बायरलेस लगेगा। इससे लोगों में भी भय होगा। इसके अतिरिक्त रेडियो टेलीफोन सर्विस की भी व्यवस्था की है। जो थाने और ऐसे मुहल्ले हैं जहां ज्यादा मोबाइल होने की जरूरत है क्योंकि क्राइम करने वाले भी मोबाइल हो गये हैं तो वहां रेडियो टेलीफोन सर्विस की सुविधा होगी। साथ ही हाईवे पैट्रोलिंग भी कर दी गयी है और शूट एट साइट के आदेश दिये जा रहे हैं। अगर सर्च लाइट के जरिए डकैती या ट्रान्सफारमर की चोरी देखते हैं तो पुलिस शूट एट साइट कर सकती है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

बहुत खतरनाक पावर्स दे रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जब तक सख्ती नहीं करेंगे तो क्राइम को नहीं रोक सकेंगे। साथ ही श्रीमन्, यह भी कोशिश की जा रही है कि जो ऐसे जिले हैं, जहां क्राइम घटता बढ़ता रहता है लेकिन ग्राफ एकसा रहता है तो वहां के लिये हम एक स्पेशल टीम मुकर्रर कर रहे हैं जो यह बताये कि उन जगहों पर क्या विशेष प्रबन्ध किया जाय। कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर विशेष रूप से अधिक डकैतियां होती हैं और कत्ल होते रहते हैं। हम इन जिलों का अध्ययन गहराई के साथ करेंगे। बजाय दरोगा या एस0पी0 के ट्रान्सफर कर देने से हम उन जिलों की स्थिति का गहराई के साथ अध्ययन करेंगे ताकि क्राइम में सुधार हो और जो कठिनाइयां इस दिशा में पैदा होती हैं उनमें सुधार हो।

मैंने बजट की जो प्रमुख-प्रमुख बातें थीं उनका उल्लेख किया। संक्षेप में ही मैंने जिक्र किया है। मैं सारे ब्योरे में नहीं जाना चाहता हूं और जब विभिन्न विभागों के बजट पर चर्चा की जायेगी तब उनका सम्बन्धित मंत्री स्पष्टीकरण करेंगे और उन पर प्रकाश डालेंगे। हमारी डिवीजनल बैठकों में भी इनका जिक्र होगा और माननीय सदस्यगण हमको उन पर अपने सुझाव देंगे। नेगी जी ने सेल्स टैक्स का भी जिक्र किया। हम सेल्स टैक्स उन्ही जगहों पर रेशनालाइज कर रहे हैं जो हमसे मिले हुये प्रदेश हैं। जो सेल्स टैक्स हमारे यहां कम है तो उसको किस तरह से अधिक किया जाय या कम किया जाय। हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जहां पर सेल्स टैक्स कम है उसको हमारे बराबर लाया जाय ताकि हमारे यहां के व्यापार की हानि न हो। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा आदि में जहां पर सेल्स टैक्स की दरें कम हैं उनको हमारे बराबर लाया जाय और यदि हमारे यहां की दरें कम हैं तो उनको बढ़ाया जाय। उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स का रेवेन्यू कम हो रहा है। लोग आमतौर से दिल्ली चले जाते हैं और वहां से सामान खरीद लाते हैं जिससे हमारे टैक्स भी जाता है और व्यापार पर भी धक्का लगता है। हम इन पड़ोसी प्रदेशों के अनुरूप सेल्स टैक्स प्रणाली में संशोधन कर रहे हैं। मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है आप उसको

इस दृष्टिकोण से देखें। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया। यह बजट तो एक साल का बजट है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष का बजट है और इसमें कान्टीन्यूइंग स्कीम के लिये कोई नवीनता नहीं हो सकती है। आप कहें कि हर साल शारदा सहायक, ओबरा या हरदुआगंज का जिक्र आता रहता है। हम इसको रोक नहीं सकते हैं। उनमें नवीनता नहीं आ सकती है। नवीनता तो यही है कि हम उनको समय से पूर्व ही समाप्त कर लें। यह सदन इस बजट के सिद्धान्तों को स्वीकार करेगा और हमारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उससे हम सारे प्रदेश को लाभान्वित करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम का कोई अन्त नहीं है। इसके बाद और भी कार्यक्रम आने वाले हैं और यह कार्यक्रम तो केवल एक साल का है। एक वर्ष के बाद इसका मूल्यांकन होगा और अगर कोई चीज रह जाती है, तो उसको फिर से लिया जायगा और इस प्रकार से हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम बौद्धिक रूप से, परिश्रमिक रूप से पिछड़े नहीं हैं बल्कि केवल आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और इस पिछड़ेपन को हम आनेवाले वर्षों में अवश्य समाप्त कर देंगे। इस विश्वास के साथ हमने यह बजट प्रस्तुत किया है। यह तो एक मील के पत्थर के रूप में है और हमको आगे बढ़ते जाना है। हमको अपने इन सिद्धान्तों को स्वीकार करना है। धन्यवाद।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे पास नियम 51 के अन्तर्गत दो सूचनायें आई हैं। एक श्री एम० शकील की है और दूसरी श्री राज किशोर तिवारी की है। ये दोनों माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं, इसलिये अस्वीकृत हैं।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 48 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
28 अप्रैल, 1976

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 287 पर।)

15—अन्तिम प्राप्त सूचना के अनुसार कानपुर जिले के विकास खंड के डेरापुर के ग्राम डेरापुर के कन्या जूनियर हाई स्कूल में छात्राओं की संख्या कक्षावार निम्न प्रकार है :—

कक्षा	छात्र सं0
6	10
7	6
8	9
योग	25

प्रश्नगत स्कूल में पांच अध्यापिकाएं तथा तीन कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन के नाम निम्नलिखित हैं :—

अध्यापिकाओं के नाम

1—श्रीमती राम बेटी शुक्ला
2— ,, रामबेटी गुप्ता
3— ,, उर्मिला
4— ,, रमाकान्ती
5— ,, शोभा श्रीवास्तव

कर्मचारियों के नाम

1—श्रीमती राज रानी
2—श्री रविन्द्र कुमार
3—श्रीमती जय देवी

प्रश्नगत स्कूल की अध्यापिकाओं तथा कर्मचारियों को प्रतिमास रु0 1900.84 वेतन दिया जाता है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 288 पर।)

1—अनुचित साधन प्रयोग एवं पुनर्मूल्यांकन से सम्बन्धित परीक्षाफल।

2—काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर, वाराणसी के एम0 एस-सी0 (प्राणी विज्ञान) प्रथम वर्ष का परीक्षाफल। पूर्व सम्पन्न प्रायोगिक परीक्षा निरस्त कर दी गयी थी। यह परीक्षा पुनः आयोजित है।

3—अदालत में चल रहे मुकदमे के फलस्वरूप निम्न महाविद्यालयों का बी0 एड0 का परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ :—

(1) बाबा राघवदास महाविद्यालय, देवरिया;
(2) बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुशीनगर (देवरिया);
(3) स्वामी देवानन्द विद्यालय, मठलार (देवरिया),
(4) रतनसेन महाविद्यालय, बांसी (बस्ती);
(5) श्री दुर्गाजी महाविद्यालय, चन्डेसर (आजमगढ़);
(6) मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज, भाटपार रानी (देवरिया)।

4—बी0 ए0 भाग 1 व 2 के विभिन्न केन्द्रों के लगभग 200 अभ्यर्थियों का परीक्षाफल इन मामलों में विश्वविद्यालय छानबीन कर रहा है।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 292 पर।)

मुख्य शिकायतों की सूची

1—जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 4444.30 रु0 एन0एस0सी0 खरीदने हेतु प्रधानाचार्य को चेक द्वारा दिये गये किन्तु प्राधानाचार्य ने केवल 2280.00 रू0 के एन0 एस0सी0 खरीदे शेष 2164.30 रु0 प्रधानाचार्य के पास हैं।

2—जिला विद्यालय निरीक्षक ने 5403.23 रु0 कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 में जमा करने हेतु दिये किन्तु प्रधानाचार्य ने केवल 3510.90 रु0 सम्बन्धित खाता में जमा किया और शेष 1892.33 रु0 प्रधानाचार्य के पास हैं।

3—1217.00 रु0 जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय से चेक द्वारा यू0पी0 प्राविडेन्ट फंड कमिश्नर, कानपुर को भेजने हेतु दिये गये। प्रधानाचार्य ने कैश कर अपने पास रख लिये।

4—हरिजन छात्र वृत्ति की धनराशि 4277.00 रु0 में से केवल 3483.00 रु0 बाँटा गया। शेष 794.00 रु0 प्रधानाचार्य के पास हैं।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 301 पर)

खण्डवार नलकूपों की संख्या

क्रम-सं0	विकास खंड का नाम			विकास खंड में कुल नलकूपों की संख्या	विकास खंड में चलित नलकूपों की संख्या
1	2			3	4
1	चित्तौरा	..	..	27	25
2	पयागपुर	..	..	26	25
3	विशेश्वरगंज	..	..	14	10
4	इकौना	..	..	11	9
5	गिलौला	..	..	20	19
6	बलहा	..	..	11	9
7	रिसिया	..	..	21	20
8	शिवपुर	..	..	2	2
9	मेहोपुरवा	..	..	2	2
10	जमुनहा	..	..	5	5
11	नवाबगंज	..	..	1	..
12	तेजवापुर	..	..	14	14
13	पखपुर	..	..	7	7
14	कैसरगंज	..	..	8	8
15	हुजूरपुर	..	..	5	5
		योग	..	174	160

सिसिया, हरिहरपुररानी, महसी एवं जरवल ब्लाकों में सिंचाई साधन का विवरण; सिंचाई हेतु निजी साधन

क्रम-सं0	ब्लाक का नाम			नलकूप बोरिंग रहट	डीजल चलित नलकूप	विद्युत चलित नलकूप
1	2			3	4	5
1	सिरसिया		..	354	154	5
2	हरिहरपुररानी		..	415	146	128
3	महासी		..	298	373	211
4	जरवल	..	..	20	19	61

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 303 पर।)

(1) महादेव प्रसाद इन्टर कालेज, मुण्डेरा बाजार।
(2) पं0 जवाहर लाल नेहरू हायर सेकेन्डरी स्कूल, हरखपुरा।
(3) जूनियर हाई स्कूल, मोरपुर।
(4) जनता जूनियर हाई स्कूल, हरपुर पकड़ी।
(5) एम0 एम0 एम0 जूनियर हाई स्कूल, बांगी बाजार।
(6) किसान जूनियर हाई स्कूल, घनगढ़ी
(7) पंचायत जूनियर हाई स्कूल, परमेश्वरपुर।
(8) जनता विद्यालय, नरकटहा बाजार।
(9) तिलक सिंह जूनियर हाई स्कूल, बगहिया, जौनपुर।
(10) किसान आदर्श हायर सेकेन्डरी स्कूल, बेलवार।
(11) तुलसी दास इन्टर कालेज, गोरखपुर।
(12) जे0 पी0 इन्टर कालेज, कैम्पियरगंज, गोरखपुर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 304 पर।)

क्रम-सं0	विद्यालय का नाम	कक्षा 6 की क्षतिपूर्ति अनुदान की धनराशि	तिथि	कक्षा 7–8 की क्षतिपूर्ति (बालिका)	तिथि	प्राइमरी	तिथि	त्रिभाषा अनुदान	तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		रु0		रु0		रु0		रु0	
1	श्री दूर्गा जी माध्यमिक विद्यालय, भटिहना	960	20–11–74	567	..	6477	30–3–75	640	26–3–75
		966	30–11–74	548	..	8000	30–3–75	..	..
		966	18–3–75	558	18–3–75				
		966	26–3–75	539	26–3–75				
2	नवभारत लघु माध्यमिक विद्यालय, सेखुई	732	7–11–74	288	7–10–74	7617	25–3–75	..	..
		672	7–11–74	310	7–10–74	7617	25–3–75	..	..
		672	26–3–75	310	26–3–75	..	..	..	..
		672	26–3–75	310	26–3–75				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	जनता लघु माध्यमिक	762	..	288	25–11–74	7698	26–3–75	..	..
	विद्यालय, चरगावां	735	..	315	25–11–74	7698	26–3–75	..	..
		735	..	315	26–3–75				
		735	26–3–75	315	26–3–75				
4	जनता लघु माध्यमिक	696	7–11–74	327	7–11–74	7963	26–3–75	..	..
	विद्यालय, बेड़सर	707	10–11–74	283	7–11–74	7963	26–3–75	..	..
		707	26–3–75	283	26–3–75	5478	26–3–75	..	..
		707	26–3–75	283	26–3–75				
5	जनियर हाई स्कूल,	372	18–3–75	346	18–3–75	..	..	..	..
	बलुआ, सिहोरा	408	18–3–75	234	18–3–75	..	..	..	..
		408	18–3–75	234	18–3–75	..	..	..	..

पो0एस0यू0पी0--एल0 89 वि0सभा--(191)--1976--8401

उत्तर प्रदेश विधान सभा